वार्षिक रिपोर्ट
2005-2006

सत्यमेव जयते

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2005-2006

सत्यमेव जयते

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

विषय सूची

भारी उद्योग विभाग

अध्याय		पृष्ठ सं.
1.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय – प्रस्तावना	7
2.	भारी उद्योग विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन की एक झलक	11
3.	मुख्य-मुख्य बातें	16
4.	भारी उद्योग विभाग द्वारा प्रशासित सरकारी क्षेत्र के उद्यम	20
5.	भारी विद्युत उद्योग और अन्य औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र	33
6.	आटोमोटिव उद्योग	39
7.	प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास	47
8.	अल्पसंख्यकों का कल्याण	58
9.	महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	59
10.	सतर्कता	60
11.	हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	61
	अनुबंध (I से X)	63
	संकेताक्षर	79

लोक उद्यम विभाग

अध्याय		पृष्ठ सं.
1.	लोक उद्यम सर्वेक्षण	83
2.	सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता एवं उनके निदेशक मंडलों का व्यावसायीकरण	85
3.	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	90
4.	मानव संसाधन विकास	94
5.	सरकारी उद्यमों के लिए सहायक सेवाएं	101
6.	मजूरी नीति एवं श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण	103
7.	सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण	106
8.	सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)	107
9.	परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन योजना	109
10.	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	111
11.	महिलाओं का कल्याण	112
	अनुबंध (I से VI)	113

भारी उद्योग विभाग

- भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय - प्रस्तावना 7
- भारी उद्योग विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन की एक झलक 11
- मुख्य-मुख्य बातें 16
- भारी उद्योग विभाग द्वारा प्रशासित सरकारी क्षेत्र के उद्यम 20
- भारी विद्युत उद्योग और अन्य औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र 33
- आटोमोटिव उद्योग 39
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास 47
- अल्पसंख्यकों का कल्याण 58
- महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण 59
- सतर्कता 60
- हिन्दी का प्रगामी प्रयोग 61

अनुबंध (I से X) 63

संकेताक्षर 79

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

प्रस्तावना

मंत्रालय

1.1 भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों का प्रशासनिक कार्य देखने एवं उनके लिए नीतिगत दिशानिर्देश बनाने के अलावा देश में पूंजीगत सामग्री एवं इंजीनियरी उद्योगों के विकास और वृद्धि का संवर्धन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस मंत्रालय में भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग शामिल हैं।

भारी उद्योग विभाग (भा.उ.वि.)

1.2 भारी उद्योग विभाग भारी इंजीनियरी उद्योग, मशीन टूल उद्योग, भारी बिजली उद्योग, औद्योगिक मशीनरी और ऑटो उद्योग के विकास का कार्य देखता है तथा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों को प्रशासित करता है। इस विभाग द्वारा शामिल उद्योग इस्पात, अलौह-धातुओं, उर्वरकों, तेल शोधक कारखानों पेट्रो-रसायन, नौवहन, कागज, सीमेंट, चीनी आदि जैसे बुनियादी उद्योगों के उपकरणों की आवश्यकता पूरी करते हैं। यह विभाग कास्टिंग, फोर्जिंग, डीजल इंजनों, औद्योगिक गियर तथा गियर बॉक्स जैसे अनेक मध्यस्थ इंजीनियरी उत्पादों के विकास के लिए उत्तरदायी है। वे विद्युत, रेल और सड़क परिवहन आदि सहित अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों के लिए सामग्री और सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यह विभाग पलक्कड़ में फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट नामक राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला भी प्रशासित करता है, जो अंशाकन के मानकीकरण के लिए फ्लो उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति करता है।

1.3 विभाग विभिन्न उद्योग संघों से परामर्श लेता है और उद्योग के विकास के लिए योजनाएं तैयार करता है। यह विभाग नीतिगत पहलों, टैरिफ और व्यापार से संबंधित समस्याओं के समाधान, प्रोद्योगिकीय सहयोग के संवर्धन तथा उन्नयन, अनुसंधान तथा विकास आदि के माध्यम से उद्योग की सहायता भी करता है।

1.4 भारी उद्योग विभाग का प्रमुख भारत सरकार का सचिव होता है, जिसकी सहायता आर्थिक सलाहकार और एकीकृत वित्त स्कंध द्वारा की जाती है। विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध-I** में दिया गया है।

1.5 यह विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साथ उनके कार्यनिष्पादन का अनुवीक्षण करने के लिए घनिष्ठ तालमेल रखता हैं। विभाग इन उद्यमों और सरकार की अन्य एजेंसियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता हैं और उनका ऑर्डर बुक सुधारने तथा मुख्य क्षेत्र के ग्राहकों को सामयिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दीर्घावधिक संपर्क स्थापित करने में सहायता करता है।

विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम

1.6 विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम इंजीनियरी/पूंजीगत सामग्रियों के विनिर्माण, परामर्श और संविदा कार्यकलापों में लगे हुए हैं। विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में दिनांक 31 मार्च, 2005 की यथास्थिति कुल निवेश (सकल ब्लॉक) लगभग 8826 करोड़ रुपए था **(अनुबंध-II)**। निवेश के संगणन में उन चौदह सरकारी क्षेत्र के उद्यम जो बंद हो गए हैं अथवा जिनका प्रचालन समाप्त हो गया है, शामिल नहीं हैं। विभाग के अधीन उद्यम मशीन टूल, औद्योगिक मशीनरी, बॉयलर, गैस/स्टीम/हाइड्रोटर्बाइन, टर्बो जेनरेटर्स, रेलवे ट्रैक्शन उपकरण, प्रेशर वेसल्स, एसी रेल इंजन, प्राइम मूवर्स, विद्युत उपकरण, और कृषि संबंधी ट्रैक्टर तथा घड़ियां, कागज, टायर और नमक जैसी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यह विभाग ऑटो क्षेत्र में एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी मारूति उद्योग लिमिटेड के कार्यों से भी संबंध रखता है।

1.7 यह विभाग सरकार की सरकारी क्षेत्र की समग्र नीति के अनुरूप अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन करता है और उसे प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में रेखांकित सरकारी क्षेत्र की नीति के अनुसार साधारणतया लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों को आधुनिकीकृत और पुनर्गठित करने के प्रयास किए जाएंगे तथा हानि उठाने वाली पुरानी कंपनियों के सभी कर्मचारियों के वैध बकायों और क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के बाद उनकी या तो बिक्री कर दी जाएगी अथवा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के उस अधिदेश को कार्यान्वित करने की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एक बोर्ड (बीआरपीएसई) स्थापित किया गया है। बीआरपीएसई सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुत्थान/पुनर्गठन से संबंधित संपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देगा।

1.8 यह विभाग वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि उनके निवेश संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें और सरकार/बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत पुनर्गठन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के रुग्ण/घाटा उठाने वाले उद्यमों के लिए निधियां प्रदान की जा सकें। विभाग सरकारी क्षेत्र के उद्यमों जहां व्यवहार्यता में सुधार लाना आवश्यक है, में जनशक्ति यौक्तिकीकरण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

नागरिक अधिकार-पत्र

1.9 सरकारी क्षेत्र के उद्यम भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 और लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्य करते हैं। भारी उद्योग विभाग प्रभावी तथा प्रत्युत्तरदायी प्रशासन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) लोक शिकायतों और कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास के रूप में इस विभाग में एक संयुक्त सचिव और निदेशक शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए क्रमश: संयुक्त सचिव (लोक शिकायत) और निदेशक (कर्मचारी शिकायत) के रूप में कार्यरत हैं।

(ii) विभाग में विभिन्न विषयों को कम्प्यूटरीकृत करने के प्रयास में एक संयुक्त सचिव को सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक के रूप में नामोदिष्ट किया गया है, जो आवधिक रूप से विभाग की वेबसाइट को अद्यतन करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

(iii) पेंशनभोगियों की शिकायतें दूर करने के लिए इस विभाग में निदेशक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

(iv) कर्मचारियों की शिकायतों (लोक अदालत में विवाद) के निपटान के प्रयोजनार्थ इस विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में निदेशक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

(v) विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में) और पहलों तथा नई नीतियों सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचना विभाग की वेबसाहइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध कराई जाती है।

(vi) विभाग और इसके नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों के समाधान से संबंधित कार्य के लिए विभाग में निदेशक स्तर के एक अधिकरी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(vii) विशेषकर महिला कर्मचारियों में मानव अधिकारों से संबंधित पर्याप्त जागरूकता सृजित करने के लिए लिंग समानता के अधिकारों के संरक्षण और उन्हें लागू करने तथा कामकाजी महिला कर्मचारियों को न्याय देने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भारी उद्योग विभाग ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत समिति गठित की है।

(viii) भारी उद्योग विभाग महिला कर्मचारियों को मुख्य धारा के कार्यबल में उनका एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सेमिनार, प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण, बैठकों आदि जैसे सभी कार्यकलापों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

लोक उद्यम विभाग (लोउवि)

1.1 तीसरी लोकसभा (1962-67) की प्राक्कलन समिति ने अपनी 52वीं रिपोर्ट में एक ऐसे केन्द्रीकृत समन्वयकारी एकक की स्थापना पर बल दिया था, जो सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का सतत् मूल्यांकन कर सके। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 1965 में सरकारी उद्यम ब्यूरो (बीपीई)की स्थापना की गई। सितम्बर, 1985 में संघ सरकार में मंत्रालयों/विभागों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बीपीई को उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बना दिया गया। मई 1990 में बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया और अब इसें लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के रूप में जाना जाता है। वर्तमानत: यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का एक हिस्सा है।

1.2 लोक उद्यम विभाग सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है तथा अर्थव्यवस्था में सरकारी उद्यमों की भूमिका संबंधी नीति के प्रतिपादन में सहायता करता है और साथ ही यह विभाग सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार एवं मूल्यांकन, वित्तीय लेखांकन, कार्मिक प्रबंध और संबंधित क्षेत्रों में नीतिगत दिशानिर्देश भी तैयार करता है। लोक उद्यम विभाग सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन और अनुरक्षण करने का कार्य भी करता है। लोक उद्यम विभाग प्रशासनिक मंत्रालय तथा सरकारी उद्यमों के मध्य अन्तरापृष्ठ प्रदान करता है।

2. लोक उद्यम विभाग के अधिदेश

2.1 सरकार की कार्य आबंटन नियमावली के अनुसार लोक उद्यम विभाग को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं:-

- औद्योगिक प्रबंधन पूल सहित लोक उद्यम ब्यूरो।
- सरकारी क्षेत्र के सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक उपक्रमों को प्रभावित करने वाले गैर वित्तीय स्वरूप की सामान्य नीति से संबंधित मुद्दों का समन्वयन।
- सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली से संबंधित मुद्दे।
- सरकारी उद्यमों के लिए स्थायी मध्यस्थता तंत्र से संबंधित मुद्दे।
- केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को परामर्श, पुन: प्रशिक्षण देने तथा उनका पूनर्नियोजन करने से संबंधित मुद्दे

  लोक उद्यम विभाग के प्रशासनिक प्रभार के अधीन सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) नामक एक बोर्ड गठित किया गया है।

3. लोक उद्यम विभाग की भूमिका

लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, स्वायत्तता तथा वित्तीय प्रत्यायोजन, कार्मिक प्रबंधन तथा केन्दीय सरकारी उद्यमों से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में नीति प्रतिपादित करने में सहायता प्रदान करता है। लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन व अनुरक्षण भी करता है। अपने दायित्वों के निर्वहन में यह अन्य

मंत्रालयों, केन्दीय सरकारी उद्यमों तथा संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करता है।

लोक उद्यम विभाग के महत्वपूर्ण कार्य नीचे सूचीबद्ध हैं:-

— औद्योगिक प्रबंधन पूल, जिसे लोक उद्यम विभाग को अंतरित कर दिया गया है, से जुड़े मुद्दों सहित सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा किए जा रहे कार्य।

— संसद में प्रस्तुत करने के लिए एक वार्षिक लोक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रकाशन।

— मजदूरी नीति

— निदेशक मण्डल की संरचना, श्रेणीकरण, गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यपालकों का प्रशिक्षण।

— मिनीरत्न व नवरत्न श्रेणी के केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समीक्षा।

— केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आरक्षण से संबंधित मुद्दे।

— अंतर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई, स्लोवेनिया से संबंधित मुद्दे)

— केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को राष्ट्रपति के निर्देश तथा अन्य दिशानिर्देश जारी करना।

— केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मण्डल को शक्तियों का प्रत्यायोजन करना।

— केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कराना।

— क्रय अधिमानता नीति से संबंधित मुद्दे।

— केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बीच तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों व केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभाग के मध्य उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक विवादों (कराधान तथा रेलवे संबंधी मामलों को छोड़कर) के समाधान के लिए स्थायी मध्यस्थता तंत्र।

— स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना से संबंधित मुद्दे।

— केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को परामर्श व पुन: प्रशिक्षण देने तथा उनका पुनर्नियोजन करने से संबंधित मुद्दे।

— सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए बोर्ड (बीआरपीएसई)।

4. संगठनात्मक संरचना

4.1 लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में मंत्री के प्रभाराधीन है। इस विभाग का प्रमुख सचिव है, जिनकी सहायता 128 अधिकारियों/कार्मिकों की समग्र स्वीकृत संख्या के साथ एक स्थापना द्वारा की जाती है।

4.2 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का साधारणतया सुदृढ़ीकरण करने और उन्हें अधिक स्वायत्तशासी और पेशेवर बनाने; केन्दीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन पर विचार करने तथा ऐसी पुनर्गठन स्कीमों के निधिकरण के लिए उपायों का सुझाव देने; रूग्ण/घाटा उठा रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए पुनरूत्थान/पुनर्गठन प्रस्तावों की जांच करने और उससे संबद्ध उपयुक्त सिफारिशे करने; उन पुरानी घाटा उठा रही कंपनियों जिनका पुनरूत्थान नहीं किया जा सकता है, का विनिवेश करने/बंद करने/बिक्री करने पर सरकार को सुझाव देने और कामगारों को सभी कानूनी बनाए और क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए निधियों के स्रोत और बंद करने की अन्य लागतों के बारे में सरकार को सुझाव देने; केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आरंभिक रूग्णता का अनुवीक्षण करने और उनमें जैसा सौंपा जाए ऐसे अन्य मामलों पर सरकार को सुझाव देने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपायों के पुनर्गठन के लिए एक बोर्ड गठित किया गया है। इस बोर्ड में एक अंशकालिक अध्यक्ष और तीन गैर सरकारी अंशकालिक सदस्य शामिल है। सदस्य-सचिव के रूप में सचिव (लोक उद्यम) के साथ सचिव (व्यय) और सचिव (विनिवेश) सरकारी सदस्य हैं। अध्यक्ष, पीएसईबी, अध्यक्ष, स्कोप और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओएनजीसी स्थायी आमंत्रित है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव विशेष आमंत्रित है।

लोक उद्यम विभाग का संगठात्मक वर्णन अनुबंध-I में दिया गया है।

भारी उद्योग विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन की एक झलक

2.1 उद्योग का कार्यनिष्पादन

वर्ष 2004–2005 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में हुई सुदृढ़ वृद्धि चालू वर्ष के दौरान जारी रही है जब अप्रैल–नवम्बर, (2005–06) के दौरान पिछले वर्ष की तुलनीय अवधि के दौरान प्राप्त 8.6 प्रतिशत की तुलना में समग्र औद्योगिक वृद्धि (औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के रूप में मापित) 8.3 प्रतिशत की दर पर हुई।

पूंजीगत सामग्री क्षेत्र, जिसने वर्ष 2004–05 में 13.9 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की है, ने चालू वर्ष के दौरान भी अपनी वृद्धि की गति बनाई रखी है। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार पूंजीगत सामग्री क्षेत्र ने अप्रैल–नवम्बर, 2005–06 के दौरान पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के दौरान हुई वृद्धि की तुलना में 15.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

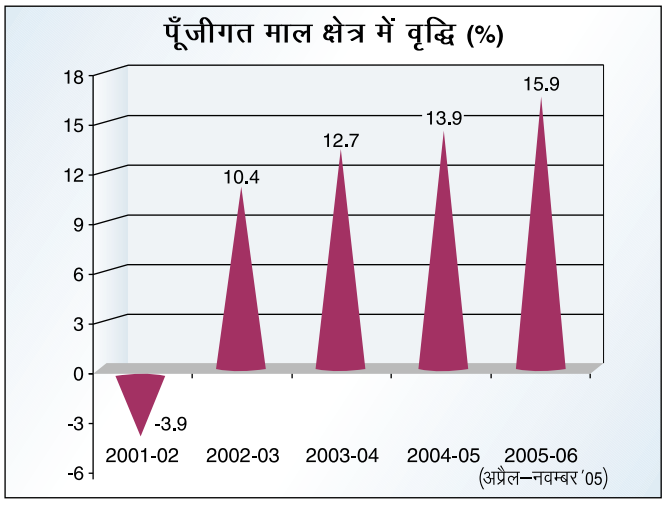

2.2 भारी उद्योग विभाग निम्नलिखित 19 औद्योगिक उप-क्षेत्रों से संबंधित कार्य करता है:

(i) बॉयलर
(ii) सीमेंट मशीनरी
(iii) डेयरी मशीनरी
(iv) विद्युत भट्ठी
(v) माल कन्टेनर
(vi) सामग्री प्रहस्तन उपस्कर
(vii) धातुकर्म मशीनरी
(viii) खनन मशीनरी
(ix) मशीन टूल
(x) तेल क्षेत्र उपस्कर
(xi) मुद्रण मशीनरी
(xii) लुगदी और कागज मशीनरी
(xiii) रबड़ मशीनरी
(xiv) स्विचगियर और कंट्रोल गियर
(xv) शंटिंग लोकोमोटिव
(xvi) चीनी मशीनरी
(xvii) टर्बाइन और जेनरेटर सेट
(xviii) ट्रांसफॉर्मर
(xix) वस्त्र मशीनरी

2.3 अप्रैल–अक्तूबर, 2004–2005 की तुलना में अप्रैल–अक्तूबर, 2005–06 के दौरान वृद्धि की प्रवृतियां नीचे

सारणी में दी गई हैं:

	क्षेत्रबार वृद्धि दरें (%में)			
	भार	2004-05 (अप्रैल-मार्च)	2004-05 (अप्रैल-नवम्बर)	2005-06 (अप्रैल-नवम्बर)
सामान्य	100.0	8.4	8.6	8.3
खनन और उत्खनन	10.5	4.4	5.1	0.5
विनिर्माण	79.3	9.2	9.1	9.4
विद्युत	10.2	5.2	6.7	4.9
	प्रयोग-आधारित वर्गीकरण			
सामान्य	100.0	8.4	8.7	8.3
बुनियादी सामग्रियां	35.6	5.5	5.9	6.0
पूंजीगत सामग्रियां	9.3	13.9	12.9	15.9
मध्यवर्ती सामग्रियां	26.5	6.1	7.3	3.0
उपभोक्ता सामग्रियां	28.7	11.7	11.2	12.9
(i) टिकाऊ वस्तुएं	5.4	14.4	15.8	13.4
(ii) गैर-टिकाऊ वस्तुएं	23.3	10.8	9.7	12.8

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

2.4 भारी उद्योग विभाग के अधीन कुछ उद्योगों का अप्रैल-नवम्बर, 2004-05 की अवधि की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2005-06 की अवधि के लिए उत्पादन और वृद्धि दरें नीचे दी गई हैं:

उद्योग	इकाई	उत्पादन अप्रैल-नवम्बर 2004-05	उत्पादन अप्रैल-नवम्बर 2005-06	वृद्धि दर (%)
औद्योगिक मशीनरी	लाख रुपए	150451.29	196794.24	30.8
मशीन टूल	लाख रुपए	155510.32	172505.58	10.9
बॉयलर	लाख रुपए	121305.78	209649.37	72.8
टर्बाइन (स्टीम/हाइड्रो)	लाख रुपए	25980.53	44710.64	72.1
विद्युत जेनरेटर	लाख रुपए	76847.53	47257.26	- 38.5
विद्युत वितरण ट्रांसफॉर्मर	मिलियन केवीए	31.61	41.21	30.4
दूरसंचार केबल	मिलियन मीटर	11982.54	8910.96	-25.6
वाणिज्यिक वाहन	संख्या	214438.00	247270.00	15.3
यात्री कार	संख्या	631548.00	667653.00	5.7

स्रोत: औद्योगिक नीति और संबर्धन विभाग

2.5 भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम

2.5.1 विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम विनिर्माण, परामर्श और संविदात्मक कार्यकलापों में लगे हैं। सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में से 14 सरकारी क्षेत्र के उद्यम या तो बंद कर दिए गए हैं अथवा प्रचालनाधीन नहीं है, इस प्रकार 34 सरकारी क्षेत्र के उद्यम शेष रह जाते हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान 13 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने लाभ अर्जित किया है और शेष 21 ने घाटा उठाया है। वर्ष 2004-05 और 2005-06 (पूर्वानुमानित) में कुल कार्यनिष्पादन निम्नानुसार रहा है:

(करोड़ रुपये)

	2004-05	2005-06 (पूर्वानुमानित)
उत्पादन	14169	16633
लाभ (+)/हानि (-)	(-)413	(-)373

(सरकारी क्षेत्र के उद्यम-बार ब्यौरे क्रमश: **अनुबंध-IV** और **V** में उपलब्ध हैं।)

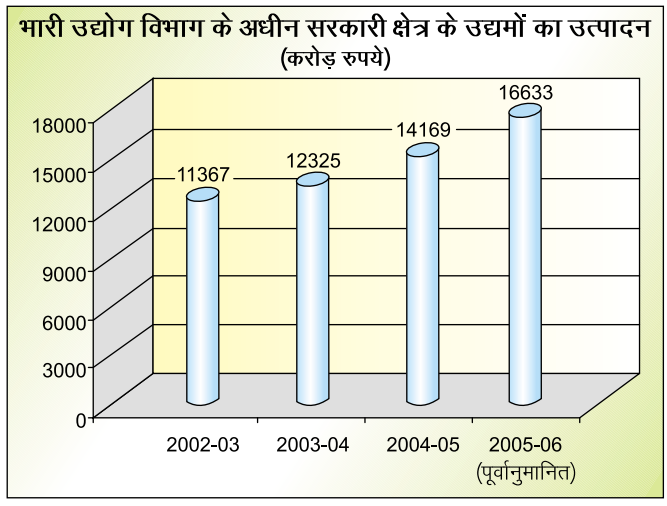

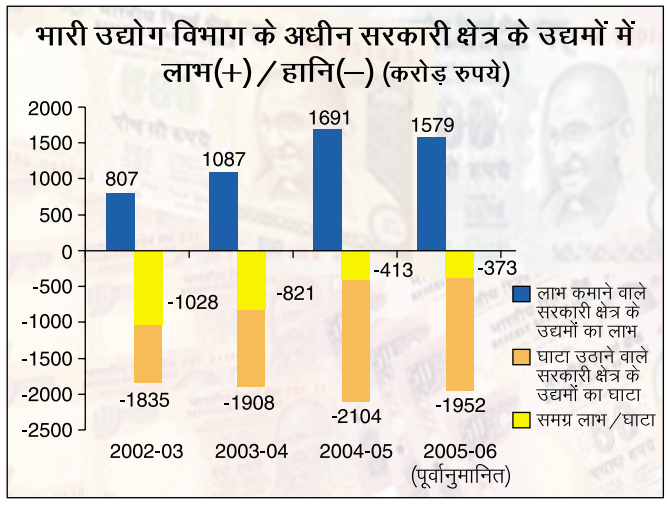

2.5.2 निविष्टियों की लागत में वृद्धि के अतिरिक्त खराब आर्डर दर्ज होने, कार्यशील पूंजी की कमी, अधिशेष जनशक्ति, पुराने संयंत्र और मशीनरी के कारण कुछ मुख्य उद्यमों में उत्पादन में कमी के कारण हानि हुई है।

2.5.3 इन घाटा उठाने वाले कई सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विशाल कार्यबल और उद्योग के मानदण्डों से बहुत अधिक उपरिव्यय की समस्याएं हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कुल कारोबार की प्रतिशतता

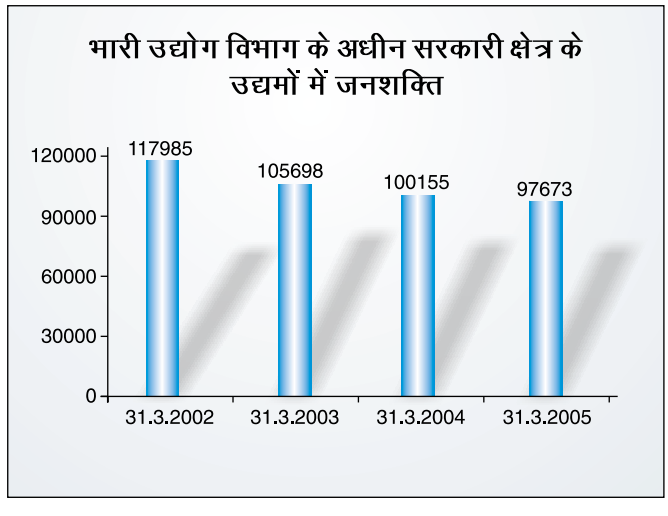

के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय **अनुबंध-VI** में दिए गए हैं।

2.5.4 विशेषकर 'भेल' के मामले, जहां ऑर्डर बुक होना 10,000-15,000 करोड़ रुपए के स्तर से काफी सुधरकर 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, सहित अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में ऑर्डर बुक होना धीरे-धीरे सुधर रहा है। प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उद्यम में ऑर्डर बुक होने का ब्यौरा **अनुबंध-VII** में दिया गया है।

2.5.5 ऐसी केवल कुछ ही कंपनियां हैं, जो अपने उत्पादों का निर्यात करने में समर्थ रही हैं। निर्यात करने वाले मुख्य सरकारी क्षेत्र के उद्यम 'भेल' और एचएमटी हैं। भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निर्यात निष्पादन का ब्यौरा **अनुबंध-VIII** में दिया गया है।

2.5.6 सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में इक्विटी के रूप में सरकार का निवेश 3912 करोड़ रुपए है। सरकारी क्षेत्र के कई उद्यम अपना निवल मूल्य पार करते हुए पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठा रहे हैं। सरकारी इक्विटी, निवल मूल्य और सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों का संग्रहित घाटा/लाभ **अनुबंध-IX** में दिया गया है।

भेल द्वारा रामागुण्डम एस.टी.पी.एस. की 500 मेगावाट की युनिट-7

2.6 राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अनुसार केंद्रीय सरकारी क्षेत्र से संबंधित नीति

एनसीएमपी के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार हैं:

— प्रतिस्पर्धी वातावरण में प्रचालनरत लाभ अर्जित करने वाले सफल सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को पूर्ण प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता दी जाएगी।

— साधारणतया, लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

— सभी निजीकरण पर मामला-दर-मामला आधार पर एक पारदर्शी और परामर्श पर विचार किया जाएगा।

— जबकि रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आधुनिक बनाने और पुनर्गठित करने तथा रुग्ण उद्योग का पुनरूद्धार करने का हर प्रयास किया जाएगा वहीं लबें समय से घाटा उठाने वाली कंपनियों की सभी कामगारों का न्याससंगत बकाया और क्षतिपूर्ति दिए जाने के बाद या तो बिक्री की जाएगी अथवा उन्हें बंद किया जाएगा।

— निजीकरण को प्रतिस्पर्धा बढ़ाना चाहिए उसे कम नहीं करना चाहिए।

2.7 सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)

2.7.1 राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अनुसार सरकार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरुत्थान और पुनर्गठन द्वारा एक सुदृढ़ और प्रभावी सरकारी क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, इन कार्यों पर ध्यान देने और उनसे संबंधित कार्यनीतिक उपायों और स्कीमों पर सरकार को सुझाव देने के लिए सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन किया गया है।

2.7.2 भारी उद्योग विभाग के अधीन 48 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में से बीस को बीआरपीएसई को भेजा गया हैं। बीआरपीएसई के समक्ष दिनांक 1.1.2006 को इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की स्थिति निम्नानुसार है:-

(क) बीआरपीएसई को प्रस्तुत कुल मामले : 20

(ख) बीआरपीएसई द्वारा विचार किए गए मामले : 17

(ग) बीआरपीएसई द्वारा विचारार्थ प्रतीक्षित मामले : 3

बीआरपीएसई द्वारा विचार गए 17 मामलों मे से सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित 7 उद्यमों में सरकार द्वारा पुनरुत्थान योजना अनुमोदित की गई है।

(i) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड (बीएण्डआर)

(ii) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)

(iii) बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

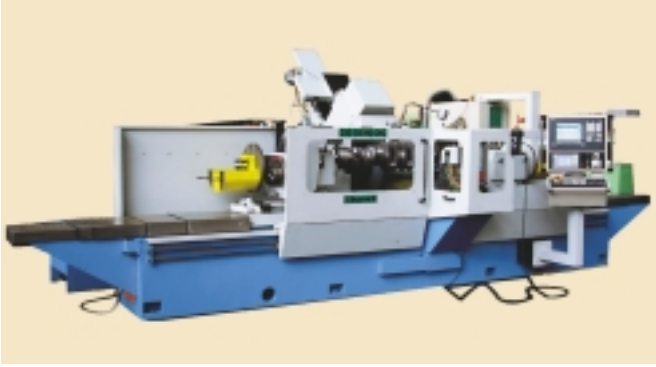

एच.एम.टी. द्वारा निर्मित सी.एन.सी. क्रैंकशाफ्ट पिन ग्राइंडिंग मशीन

(iv) प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल)

(v) एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड

(vi) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी)

(vii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (ब्रेथवेट)

सरकारी क्षेत्र के शेष उद्यम विचारार्थ विभिन्न चरणों में हैं।

2.8 विगत में सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों का पुनर्गठन

2.8.1 पूर्व में किए गए कुछ पुनर्गठन प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी (एवाईसीएल) के बेल्टिंग डिवीजन को 74% की इक्विटी धारित करते हुए भागीदार के रूप में जर्मनी की मैसर्स फीनिक्स और शेष 26% इक्विटी एवाईसीएल के पास रखते हुए वर्ष 1999 में संयुक्त उपक्रम कंपनी (फीनिक्स यूल एंड कंपनी) में परिवर्तित करना।
- बीबीयूएनएल की एक सहायक कंपनी लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड (एलजेएमसी) को संयुक्त उपक्रम कंपनी में परिवर्तित करना और कंपनी के प्रबंधन का जुलाई, 2000 में संयुक्त उपक्रम भागीदार को हस्तान्तरण।
- बीबीयूएनएल की एक सहायक कंपनी जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (जेसप) का संयुक्त उपक्रम में परिवर्तन और कंपनी के प्रबंधन का अगस्त, 2003 में संयुक्त उपक्रम भागीदार को हस्तांतरण।
- मारूति उद्योग लिमिटेड (एमयूएल) में अधिकांश हिस्से का विनिवेश

2.8.2 जबकि सरकार व्यवहार्य और विश्वसनीय पुनरुद्धार योजनाओं को सहायता देती रही है फिर भी सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों को बीआईएफआर/विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा अव्यवहार्य माना गया या और सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यमों को बंद कर दिया गया है/प्रचालनाधीन नहीं हैं:

(i) भारत प्रोसेस मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमई)

(ii) भारत ब्रेक्स एंड वाल्ब्स लिमिटेड (बीबीवीएल)

(iii) साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)

(iv) नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनबीसीआईएल)

(v) माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (एमएएमसी)

(vi) रिहेबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन (आरआईसी)

(vii) आरबीएल लिमिटेड (आरबीएल)

(viii) टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन लिमिटेड (टेफ्को)

(ix) वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल)

(x) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड (बीएलसी)

(xi) नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनआईडीसी)

(xii) भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल)

(xiii) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (एनआईएल)

(xiv) नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एनपीपीसी)

2.8.3 उपरोलिखित सरकारी क्षेत्र के चौदह उद्यमों के अतिरिक्त, एचएमटी लिमिटेड की चार अव्यवहार्य इकाईयों (वाच केस डिवीजन, लैम्प डिवीजन, सेंट्रल मेटल फॉर्मिंग इंस्टीट्यूट सभी हैदराबाद में और गुवाहाटी में मिनिएचर बैटरी इकाई), घाटा उठाने वाली रिफ्रैक्टरी इकाई और बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) का जेलिंघम यार्ड, टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) की टांगरा इकाई को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई अनुमति के फलस्वरूप बंद कर दिया गया है।

2.9 जनशक्ति का यौक्तिकीकरण

2.9.1 इस विभाग के कई सरकारी क्षेत्र के उद्यम में कामगारों को अनावश्यक दु:ख-तकलीफ दिए बिना अधिशेष जनशक्ति

समाप्त करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई है। पिछले बारह वर्षों की अवधि 1992-1993 से 2004-2005 के दौरान लगभग 90,000 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प दिया है, जिसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

2.10 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/नवरत्न और मिनीरत्न को स्वायत्तता

2.10.1 'भेल' केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों में से एक है। कंपनी के बोर्ड को योग्य बाहरी व्यावसायिकविदों को शामिल करके सुदृढ़ किया गया है। पूंजीगत व्यय, कार्यनीतिक सहयोग के गठन और मानव संसाधन विकास संबंधी नीतियां बनाने आदि के संबंध में सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों को अधिक स्वायत्तता दी गई है।

2.10.2 'भेल', जो एक नवरत्न है, के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के तीन उद्यम नामत: आरईआईएल, एचएनएल और एचएमटी (आई) को मिनीरत्न के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। मिनीरत्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को वर्धित प्रत्यायोजन के साथ अधिकार भी दिया गया है।

2.11 समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)

2.11.1 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता देने और अपने उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाने की दृष्टि से वर्ष 2005-2006 के लिए भारत सरकार के साथ सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित 11 उद्यमों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(i) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)

(ii) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई)

(iii) हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी)

(iv) हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचपीसी की सहायक कंपनी)

(v) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर (आईएल की सहायक कंपनी)

(vi) एचएमटी लिमिटेड (एचएमटी)

(vii) एचएमटी (एमटी) लिमिटेड

(viii) एचएमटी (चिनार वाचेज) लिमिटेट

(ix) एचएमटी (वाचेज) लिमिटेड

(x एमएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड

(xi) एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

2.12 पूर्वोत्तर क्षेत्र

2.12.1 भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में से सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यम/इकाईयां पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं:-

(i) हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) (नौगांव और कछार पेपर मिल्स), असम

(ii) नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी), नगालैंड

(iii) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) (बोकाजन ईकाई), असम

(iv) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) (चाय बागान), असम

2.12.2 सरकारी क्षेत्र के ये उद्यम/इकाइयां कागज, सीमेंट और चाय के विनिर्माण में लगी हैं। सरकार की नीति के अनुसार, इस विभाग के बजट का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित किया जा रहा है। पूर्व वर्षों के दौरान प्रारंभ की गई कुछ मुख्य योजनाओं में हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की कागज इकाइयों का आधुनिकीकरण, विद्युत उत्पादन के लिए डीजी सेट और सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) की बोकाजन इकाई में ओवरहेड क्रेन की संस्थापना और असम में एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) के चाय की खेती का पुनरुद्धार शामिल है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूंजीगत निवेश के लिए प्रदान की गई सरकार की बजटीय सहायता क्रमश: 7.12 करोड़ रुपए, 4.34 करोड़ रुपए और 5.84 करोड़ रुपए रही है। तथापि, वर्ष 2004-05 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की जा सकी।

2.13 भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार भारी उद्योग विभाग के कार्यकरण पर भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियां **अनुबंध-X** में दी गई है।

मुख्य-मुख्य बातें

3.1 सरकारी क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में विहित नीतिगत निर्दिष्टि के संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूत्थान/पुनर्गठन, सुदृढ़ीकरण आदि के लिए एक समीक्षा की गई है। इस समीक्षा के आधार पर पुनर्गठन/पुनरूत्थान प्रस्ताव सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के सरकारी क्षेत्र के कुल 20 उद्यमों को बीआरपीएसई के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिनमें से सरकारी क्षेत्र के 17 उद्यमों के मामले में सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित सात उद्यमों का पुनर्गठन/पुनरुत्थान अनुमोदित किया है:

(i) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)
(ii) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड (बीएण्डआर)
(iii) प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल)
(iv) ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)
(v) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी)
(vi) एचएमटी (बेयरिंग) लिमिटेड [एचएमटी(बी)लिमिटेड]
(vii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (ब्रेथवेट)

3.2 भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कार्यात्मक निदेशकों का एक सम्मेलन ''सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारना'' विषय पर दिनांक 14 सितम्बर, 2005 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय उद्योग और लोक उद्यम मंत्री, श्री संतोष मोहन देव द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस विभाग के लिए अभिज्ञात बल देने वाले क्षेत्रों और सूचना का अधिकार अधिनियम पर भी इस बैठक में चर्चा की गई थी।

3.3 ऑटो क्षेत्र में मुख्य अवसंरचनात्मक कमी को दूर करने के लिए लक्षित ''नेट्रिप'' (राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना)नामक एक नई परियोजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। यह देश में अत्याधुनिक परीक्षण, वैद्यीकरण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना सृजित करेगी और ऑटोमोटिव क्षेत्र में सुरक्षा, उत्सर्जन और कार्यनिष्पादन मानकों के लिए मानदंड लागू करना सुविधाजनक बनाएगी।

3.4 फ्लड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफसीआरआई) को दिनांक 13–19 जनवरी, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित ''पेट्रोटेक, 2004'' प्रदर्शनी में प्रदर्शनी समिति द्वारा ''सेवा उद्योग क्षेत्र'' में सर्वोत्तम घोषित किया गया था।

3.5 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा सूचित मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) द्वारा स्थापित ''निर्यातकों के लिए अखिल भारतीय ट्रॉफी'' लगातार चौदहवें वर्ष प्राप्त की।

(ii) वैश्विक मानकों के अनुरूप व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स का ''आईएमसी रामकृष्ण बजाज राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार, 2004'' प्राप्त किया।

(iii) निर्धारित समय पर एनटीपीसी के रिहंद सुपर थर्मल विद्युत स्टेशन चरण-II में पहली 500 मेगावाट यूनिट को चालू करने के साथ 2079 करोड़ रुपए मूल्य की मेगा विद्युत परियोजना के निष्पादन में बड़ा मानदंड प्राप्त किया।

(iv) सुरक्षा मानदंड कार्यान्वित करने और साथ ही गुणवत्ता मानक बनाए रखने पर लक्षित आर्थिक क्षेत्र में सुरक्षा की संस्कृति सृजित करने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के सुरक्षा और गुणवत्ता फोरम द्वारा स्थापित पहला ''सुरक्षा पहल पुरस्कार'' प्राप्त किया।

(v) नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं और मौजूदा विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण दोनों को शामिल करते हुए विद्युत उत्पादन क्षेत्र में वित्तीय पैकेज के साथ समाधान प्रदान करने में संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

(vi) राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 406 करोड़ रुपए मूल्य की पहली यूनिट के सफल सिंक्रोनाइजेशन के साथ कैप्टिव विद्युत संयत्रों के निष्पादन में मापदंड प्राप्त किया।

(vii) कंपनी के एक कर्मचारी श्री बी.एल. चौकसी को विज्ञान और इंजीनियरी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 28.03.2005 को वर्ष 2005 के लिए देश का नागरिक पुरस्कार ''पद्मश्री'' प्रदान किया गया।

(viii) पिछले वर्ष के दौरान 26.89 रुपए (शेयर प्रति सममूल्य 10.00 रुपए) की तुलना में 40.90 रुपए का प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) प्राप्त किया।

(ix) सुरक्षा के हित को बढ़ावा देने और मानदंडों के कार्यान्व्यन में अभिनव पद्धतियों के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किया जाने वाला ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का ''अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार'' लगातार तीसरे वर्ष प्राप्त किया।

(x) गाद संक्षारण से महत्वपूर्ण संघटकों को बचाने के लिए देश में ही एक नया उच्च गति ऑक्सी फ्यूल (एचवीओएफ) कोटिंग विकसित किया। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत स्टेशनों (एक पंजाब में और दूसरा हिमाचल प्रदेश में) की जीवनावधि लगभग पांच वर्ष तक बढ़ने की संभावना है।

(xi) झारखंड के विभिन्न स्थानों में अवस्थित जनजातीय स्कूलों, जो उस क्षेत्र में पारम्परिक विद्युत की अनुपलब्धता से प्रभावित हैं, में 2-5 किलोवाट तक की रेटिंग के सौर विद्युत संयंत्र चालू किए।

(xii) कंपनी के कर्मचारियों ने विनिर्माण प्रणालियों और प्रक्रियाओं में उनके द्वारा किए गए विभिन्न अभिनव परिवर्तनों, संशोधनों, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को एक करोड़ रूपए से अधिक की संचयी बचत हुई, के लिए दिए जाने वाले तीन ''विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार'' प्राप्त किए।

(xiii) 'अंतर्राष्ट्रीय एशिया-प्रशांत गुणवत्ता पुरस्कार' (आईएक्यूए-2005) से ''अपनी श्रेणी की सर्वोत्तम श्रेष्ठता'' प्राप्त की और आईएक्यूए के भाग के रूप में बड़ी विनिर्माण श्रेणी में देश में यह मान्यता प्राप्त करने वाला पहला इंजीनियरी और विनिर्माण संगठन बना।

(xiv) अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला ''यूरोपीय और परीक्षण संस्थापना'' (ईएसटीआई) में अपने सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्रदान किया गया।

(xv) लीबिया में अपने प्रथम अत्याधुनिक 150 मेगावाट के गैस टर्बाइन को चालू करने के साथ समुद्रपारीय बाजार में नया मापदंड प्राप्त किया।

(xvi) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए नाभिकीय उपस्कर के विकास और विनिर्माण में अपनी भूमिका के मान्यतास्वरूप भारतीय न्यूक्लीयर सोसायटी द्वारा ''औद्योगिक उत्कृष्टता पुरस्कार'' प्रदान किया गया।

(xvii) पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता और उल्लेखनीय योगदान के मान्यतास्वरूप प्रतिष्ठित ''पर्यावरणीय संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए फिक्की पुरस्कार'' प्राप्त किया।

(xviii) ''इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया'' द्वारा स्थापित प्रत्येक वर्ष लागत गुणवत्ता और सुपुर्दगी में उत्कृष्टता के लिए नैगम संगठनों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ''लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए आईसीडब्ल्यूआई राष्ट्रीय पुरस्कार 2005'' प्राप्त किया।

3.6 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई) की वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां रही :

भेल द्वारा निर्मित वेस्टर्न माउंटेन गैस टर्बाइन परियोजना, लीबिया में 156 मेगावाट (आई.एस.ओ.) गैस टर्बाइन जेनरेटर यूनिट

- वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान 512.04 करोड़ रुपए का संचयी कुल कारोबार प्राप्त किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त 389.86 करोड़ रुपए के कुल कारोबार की तुलना में 31.34% की वृद्धि है।

- सब-स्टेशनों आदि की स्थापना आदि और संबद्ध कार्यकलापों को शामिल करते हुए विद्युतीय पारेषण प्रणाली के नए क्षेत्र में विविधीकरण किया।

3.7 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) को व्यवसाय पद्धति में उत्कृष्टता के लिए फाउंडेशन, जेनेवा, स्विटजरलैंड द्वारा व्यवसाय पद्धति में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया गया।

3.8 एचएमटी कंपनी समूह की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

(क) एचएमटी लिमिटेड (ट्रैक्टर डिवीजन के साथ धारक कंपनी)

(i) भारत चरण-III उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए ट्रैक्टर अनुप्रयोग के लिए सभी इंजन विकसित किए गए हैं।

(ii) कंपनी ने 25 अश्वशक्ति की सीमा में एक नया ट्रैक्टर ''एचएमटी युवा'' का उत्पादन प्रारंभ किया है, जो इस उत्पाद श्रेणी में अत्यधिक ईंधन सक्षम और कम व्यय वाला है। इसका शुभारंभ माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री द्वारा किया गया। एचएमटी युवा भारत ट्रेम-III उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप है और वहनीय लागत पर कृषक समुदाय के लिए उत्पादकता बढ़ाना सुविधाजनक बनाएगा।

(iii) कंपनी ने उच्च गति ''ट्रांसपोर्ट फर्स्ट टैक्टर'' के लिए ट्रैन्टर व्हेकिल्स लिमिटेड, यूके के साथ तकनीकी सहयोग करार किया है।

(ख) एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

(i) 100 लाख रुपए मूल्य की मशीनें ओमान को निर्यात की गई।

(ii) मशीन टूल पुन:मार्जन के लिए कोलम्बो डॉक यार्ड, श्रीलंका से 150 लाख रुपए मूल्य का बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया।

ईंधन क्षम 'एच.एम.टी. युवा' ट्रैक्टर

(iii) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दुशान्बे, तजिकिस्तान में 200 लाख रुपये मूल्य की फल प्रसंस्करण परियोजना सफलतापूर्वक चालू की गई।

(iv) पहली बार यूगांडा में निविदा के माध्यम से एक्स-रे फिल्म और प्रसंस्करण रसायन की आपूर्ति के लिए ऑर्डर प्राप्त करके महत्वपूर्ण उपलब्धि की।

(v) सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के विरूद्ध ईएमपीडीई, इथोपिया में 8 पेपर गुइलोटिन शियरिंग मशीनों की आपूर्ति, संस्थापना और उसे चालू करना सफलतापूर्वक पूरा किया।

(ग) एचएमटी (मशीन टूल्स) लिमिटेड

(i) हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), कोरापुट की आवश्यकता के लिए हेवी ड्यूटी लेथ एचडीएल 70/2000 की नई श्रृंखला डिजाइन तैयार तथा विकसित की और पहली मशीन एचएएल को प्रेषित की गई।

(ii) स्विटजरलैंड की मैसर्स गुडेल के साथ करार पर हस्ताक्षर करने के फलस्वरूप कंपनी ने आर्डिनेंस फैक्टरी, अम्बाझारी और कानपुर के लिए आटोमेशन परियोजनाएं निष्पादित कीं।

भारी उद्योग विभाग द्वारा प्रशासित सरकारी क्षेत्र के उद्यम

4.1 एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

एंड्रयू यूल एंड कंपनी औद्योगिक पंखे, चाय कारखानों की मशीनरी, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्विचगियर, सर्किट ब्रेकर सहित विद्युत उपकरणों आदि जैसे विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री और अनुरक्षण के कार्य में लगी हुई है। वर्ष 1986 में पश्चिम बंगाल और असम में 12 चाय बागानों के जरिए चाय की खेती, विनिर्माण और प्रसंस्करण करने वाली 6 चाय कंपनियां एसईसीएल का हिस्सा हो गई। ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विचगियर्स लिमिटेड, मद्रास और ब्रेंटफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था तथा एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड में शामिल किया गया था। कंपनी रूग्ण है और उसे बीआईएफआर को सौंप दिया गया है। एंड्रयू यूल समूह में एक सहायक कंपनी मैसर्स हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड और दो बड़ी सहायक कंपनियां अर्थात दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (अब डीपीएससी लिमिटेड के रूप में पुन: नामित) और टाइड वाटर ऑयल कंपनी भी शामिल है। कंपनी के बेल्टिंग प्रभाग को फरवरी 1999 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी में बदल दिया गया है और नई कंपनी की 74% इक्विटी फीनिक्स एजी जर्मनी और 26% इक्विटी एवाईसीएल के पास है। कंपनी द्वारा वर्ष 2005-06 में 112.55 करोड़ रुपए का उत्पादन करने की संभावना है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.2 हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड

कंपनी की स्थापना एंड्रयू यूल समूह के अधीन कंपनियों की मुद्रण और लेखन-सामग्री संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्ष 1922 में की गई थी। यह एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में लाभ अर्जित करने वाली सहायक कंपनी हैं। वर्ष 2005-2006 में कंपनी का कुल कारोबार 12.00 करोड़ रुपए होना प्रत्याशित है।

4.3 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

कंपनी की स्थापना विशेष रूप से देश के विद्युत उत्पादन और पारेषण उपस्करों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई थी। 'भेल' आज विद्युत क्षेत्र में अपेक्षित सभी प्रणालियों और उपकरणों की आपूर्ति करने वाली एकमात्र प्रमुख कंपनी है। संपूर्ण भारत और विदेश में फैले परियोजना कार्यस्थलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त इसके 14 विनिर्माण संयंत्र, 8 सेवा केंद्र और 4 विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रीय

केंद्र हैं। कंपनी को एक 'नवरत्न' सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में अभिज्ञात किया गया है। समझौता ज्ञापन के लक्ष्य की तुलना में 'भेल' के वर्ष 2004-2005 में कार्यनिष्पादन के लिए इसे 'उत्कृष्ट' की श्रेणी में रखा गया हैं।

कंपनी ने कारोबार के नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए कई कदम उठाए हैं जहां इसके मौजूदा आधारभूत ढांचे, कौशल और क्षमताओं का इष्टतम उपयोग किया जा सकेगा। ऐसे कुछ नए क्षेत्रों में वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, उन्नत श्रेणी के गैस टर्बाइन, सेरालिन इंसुलेटर्स, कंगन वाली गढ़ाई, जल प्रबंध, सामग्री प्रहस्तन, प्रचलन और अनुरक्षण सेवाएं, सिमुलेटर्स और सेना के लिए उपस्कर और सेवाएं शामिल हैं। वर्ष के दौरान 'भेल' की आर्डर बुकिंग में काफी सुधार देखा गया है।

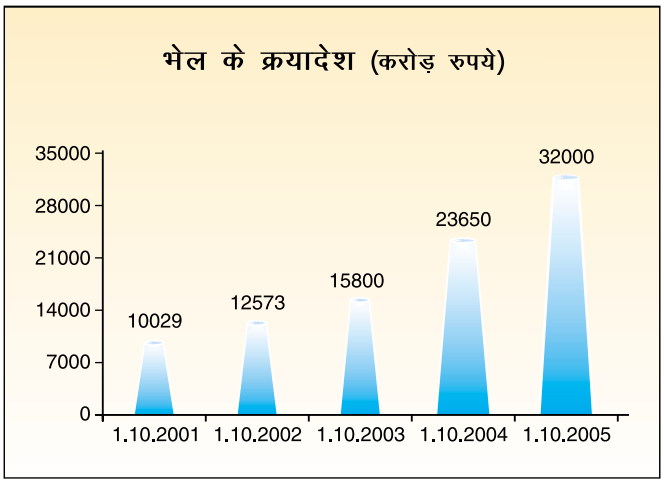

कंपनी ने क्रमश: ताप संयंत्रों के रख-रखाव/नवीकरण और गैस टर्बाइन के रख-रखाव के क्षेत्र में जर्मनी की एक मैसर्स सीमेन्स के साथ और दूसरा संयुक्त राज्य अमरीका की मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक के साथ दो संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की है।

कंपनी द्वारा वर्ष 2005-2006 में 12000 करोड़ रुपए का उत्पादन करने की संभावना है।

भेल द्वारा निर्मित 2 ×500 मेगावाट रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन

कंपनी ने वर्ष 2004-05 के दौरान 18,016 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया, जो किसी एक वर्ष में अब तक का उच्चतम है, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

- अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड से 241 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर प्राप्त किया।
- तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में कल्लुगुरानी गांव में 58 मेगावाट का संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए केएसके एनर्जी वेन्चर लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा प्रवर्तित रिजेंसी पावर कारपोरेशन लिमिटेड से 84 करोड़ रुपए मूल्य का ठेका प्राप्त किया।
- ओमान सल्तनत में टर्नकी विद्युत परियोजनाओं के आधार पर दो गैस टर्बाइनों की स्थापना के लिए पेट्रोलियम डेवलेपमेंट, ओमान से लगभग 900 करोड़ रुपए का प्रतिष्ठित निर्यात ठेका प्राप्त किया।

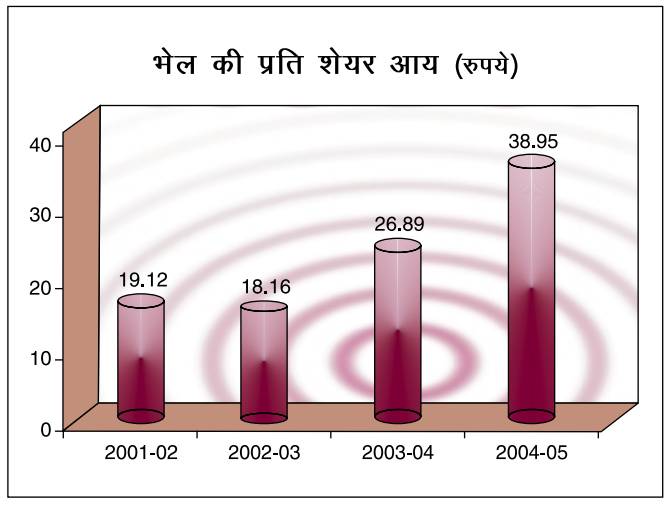

बी.एस.सी.एल. द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के लिए निर्मित फ्लैट वैगन

- पीटी मेराक एनर्जी ग्रुप, इंडोनेशिया के कैप्टिव प्रयोग के लिए 120 मेगावाट का पारिस्थितिकी-अनुकूल सह-उत्पादन विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का ठेका प्राप्त किया।

- आंध्रप्रदेश में दो पृथक 500 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशनों के लिए मुख्य संयंत्र पैकेज की आपूर्ति और उत्थापन हेतु आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन (एपीजेनको) से 2120 करोड़ रुपए मूल्य का प्रतिष्ठित ठेका प्राप्त किया।

- 230 केवी सब-स्टेशन स्थापित करने के लिए इथोपियन इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, इथोपिया से 26 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात ऑर्डर प्राप्त किया।

- भूषण स्टील एण्ड स्ट्रिप्स लिमिटेड से उड़ीसा में आंगुल के समीप उनके स्थापित हो रहे मेरामंडली इस्पात संयंत्र के लिए प्रत्येक 120 टन प्रति घंटे की क्षमता के दो समतुल्य पारिस्थितिकी-अनुकूल बबलिंग फ्लूडाइज्ड बेड कम्बशन बॉयलर के साथ 125 मेगावाट के स्टीम टर्बाइन जेनरेटर सेट स्थापित करने के लिए 132 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर प्राप्त किया।

4.4 भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

निम्नलिखित सहायक कंपनियों के साथ धारक कंपनी के रूप में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) को वर्ष 1986 में समामेलित किया गया था।

(i) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

सहायक कंपनियां:

(क) भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड (बीबीवीएल) (अब बंद हो गई है)

(ख) आरबीएल लिमिटेड (अब बंद हो गई है)

(ii) भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

(iii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड

(iv) भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (अब बंद हो गई है)

सहायक कंपनी :

(i) वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यूआईएल) (अब बंद हो गई है।)

(v) ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(vi) जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (अगस्त, 2003 से विनिवेश किया गया)

वर्ष 2005-2006 में धारक कंपनी की सभी प्रचालनरत सहायक कंपनियों का कुल उत्पादन 443.12 करोड़ रुपए होना संभावित है।

4.5 बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

पूर्ववर्ती बर्न एंड कंपनी लिमिटेड और इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कंपनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण होने के फलस्वरूप बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड को वर्ष 1976 में समामेलित किया गया था। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्यप्रदेश में स्थित कंपनी की आठ रिफैक्ट्री और सिरामिक इकाइयों के अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा और बर्नपुर में दो बड़ी इंजीनियरिंग इकाइयां है। बीएससीएल द्वारा विनिर्मित किए जा रहे मुख्य उत्पादों में बैगन, स्ट्रक्चरल्स, प्वाइंट्स एंड क्रासिंग, बोगियां, राख प्रहस्तन संयंत्र, कोयला प्रहस्तन संयंत्र आदि शमिल हैं। कंपनी रुग्ण है और यह बीआईएफआर को संदर्भाधीन है। कंपनी की घाटा उठा रही 7 रिफैक्टरी इकाइयां और जेलिघंम यार्ड को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करने के बाद बंद कर दिया गया है।

वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का उत्पादन 227.47 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी भाविष्य की समीक्षा की जा रही है।

4.6 ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड

राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप, सरकार ने वर्ष 1976 में कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था। कंपनी की तीन विनिर्माण इकाइयां अर्थात (i) क्लाइव वर्क्स, (ii) विक्टोरिया वर्क्स और (iii) एंगस वर्क्स हैं, जो प्राथमिक तौर पर रेलवे वैगनों, स्टील स्ट्रक्चरल्स, और सामान्य तथा विशेष कार्यों के लिए क्रेन, जिसमें कन्टेनर प्रहस्तन क्रेन, रेल-माउंटिंग डीजल लोको ब्रेकडाउन क्रेन, जूट कार्डिंग मशीन और जूट उद्योग के लिए रोल फीडर्स आदि शामिल हैं, के विनिर्माण में लगी है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा एक पुनरुत्थान/पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई है। वर्ष 2005-2006 के दौरान कंपनी का उत्पादन 99.23 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.7 भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड

भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) की स्थापना वर्ष 1979 में ब्रिटेनिया, मोकामा, बिहार और आर्थर बटलर, मुजफ्फरपुर, बिहार के राष्ट्रीयकरण के बाद की गई थी। कंपनी के मुख्य उत्पादों में रेलवे वैगन, स्क्रू पाइल ब्रिज, इस्पात ढांचे, ग्रे आयरन कास्टिंग आदि शामिल हैं। कंपनी को बीआईएफआर भेजा गया था क्योंकि यह रूग्ण हो गई थी। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में पुनरुत्थान/पुनर्गठन के लिए कंपनी के भविष्य की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का उत्पादन 64.77 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.8 ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) की स्थापना ब्रेथवेट बर्न एंड कंपनी द्वारा वर्ष 1935 में हावड़ा पुल के निर्माण के लिए की गई थी। बीबीजे 1987 में एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम हो गया जब यह भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की सहायक कंपनी बन गई।

कंपनी इस्पात पुलों, समुद्री ढांचों और जेट्टी आदि के निर्माण का कार्य करती हैं। बीबीजे ने रस्सों वाले लंबे सड़क पुलों के निर्माण की आधुनिक तकनीकी हासिल कर ली है। कंपनी ने समुद्री कार्यकलापों में विविधीकरण किया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और कंपनी के लिए एक पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई है। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का उत्पादन 51.65 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड के एंगस कारखाने में संस्थापित विद्युत आर्क भट्टी के उद्घाटन समारोह में माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री श्री संतोष मोहन देव

बी.बी.जे. द्वारा राजा गार्डन, दिल्ली में निर्मित दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन का पुल

4.9 भारत यंत्र निगम लिमिटेड

भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल) को निम्नलिखित सहायक कंपनियों के साथ धारक कंपनी के रूप में वर्ष 1986 में समामेलित किया गया था।

1. भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम
2. भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद
3. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता
4. रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुम्बई
5. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हॉसपेट, कर्नाटक
6. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद

वर्ष 2005-06 के दौरान सभी सहायक कंपनियों का कुल उत्पादन 737.14 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.10 भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड

भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) की स्थापना वर्ष 1966 में उर्वरक, तेलशोधक संयंत्र पेट्रोरसायन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उपकरणों की आवश्यकता पूरी करने के लिए की गई थी।

कंपनी के तीन प्रभाग नामत: प्रोसेस प्लांट डिवीजन, क्रायोजेनिक्स और बॉयलर डिवीजन हैं। कंपनी पिछले चार वर्षों से घाटा उठाती रही है और अब इसकी राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का उत्पादन 122.00 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.11 भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड

भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) नैनी, इलाहाबाद में वर्ष 1970 में समामेलित किया गया था। कंपनी तेल, उर्वरक, रसायन आदि जैसे क्षेत्रों की विभिन्न

बी.एच.पी.वी. द्वारा निर्मित सुपर इंसुलेटेड स्किड माउंटेड क्रायोजेनिक टंकी

किस्म के पंपों और कंप्रेशरों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं। कंपनी रूग्ण हो गई और इसे बीआईएफआर को भेजा गया था। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2005-06 में कंपनी द्वारा 82.00 करोड़ रुपए का उत्पादन करना संभावित है।

बी.पी.सी.एल. द्वारा ओ.एन.जी.सी. के लिए निर्मित प्लंजर पम्प

4.12 ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर) प्रारंभ में बालमेर लारी एंड कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी थी। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा वर्ष 1978 में 1.74 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इक्विटी पूंजी के निवेश के माध्यम से बीएंडआर एक सरकारी कंपनी बन गई। इस कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण जून, 1986

में पेट्रोलियम मंत्रालय से इस विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था। कंपनी के प्रचालन में मझोले और बड़े ढांचों का निर्माण, भवनों, कंक्रीट पुलों, सिविल निर्माण परियोजनाओं, प्रशीतन टावरों के संबंध में सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य, तेलशोधन शालाओं, उर्वरक, रसायन, इस्पात, अल्युमीनियम आदि के लिए संपूर्ण संयंत्रों का यांत्रिक निर्माण करता है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और सरकार द्वारा एक पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 500.00 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

बी एण्ड आर द्वारा 'गेल' के लिए केजी बेसिन, फेज-II में क्रॉस-कंट्री (क्षेत्र पार) पाइप लाइन

4.13 रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड

रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आरएंडसी) को निजी क्षेत्र से वर्ष 1973 में अधिग्रहित किया गया था। इसकी चार इकाइयां हैं, जिनमें से दो मुम्बई में और एक-एक चेन्नई और नागपुर में हैं। कंपनी वर्ष 1987 में बीवाईएनएल की एक सहायक कंपनी बन गई।

कंपनी रूग्ण है और यह बीआईएफआर के संदर्भाधीन है। जुलाई, 2003 में बीआईएफआर ने आरएण्डसी को बंद करने का आदेश पारित किया। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का उत्पादन 26.89 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.14 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल) को वर्ष 1965 में समामेलित किया गया था। कंपनी के पास इस्पात के भारी ढांचों जैसे विद्युत पारेषण, संचार और टेलीविजन प्रसारण के लिए ऊंचे टावरों और मास्ट, हाइड्रोमेकैनिकल उपकरणों, प्रेशर वेसल्स आदि के विनिर्माण की सुविधा है। कंपनी अप्रैल, 1987 में बीवाईएनएल की सहायक कंपनी बन गई। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

टी.एस.एल. द्वारा निर्मित 143 मीटर सिंगल स्पेन इस्पात का पुल

4.15 तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

कंपनी की स्थापना कर्नाटक और आंध्रप्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में वर्ष 1960 में की गई थी। तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपी) अप्रैल, 1987 में बीवाईएनएल की एक सहायक कंपनी बनी। कंपनी के पास हाइड्रॉलिक ढांचों, जलकपाटों (पेनस्टॉक), इमारतों के ढांचे, ट्रांसमिशन लाइन टावरों, ईओटी तथा गैन्ट्री क्रेनों आदि की डिजाइन, विनिर्माण और स्थापना की सुविधा है। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का उत्पादन 4.50 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

टी.एस.पी.एल. द्वारा सुबर्णरेखा बहुप्रयोजनीय परियोजना के लिए 4 रेडियल द्वार

एच.सी.एल., रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल) में केबल विनिर्माण सुविधाएं

4.16 हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) की स्थापना वर्ष 1952 में देश की पहली दूरसंचार केबल विनिर्माता इकाई के रूप में की गई थी। कंपनी की इकाइयां रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल, नैनी, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश और हैदराबाद, आंध्रप्रदेश में हैं।

कंपनी के पास व्यापक मात्रा में दूरसंचार केबल और तारों का विनिर्माण की सुविधा है और रेलवे, रक्षा, संचार आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। एचसीएल रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.17 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) रांची को लोहा और इस्पात उद्योग और खनन, धातुकर्म आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र के लिए उपकरणों और मशीनरी की डिजाइन तथा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्राथमिक उद्देश्य से दिसम्बर, 1958 में समामेलित किया गया था। इसकी तीन विनिर्माण इकाइयां है, यथा हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एचएमबीपी), हैवी मशीन टूल प्लांट (एचएमटीपी) और फाऊंड्री फोर्ज प्लांट (एफएफपी)। कंपनी इस्पात संयंत्रों के लिए बड़े पैमाने पर उपस्कर, वैगन टिप्लर्स और इओटी क्रेनों जैसे सामग्री प्रहस्तन उपस्कर, सीएनसी मशीन टूल्स और विशेष प्रयोजन मशीन टूल्स, विभिन्न प्रकार के कास्टिंग, फोर्जिंग और रोल्स संहित हैवी मशीन टूल्स का विनिर्माण करती है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और एक पुनरुत्थान/पुनगर्ठन योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का उत्पादन 210.43 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.18 एचएमटी लिमिटेड (ट्रैक्टर डिवीजन सहित धारक कंपनी)

एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर की स्थापना मशीन टूल्स, घड़ियों, ट्रैक्टरों, छपाई मशीनों, विशेष प्रयोजन मशीनों, प्रेस और डेयरी मशीनरी के विनिर्माण की सुविधाओं के साथ वर्ष 1953 में की गई थी।

सरकार द्वारा जुलाई, 2000 में अनुमोदित कंपनी की आमूल-चूल परिवर्तन की योजना में व्यवसाय समूहों को चार नए अलग-अलग सहायक कंपनियों में बदलकर संगठनात्मक पुनर्गठन की संकल्पना की गई है। कंपनी को ट्रैक्टर व्यवसाय अपने पास रखते हुए एचएमटी लिमिटेड (धारक

कंपनी), एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी वाचेज लिमिटेड और एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां यथा एचएमटी (इंटरनेशनल) और एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड और एक आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी प्रागा टूल्स लिमिटेड हैं।

एचएमटी के ट्रैक्टर प्रभाग ने पिंजोर, हरियाणा में स्थापित विनिर्माण संयंत्र में ट्रैक्टर के विनिर्माण से अपना प्रचालन वर्ष 1971 में प्रारंभ किया।

एचएमटी धारक कंपनी (ट्रैक्टर प्रभाग) का वर्ष 2005-06 के दौरान उत्पादन 302.61 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.19 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

भारत में मशीन टूल्स उद्योग में अग्रणी और विविध प्रकार के उत्पादों के विनिर्माता एचएमटी लिमिटेड ने ''एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड'' नामक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को वर्ष 1999 में समामेलित किया है। इसकी विभिन्न स्थानों पर विनिर्माण इकाइयां हैं। एचएमटी-एमटी लिमिटेड की सभी विनिर्माण इकाइयां आईएसओ-9001 प्रमाणित हैं। वर्ष 2005-06 में कंपनी का उत्पादन 280.00 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

एच.एम.टी. (एम.टी.) लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 अक्षीय सी.एन.सी. मिलिंग मशीन

4.20 एचएमटी वाचेज लिमिटेड

एचएमटी वाचेज लिमिटेड मैकेनिकल और क्वार्ट्ज घड़ियों का विनिर्माण करती है।

कंपनी की बंगलौर, तुमकुर और रानीबाग में 3 विनिर्माण इकाइयां हैं। इसकी सभी विनिर्माण इकाइयों को आईएसओ-9001 प्रमाणीकरण प्राप्त है।

एचएमटी वाचेज लिमिटेड की उत्पाद श्रृंखला बाजार के विभिन्न वर्गों की मांग पूरी करती है। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का उत्पादन 62.00 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.21 एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड

एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड मैकेनिकल घड़ियां बनाती है। कंपनी की श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एक विनिर्माण इकाई और जम्मू में एक एकत्रण (असेम्बली) इकाई है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय जम्मू में स्थित है। वर्ष 2005-06 में कंपनी का उत्पादन 2.64 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है क्योंकि यह घाटा उठाती रही है।

4.22 प्रागा टूल्स लिमिटेड

प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल), सिकन्दराबाद को मूलत: एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में वर्ष 1943 में समामेलित किया गया था। यह कंपनी वर्ष

1959 में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बनी। फरवरी, 1988 में जब इसकी 51% शेयर पूंजी एचएमटी लिमिटेड के नाम हस्तांरित की गई तब यह उसकी सहायक कंपनी बन गई।

कंपनी विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स अर्थात सीएनसी कटर और टूल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर, सीएनसी मिलिंग मशीन, थ्रेड रोलिंग मशीन, जिंग बोरिंग मशीन और सीएनसी जिग बोरिंग मशीन आदि का विनिर्माण करती रही है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और पीटीएल के लिए एक पुनरुत्थान/पुनर्गठन योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का उत्पादन 14.56 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.23 एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड

एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड (भूतपूर्व इंडो-निपॉन प्रेसिजन बियरिंग्स) की स्थापना वर्ष 1964 में सरकारी क्षेत्र की कंपनी के रूप में की गई थी। वर्ष 1981 में यह एचएमटी लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बनी। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड के लिए एक पुनरुत्थान पुनर्गठन योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का उत्पादन 40.00 करोड़ रुपये होना पूर्वानुमानित है।

एच.एम.टी. (बेयरिंग्स) संयंत्र

4.24 एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड की स्थापना दिसम्बर, 1974 में मूल कंपनी, एचएमटी लिमिटेड के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में की गई थी। इसके द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में यंत्र और उपकरण, घड़ियां और उनसे संबंधित अन्य उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 51.00 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.25 इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आईएलके) की स्थापना 1964 में गयी थी। इसकी तीन उत्पादन इकाइयां हैं, जो कोटा (राजस्थान), जयपुर (राजस्थान) और पलक्कड़ (केरल) में हैं। जयपुर में इसकी एक सहायक कंपनी मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड भी कार्य कर रही है। कंपनी माइक्रो प्रोसेसर आधारित एवं डिजीटल वितरित नियंत्रण प्रणाली, उन्नत ट्रांसमिटरों, दोष सहय नियंत्रण प्रणालियों, रेलवे संकेत प्रणालियों और दूरसंचार उपस्करों के विनिर्माण के कार्य में लगी है।

वर्ष 2005-06 के दौरान आईएलके का उत्पादन 200.00 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.26 राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एवं इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) का गठन इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा और रीको के संयुक्त उद्यम के रूप में इलेक्ट्रानिक मिल्क टेस्टर (ई.एम.टी.) का विभिन्न दुग्ध संयंत्रों/डेरियों, दुग्ध

आर.ई.आई.एल. द्वारा निर्मित सौर ऊर्जा चालित इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध परीक्षण उपस्कर

शीतलन संयंत्रों और गांवों की सहकारी समितियों के लिए निर्माण और आपूर्ति करने के लिए 1981 में किया गया था। कंपनी ने सौर फोटो वोल्टिक माडयूल्स/प्रणाली, इलेक्ट्रानिक ऊर्जा मीटरों और सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए अपने उत्पाद रेंज का विविधीकरण किया है। कंपनी आईएल की एक सहायक कंपनी है, जो इसकी इक्विटी का 51% धारित करती है। इक्विटी का शेष 49% रिको, राजस्थान सरकार द्वारा धारित किया जा रहा है। अपने वित्तीय कार्यनिष्पादन के कारण सरकारी क्षेत्र के उद्यम ने ''मिनीरत्न'' का स्तर प्राप्त किया है। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का उत्पादन 48 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.27 नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

नेशनल इन्सट्रूमेंट्स लिमिटेड (एनआईएल) को तत्कालीन उत्पादन और आपूर्ति मंत्रालय के अधीन एक विभागीय कार्यशाला नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी की सम्पत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के बाद 1957 में समामेलित किया गया था। कंपनी के पास रात में देखने में काम आने वाले उपकरणों सहित गैस मीटर, कैमरा, प्रैशर व वैक्यूम गेज सहित सर्वेक्षण के लिए कई प्रकार के आप्टिकल और आप्टो इलेक्ट्रानिक उपकरणों का विनिर्माण करने की सुविधाएं हैं। कंपनी रूग्ण हो गई और उसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.28 स्कूटर्स (इंडिया) लिमिटेड

भारत सरकार के उपक्रम के रूप में स्कूटर्स (इंडिया) लिमिटेड (एसआईएल) को 1972 में समामेलित किया गया था। वर्तमान में, लखनऊ स्थित इसके कारखाने में तिपहिये वाहनों का विनिर्माण होता है। कंपनी रूग्ण हो गई और वह बीआईएफआर को संदर्भित की गई थी। कंपनी ने अपने निष्पादन में आमूल-चूल परिवर्तन किया है और लगातार पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने लाभ दर्शाया है। कंपनी के कार्यनिष्पादन में सुधार होने से यह बीआईएफआर के विचार क्षेत्र से बाहर आ गई है। वर्ष 2005-2006 के दौरान कंपनी द्वारा 155.49 करोड़ रुपए का उत्पादन प्राप्त करना संभावित है।

4.29 भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड

भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) की स्थापना नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड से दुर्गापुर स्थित ऑप्थाल्मिक ग्लास संयंत्र का अधिग्रहण कर, 1972 में की गई थी। कंपनी के पास ऑप्थाल्मिक ब्लैंक फ्लिंट बटन, आप्टिकल ग्लास, खिड़कियों के लिए विकिरण रोकने वाले शीशे और अन्य विशेष किस्म का ऑप्टिकल ग्लास के विनिर्माण की सुविधाएं है। कंपनी रूग्ण हो गई है और बीआईएफआर को भेजी गई थी। बीआईएफआर ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है। कंपनी का प्रचालन मार्च, 2003 से बंद हो गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.30 सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) का गठन सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और क्षेत्रीय असंतुलन हटाने के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य से, 1965 में किया गया था। 8 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इसकी 10 इकाइयां हैं, जो छतीसगढ़ में मांढर, अकलतरा,

मध्य प्रदेश में नयागांव; कर्नाटक में कुरकुंटा; असम में बोकाजन; हिमाचल प्रदेश में राजबन; आंध्र प्रदेश में अदिलाबाद और तांदुर; तथा हरियाणा में चरखी दादरी में है तथा दिल्ली में इसकी पिसाई इकाई कार्य कर रही है।

इसकी 10 में से 7 इकाइयां विभिन्न कारणों से प्रचालन में नही हैं। कंपनी दिनांक 8.8.1996 को रूग्ण हो गई और उसे बीआईएफआर को भेजा गया था। चालू इकाइयों में वर्ष 2005-06 के लिए उत्पादन 189.45 करोड़ रुपए का होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.31 हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड

1970 में समामेलित हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच पी सी) कागज, गत्ता, क्राफ्ट पेपर और अखबारी कागज के उत्पादन में लगी हुई है। एचपीसी एक धारक कंपनी है और इसकी नीचे दिए गए अनुसार 2 सहायक कंपनियां और 2 प्रमुख समन्वित कागज व लुगदी मिलें हैं।

एचपीसी की सहायक कंपनियां

क) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

ख) नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी)

एचपीसी की इकाइयां

(i) नौगांव पेपर मिल्स (एन पी एम)

(ii) कछार पेपर मिल्स (सीपीएम)

कंपनी पिछले कुछ वर्षों से लाभ अर्जित करती रही है तथापि कंपनी का पिछला संग्रहित घाटा शीघ्र ही समाप्त होना संभावित है। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का उत्पादन (एनपीएम और सीवीएम) 616.03 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.32 नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड

नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन की एक सहायक कंपनी है। एचपीसी के पास कंपनी के 94.78 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, जबकि नागालैंड सरकार शेष 5.22 प्रतिशत शेयरों की स्वामी है। संयंत्र में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। बीआईएफआर ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है तथापि, राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है।

4.33 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) को मूलत: एचपीसी की एक इकाई के रूप में आरम्भ किया गया था बाद में, इस इकाई को अगस्त, 1983 में एचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में बदल दिया गया। यह मिल केरल में स्थित है तथा अखबारी कागज के निर्माण में लगी हुई है और इसकी वार्षिक क्षमता 1 लाख मी. टन है। कंपनी को एक डी-इंकिंग संयंत्र है, जिसने वन्य संसाधनों पर इसकी निर्भरता कम कम कर दी है। वर्ष 2005-06 के दौरान उत्पादन 294.88 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.34 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ) की स्थापना 1960 में की गई थी। कंपनी के दो उत्पादन संयंत्र-मुख्य फैक्ट्री ऊटकमंड में और एक संयंत्र चेन्नई के पास अम्बातूर में हैं। कंपनी के पास सिने फिल्म पाजिटिव (श्वेत-श्याम), सिने फिल्म साउंड निगेटिव, मेडिकल एक्स-रे फिल्म, फोटोग्राफी का कागज और शौकिया फोटोग्राफी करने वालों के लिए श्वेत-श्याम फिल्मों के विनिर्माण की सुविधाएं हैं। कंपनी रूग्ण है तथा उसे बीआईएफआर को भेजा गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का उत्पादन 13.50 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.35 हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

वर्ष 1959 में स्थापित हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) अपनी तीन इकाइयों खारागोडा, गुजरात, मंडी, हिमाचल प्रदेश और रामनगर, उत्तर प्रदेश में साधारण नमक और नमक से बनने वाले रसायनों का उत्पादन करती है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर को भेजा गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान इसका उत्पादन 13.90 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की गई थी और एक पुनर्गठन/पुनरुत्थान योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है।

4.36 सांभर साल्ट्स लिमिटेड

सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। इसकी प्रदत्त पूंजी एक करोड़ रुपए है, जिसका 60 प्रतिशत हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड और बाकी 40 प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा अंशदान किया गया है। कंपनी खाने और औद्योगिक इस्तेमाल का नमक बनाने के साथ नमक पर आधारित रसायनों का निर्माण कर रही है। वर्ष 2005-06 के दौरान इसका उत्पादन 7.98 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.37 नेपा लिमिटेड

भूतपूर्व नेशनल न्यूजप्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात नेपा लिमिटेड (एनईपीए) 1947 में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। बाद में अक्तूबर, 1949 में राज्य सरकार ने इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। वर्ष 1959 में केन्द्र सरकार ने इसके ऋणों को इक्विटी में बदल कर इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और यह केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम बन गई। कंपनी कागज और अखबारी कागज और कागज का उत्पादन करती है। कंपनी रूग्ण हो गई और उसे बीआईएफआर को भेजा गया है। बीआईएफआर की अंतिम सिफारिशों की प्रतीक्षा है। कंपनी की समीक्षा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में की जा रही है।

वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का उत्पादन 69.11 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.38 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को दो रूग्ण कंपनियों यथा मैसर्स इन्चेक टायर्स लिमिटेड और मैसर्स नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 1984 में समामेलित किया गया था। कंपनी की काकीनाड़ा और टांगड़ा में इकाइयां हैं, जो आटोमोबाइल के टायरों का विनिर्माण करती है। कंपनी रुग्ण हो गई है और यह बीआईएफआर के विचाराधीन है। सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति के बाद कंपनी की टांगड़ा इकाई बंद कर दी गई है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अधीन सरकारी क्षेत्र की नीति के आलोक में कंपनी की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का उत्पादन 139.06 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.39 भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड

भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड (बीएलसी) का गठन, 1976 में हुआ था, ताकि कंपनी चमड़े के सामान और जूतों आदि की खरीद और विपणन जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों के अलावा प्रोत्साहन और विकास संबंधी कार्य कर सके। कंपनी के सभी कर्मचारियों ने सरकार की वित्तीय सहायता से अप्रैल 2001 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ ले लिया है। बीएलसी द्वारा दाखिल एक

ई.पी.आई. द्वारा निर्मित फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम

याचिका के बदले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया है और सितम्बर, 2005 में एक परिसमापक नियुक्त किया गया है।

4.40 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (ईपीआई) परियोजनाओं के ठेके पूरे करके देने वाली प्रमुख कंपनी है, जिसे 1970 में समामेलित किया गया था। कंपनी का प्रचालन क्षेत्र व्यापक है और इसके दायरे में सिविल और संरचनातमक इंजीनियरी सामग्री प्रहस्तन, धातुकर्म, पेट्रोरसायन, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण आदि से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2001 में कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन के बाद कंपनी में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और इसने लाभ अर्जित किया है। कंपनी ने 26 वर्ष के अंतराल के बाद वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए इक्विटी पर 10% का लाभांश घोषित किया। वर्ष 2004-2005 के लिए भी कंपनी ने इक्विटी पर 15% का लाभांश घोषित किया है। वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 611.30 करोड़ रुपए होना पूर्वानुमानित है।

4.41 नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनआईडीसी) की स्थापना सरकार ने 1954 में की थी। कंपनी सिविल इंजीनियरिंग परियोजना, औद्योगिक बस्तियों, जल आपूर्ति एवं शोधन, पुनर्गठन, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि के क्षेत्र में परामर्शी सुविधाएं उपलब्ध कराती रही है। कंपनी पिछले कुछ वर्षों से घाटा उठा रही है और अपना प्रचालन बनाए रखने में समर्थ नहीं रही है। इसलिए सरकार ने अप्रैल, 2002 में कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया। कंपनी के सभी कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया। बंद करने की प्रक्रिमा दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रारंभ हुई। न्यायालय ने दिनांक 13.1.2005 को कंपनी को बंद करने का आदेश दिया और सरकारी परिसमापक नियुक्त किया।

भारी विद्युत उद्योग और अन्य औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र

5.1 भारी विद्युत उद्योग

5.1 भारी विद्युत उद्योग विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और उपयोगिता उपस्कर शामिल करता है। इनमें टर्बो जेनरेटर्स, बॉयलर, विभिन्न प्रकार के टर्बाइन, ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर और अन्य संबद्ध मदें शामिल हैं। विद्युत उत्पादन उपस्कर की मांग विद्युत विकास कार्यक्रमों/उत्पादन लक्ष्यों पर निर्भर करती हैं। दसवीं और ग्यारहवी योजनावधि के दौरान अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 1,00,000 मेगावाट है अर्थात प्रतिवर्ष लगभग 10,000 मेगावाट की वृद्धि है। स्थापित किए जाने वाले नए विद्युत संयंत्र भारी विद्युत उपस्कर के लिए पर्याप्त मांग सृजित करेंगे। यह उल्लेख किया जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रचालनरत उपस्करों का बड़ा भाग भारतीय विद्युत उद्योग द्वारा उत्पादित, संस्थापित और चालू किया गया है।

ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर आदि जैसे विद्युत उपस्कर का प्रयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। कुछ मुख्य क्षेत्र जहां इनका प्रयोग किया जाता है वे परमाणु विद्युत स्टेशन सहित विद्युत उत्पादन करने वाली करोड़ों रुपए की विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स, रसायन संयंत्र, एकीकृत इस्पात संयंत्र, अलौह धातु इकाइयां आदि हैं। यह उद्योग वर्तमान प्रौद्योगिकी का उन्नयन करता रहा है और यह अब निर्यात बाजारों के लिए भी टर्नकी संविदाएं लेने में सक्षम है। उद्योग को अब लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ विदेशी सहायोग की भी अनुमति है।

भारी विद्युत उपस्कर के लिए एक सुदृढ़ विनिर्माण आधार स्थापित किया जा चुका है और उद्योग की मौजूदा संस्थापित क्षमता प्रतिवर्ष थर्मल का 4500 मेगावाट, जल विद्युत का 1345 मेगावाट और गैस आधारित विद्युत उत्पादन उपस्कर का लगभग 250 मेगावाट है। भारतीय भारी विद्युत उद्योग परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अपेक्षित उपस्कर के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए भी सक्षम है। देश की विद्युत उत्पादन क्षमता में भारतीय उद्योग का वर्तमान हिस्सा लगभग 66% है।

भारी विद्युत उद्योग 400 केवी एसी और हाईवोल्टेज डीसी तक पारेषण और वितरण में काम आने वाले उपस्कर का विनिर्माण करने में सक्षम है। उद्योग ने 765 केवी की अगली उच्चतर वोल्टेज प्रणाली में पारेषण के उन्नयन का कार्य हाथ में लिया है और 765 केवी श्रेणी के ट्रांसफॉर्मर,

रिएक्टर, सीटीएस, सीवीटी, बुशिंग और इन्सुलेटर आदि की आपूर्ति करने के लिए अपनी विनिर्माण सुविधाओं का उन्नयन किया है। इस्पात संयंत्रों, पेट्रो-रसायन काम्पलेक्सों और ऐसे ही अन्य भारी उद्योगों में काम आने वाले बड़े विद्युत उपस्कर का विनिर्माण भी देश में किया जा रहा है।

घरेलू भारी विद्युत उपस्कर के विनिर्माता उत्पाद डिजाइन और विनिर्माण तथा परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन के संबंध में वैश्विक बाजार में हुए विकास का प्रयोग कर रहे हैं।

भारी विद्युत उद्योग के अधीन शामिल एक प्रास्थिति रिपोर्ट नीचे दी गई है:-

5.2 टर्बाइन और जेनरेटर सेट

विभिन्न किस्म के टर्बाइनों, जैसे औद्योगिक टर्बाइनों सहित स्टीम और हाइड्रो टर्बाइनों के विनिर्माण के लिए स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 7000 मेगावाट से अधिक है। सरकारी क्षेत्र की इकाई 'भेल', जिसकी स्थापित क्षमता सबसे अधिक है, के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी ऐसी इकाइयां हैं, जो विद्युत उत्पादन और औद्योगिक उपयोग के लिए स्टीम और हाइड्रो टर्बाइनों का विनिर्माण कर रही हैं। 'भेल' के विनिर्माण की सीमा में 660 मेगावाट यूनिट तक के स्टीम टर्बाइन शामिल हैं और 1000 मेगावाट यूनिट आकार के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनके पास 260 मेगावाट (आईएसओ) तक क्षमता वाली गैस टर्बाइनों और उद्योग तथा संगठनों के अनुप्रयोग के लिए गैस टर्बाइन आधारित सह-उत्पादन और संयुक्त चक्रीय प्रणालियों के विनिर्माण के लिए क्षमता है। समतुल्य जेनरेटरों के साथ केपलान, फ्रांसिस और पेल्टन किस्म के प्रथागत-निर्मित पारम्परिक हाइड्रो टर्बाइन भी देशी रूप से उपलब्ध हैं।

भारत में विनिर्मित एसी जेनरेटर अंतर्राष्ट्रीय एसी जेनरेटर के समान हैं, जो निष्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत प्रदान करते हैं। घरेलू विनिर्माता 0.5 केवीए से 25000 केवीए और उससे ऊपर विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी के साथ एसी जेनरेटर के विनिर्माण में सक्षम है।

भेल हैदराबाद में एसेम्बली बेड पर गैस टर्बाइन रोटर

वर्ष 2004-2005 के दौरान आयात और निर्यात क्रमश: 1675.98 करोड़ रुपए और 589.96 करोड़ रुपए का है।

5.3 बॉयलर

'भेल' देश में बॉयलर का सबसे बड़ा विनिर्माता (60% से अधिक हिस्से सहित) है और यूटीलिटी बॉयलरों और औद्योगिक बॉयलरों के अतिरिक्त सुपर थर्मल विद्युत संयत्रों के लिए बॉयलर के विनिर्माण के लिए इसके पास क्षमता है। उद्योग के पास 1000 मेगावाट के यूनिट आकार तक सुपर क्रिटिकल पैरामीटर के साथ बॉयलर विनिर्माण की क्षमता है। घरेलू उद्योग के पास बॉयलरों की देशी आवश्यकता/मांग को पूरा करने की क्षमता है।

वर्ष 2004-05 के दौरान आयात और निर्यात क्रमश: 74.19 करोड़ रुपए और 223.90 करोड़ रुपए का है।

5.4 ट्रांसफॉर्मर्स

घरेलू ट्रांसफॉर्मर उद्योग अत्याधुनिक उपस्कर प्रदान करने की क्षमता के साथ सुसज्जित है। उद्योग के पास आरईसी रेटिंग के 25/53/100 केवीए और अतिरिक्त 400 केवी, 600 एमवीए की हाई वोल्टेज रेंज सहित विद्युत और वितरण ट्रांसफॉर्मरों की संपूर्ण रेंज के विनिर्माण की क्षमता है। फर्नेस, रेक्टिफायर्स विद्युत ट्रैक्ट आदि के लिए अपेक्षित ट्रांसफॉर्मरों की विशेष किस्मों तथा सीरिज और शंट रिएक्टरों और साथ ही 500 केवी तक एचबीडीसी ट्रांसमिशन का विनिर्माण भी देश में किया जा रहा है।

वर्ष 2004-05 के दौरान आयात और निर्यात 1277.91 करोड़ रुपए और 898.32 का रहा।

5.5 स्विचगियर और कंट्रोल गियर

भारत में बल्क ऑयल, न्यूनतम ऑयल, एयर ब्लास्ट, वैक्यूम से लेकर सल्फर हेक्साफ्लोराइड (एसएफ 6) तक संपूर्ण रेजों के सर्किट ब्रेकरों का विनिर्माण मानक विशिष्टियों के साथ ग्राहकों के लाभ के लिए किया जाता है। उत्पादों के रेंज में 240 वोल्ट से 800 के. वोल्ट तक की संपूर्ण वोल्टता रेंज शामिल है। स्विचगियर और कंट्रोल गियर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स (एमसीबी), एयर सर्किट ब्रेकरों, स्विचों, रीवायरबेल फ्यूजों और हाई रपचर कैपेसिटी (एचआरसी) फ्यूजों तथा उनके संबंधित फ्यूज बेस, होल्डर्स और स्टार्टर्स का विनिर्माण किया जाता है। उद्योग डिजाइन और इंजीनियरी के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी है क्योंकि देश में उपलब्ध कौशल संबंधी सेट अपेक्षतया सस्ते हैं।

वर्ष 2004-05 के दौरान आयात और निर्यात क्रमश: 1250.74 करोड़ रुपए और 718.53 करोड़ रुपए का है।

5.6

विगत तीन वर्षों में उपरोक्त क्षेत्र में उत्पादन आंकड़े निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	उत्पाद	2002-03	2003-04	2004-05
1.	टर्बाइन और जेनरेटर	1287	1320	1356
2.	बॉयलर	1623	1814	2014
3.	ट्रांसफॉर्मर्स	273	303	369
4.	स्विचगियर और कंटोल गियर	130	158	189

5.7 विद्युत भट्ठी

विद्युत भट्ठियों का प्रयोग फोर्जिंग और फाउंड्री, मशीन टूल्स, आटोमोबाइल आदि धात्विक और इंजीनियरी उद्योगों में किया जाता है। इन उत्पादों के उत्पादन के लिए पर्याप्त क्षमता हासिल कर ली गई है। वर्ष 2004-05 के दौरान आयात और निर्यात क्रमश: 161.91 करोड़ रुपए और 60.92 करोड़ रुपए का रहा।

5.8 शंटिंग लोकोमोटिव

शंटिंग लोकोमोटिव का प्रयोग रेलवे, इस्पात संयंत्रों, थर्मल विद्युत संयंत्रों आदि द्वारा स्थानीय/आंतरिक परिवहन सुविधाओं के लिए किया जाता है। अन्यों के अतिरिक्त 'भेल' की झांसी इकाई ऐसे लोकोमोटिव का विनिर्माण कर रही है। घरेलू मांग की पूर्ति के लिए संस्थापित क्षमता पर्याप्त है।

5.9 भारी इंजीनियरी और मशीन टूल उद्योग

5.9.1 टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग

भारतीय टेक्सटाइल मशीनरी विनिर्माता संघटकों, अतिरिक्त पुर्जों और सहायक उपकरणों के साथ छंटाई, रस्सी बनाने, धागों/फैब्रिक्स के प्रसंस्करण और बुनाई के लिए अपेक्षित टैक्सटाइल मशीनरी का विनिर्माण कर रहे हैं। मशीनरी और अतिरिक्त पुर्जो के विनिर्माण में 600 से अधिक इकाइयां लगी हुई हैं जिनमें से लगभग 100 इकाइयां संपूर्ण मशीनरी का विनिर्माण कर रही है।

यह उद्योग बहु-फाइबर करार (एमएफए) पश्च के निर्यात लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित मशीनों की आपूर्ति का अवसर प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है।

1500 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश और प्रति वर्ष 3050 करोड़ रुपए की संस्थापित क्षमता से उनका चालू उत्पादन तथा साथ ही निर्यात निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
2002-03	1175	406
2003-04	1339	535
2004-05	1685	457

5.9.2 सीमेंट मशीनरी उद्योग

सीमेंट मशीनरी उद्योग ड्राई प्रोसेसिंग और प्रि कैलसिनेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर 7500 टीपीडी क्षमता तक पूर्ण सीमेंट संयंत्रों का विनिर्माण और उसकी आपूर्ति कर रहा है। आधुनिक सीमेंट संयंत्रों की डिजाइन यह ध्यान में रखकर तैयार की जाती है कि उत्पादन शुरू करने में बिल्कुल समय नहीं लगे, उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाला हो और सीमेंट उत्पादन की प्रति इकाई कम से कम ऊर्जा की खपत के साथ अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। पूर्ण सीमेंट संयंत्र मशीनरी के विनिर्माण के लिए वर्तमान में संगठित क्षेत्र में 18 इकाइयां कार्यरत है। उद्योग सीमेंट

मशीनरी की घरेलू मांग पूरी करने के लिए पूर्णत: सक्षम है। वर्तमान स्थापित क्षमता का मूल्य 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आंका गया है।

(करोड़ रुपए)

	2002-03	2003-04	2004-05
आयात	1.30	शून्य	शून्य
निर्यात	3.05	शून्य	शून्य

5.9.3 चीनी मशीनरी उद्योग

घरेलू विनिर्माता वैश्विक परिदृश्य में प्रमुख स्थान रखते हैं। वे 10,000 टीसीडी (टन क्रशिंग प्रतिदिन) तक क्षमता वाले अद्यतन डिजाइन के चीनी संयंत्रों के विनिर्माण की दक्षता रखते है। इस समय संगठित क्षेत्र में पूर्ण चीनी संयंत्रों और संघटकों का विनिर्माण करने वाली 27 इकाइयां हैं, जिनकी संस्थापित क्षमता 200 करोड़ रुपए है।

विनिर्माता अद्यतन डिजाइन वाले संपूर्ण संयंत्र की संकल्पना से लेकर चालू करने तक डिजाइन और विनिर्माण कर सकते है।

(रुपए लाख)

	2002-03	2003-04	2004-05
आयात	1.70	427	1259
निर्यात	852	1139	2682

5.9.4 रबड़ मशीनरी उद्योग

मुख्यत: टायर/ट्यूब उद्योग के लिए अपेक्षित रबड़ मशीनरी के विनिर्माण में संगठित क्षेत्र के तहत 19 इकाइयां कार्यरत हैं। देश में विनिर्मित उपकरणों में इंटर-मिक्सर, टायर-क्योरिंग प्रेसेज, ट्यूब स्पिलिसर्स ब्लेडर क्योरिंग प्रेसेज, टायर, माउल्डस, टायर बिल्डिंग मशीन, टर्नेट सर्विसर, बायर्स कटर्स, रबड़ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, बीड वायर आदि शामिल हैं। उच्च गति वाले कैलेंडरिंग लाइन विशेषकर हैवी अर्थमूविंग उपस्कर के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी में अंतर है।

पूर्व में उद्योग ने टायर ट्यून क्यूरिंग प्रेसेज, ट्यूब स्पिलिसर्स आदि के लिए सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में निर्यात आदेश प्राप्त किए हैं।

(करोड़ रुपए)

	2002-03	2003-04	2004-05
आयात	12.81	25.91	36.95
निर्यात	15.25	22.29	46.15

5.9.5 सामग्री प्रहस्तन उपस्कर उद्योग

विनिर्मित उपस्करों के रेंज में क्रशिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र, कोयला/अयस्क/राख प्रहस्तन संयंत्र और स्टेकर्स, रिक्लेमर्स, शिप लोडर्स/अनलोडर्स, वैगन टिप्लर्स, फीडर आदि जैसे संबद्ध उपस्कर शामिल हैं, जो कोयला, सीमेंट, विद्युत, पत्तन, खनन, उर्वरक और इस्पात संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों की बढ़ती हुई और तेजी से परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।

सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के विनिर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में 50 इकाइयां हैं। संगठित क्षेत्र में इकाइयों के अतिरिक्त, सामग्री प्रहस्तत उपस्करों और उसके संघटकों का विनिर्माण कर रही लघु उद्योग क्षेत्र में प्रचालनरत कई इकाइयां हैं। यह उद्योग घरेलू मांग की पूर्ति करने में कमोवेश आत्मनिर्भर है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पूरी करने में सक्षम है।

(करोड़ रुपए)

	2002-03	2003-04	2004-05
आयात	175.96	242.58	261.44
निर्यात	22.21	41.54	80.16

5.9.6 ऑयल फील्ड उपस्कर

भारत में पेट्रोलियम उद्योग में भारी परिवर्तन हो रहे हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया के जारी रहते उद्योग को सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे तेल की खोज, उत्पादन, शोधन और

विपणन को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है, इसके परिणामस्वरूप ऑयल फील्ड और संबंधित उपकरणों की मांग में निरन्तर वृद्धि हुई है। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड चार्टर किराया आधार पर इनके प्रयोक्ता हैं।

घरेलू विनिर्माता तटीय खुदाई के लिए ड्रिलिंग रिग्स का विनिर्माण कर रहे हैं। अपतटीय ड्रिलिंग, जैसे जैक-अप रिग्स आदि का देश में विनिर्माण नहीं किया जा रहा है। तथापि, अपतटीय प्लेटफार्मों और कुछ अन्य प्रौद्योगिकीय ढांचों का स्थानीय तौर पर उत्पादन किया जाता है। प्रमुख उत्पादकों में भेल, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, मझगांव डॉक और बर्न एंड कम्पनी हैं।

(करोड़ रुपए)

	2002-03	2003-04	2004-05
आयात	63.03	142.49	638.20
निर्यात	15.56	165.81	300.47

5.9.7 धातुकर्म मशीनरी

धातुकर्म मशीनरी में मिनरल बेनिफिकेशन, अयस्क ड्रेसिंग, साइज रिडक्शन, इस्पात संयंत्र उपस्कर, फाऊंड्री उपस्कर और भट्ठियां शामिल हैं। वर्तमान में संगठित क्षेत्र में धातुकर्म मशीनरी की विभिन्न किस्मों के विनिर्माण में लगी 39 इकाइयां हैं।

देश में इन उपस्करों की घरेलू मांग पूरी करने के लिए देश में वर्तमान उत्पादन क्षमता पर्याप्त है। तथापि, लौह और अलौह क्षेत्र में संयंत्रों और उपस्करों के लिए बुनियादी डिजाइन और इंजीनियरी में प्रौद्योगिकीय अंतराल है, जिसके लिए घरेलू विनिर्माता आयातित जानकारी पर निर्भर है। चूंकि लौह और अलौह धातु निर्माण की प्रक्रिया उपस्कर की डिजाइन से संबद्ध है इसलिए प्रक्रिया जानकारी डिजाइनकर्ताओं और उपस्कर विनिर्माताओं के बीच घनिष्ठ परस्पर संपर्क की आवश्यकता है।

देशी विनिर्माता इस्पात संयंत्रों के लिए आवश्यक ब्लास्ट फर्नेस, सिंटर संयंत्रों, कोक ओवन्स, स्टील मेल्टिंग शॉप उपस्कर, सतत कास्टिंग उपस्कर, रोलिंग मिल्स और फिनिशिंग लाइन जैसे अधिकतर उपस्कर की आपूर्ति करने की स्थिति में हैं।

(करोड़ रुपए)

	2002-03	2003-04	2004-05
आयात	244.18	495.28	454.40
निर्यात	267.96	434.23	370.70

5.9.8 खनन मशीनरी

प्रमुख खनन उपस्करों में लांगवाल खनन उपस्कर, रोड हैडर, साइड डिस्चार्ज लोडर (एसडीएल), होलेज वाइंडर, वेंटिलेशन फैन, लोड हौल डम्पर (एलएचडी), कोल कटर, कन्वेयर्स, बैटरी लोको, पंप्स, फ्रिक्शन प्रोप आदि शामिल हैं।

वर्तमान में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में 32 विनिर्माता हैं, जो विभिन्न प्रकार के भूमिगत और सतह पर काम आने वाले खनन उपस्करों के निर्माण में लगे हैं। इनमें से 17 इकाइयां भूमिगत खनन उपस्कर का विनिर्माण करती हैं।

खनन उद्योग को खनन उपस्करों की जो आवश्यकता पड़ती है, उसकी अधिकतर आपूर्ति देशी विनिर्माताओं द्वारा की जाती है। अत्याधुनिक उपस्करों के मामले में महत्वपूर्ण पुर्जों का आयात किया जा रहा है।

(करोड़ रुपए)

	2002-03	2003-04	2004-05
आयात	70.52	16.80	39.01
निर्यात	0.11	1.15	1.55

5.9.9 डेयरी मशीनरी उद्योग

वर्तमान में देशी विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित उपस्करों में स्टेनलेस स्टील डेयरी उपस्कर, इवेपेरेटर, मिल्क रेफ्रिजेरेटर और भंडारण टैंक, मिल्क और क्रीम डेओडोराइजर्स

सेंट्रिफ्यूजेज, क्लेरिफायर्स, एजिटेटर्स, होमोजेनाइजर्स, स्प्रे ड्रायर्स और हीट एक्सचेंजर (ट्यूबलर और प्लेट किस्म) आदि शामिल हैं। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के अधीन निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में डेयरी मशीनरी और उपस्कर का विनिर्माण करने वाली 16 इकाइयां है। मिल्क पाउडर संयंत्रों के लिए स्प्रे ड्रायर्स, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर और अन्य महत्वपूर्ण उपस्करों पर उच्च कोटि की पॉलिश की आवश्यकता पड़ती हैं क्योंकि अपर्याप्त पॉलिश के परिणामस्वरूप किसी भी माइक्रोक्रेविसेज के बचे रहने से बैक्टीरिया को सांस लेने या प्रजनन का आधार मिल सकता है।

लघु उद्योग क्षेत्र भी डेयरी उद्योग के लिए संरचित उपस्करों के देशी उत्पादन में योगदान दे रहा है। सेल्फ-क्लिनिंग क्रीम-सेपरेटर, ऐसेप्टिक प्रोसेसिंग सिस्टम आदि जैसे प्रहस्तन उपस्करों के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी अंतराल मौजूद है। दही (योगार्ट) और परम्परागत भारतीय मिष्ठान बनाने के लिए आवश्यक संयंत्र उपस्कर से संबद्ध प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में भी कमी पाई गई।

(करोड़ रुपए)

	2002-03	2003-04	2004-05
आयात	7.29	18.15	21.05
निर्यात	14.44	10.54	8.08

5.9.10 मशीन टूल उद्योग

मशीन टूल उद्योग, जो संपूर्ण औद्योगिक इंजीनियरी क्षेत्र का मेरुदंड है; आज यहां तक कि औद्योगिक रूप से उन्नत देशों को सामान्य प्रयोजन और मानक मशीन टूल का निर्यात करने की स्थिति में है। पिछले चार दशकों के दौरान भारत में मशीन टूल उद्योग ने सुदढ़ आधार स्थापित किया है और संगठित क्षेत्र में लगभग 150 मशीन टूल विनिर्माता और लघु सहायक उद्योग क्षेत्र में लगभग 300 इकाइयां भी हैं।

यद्पि भारतीय मशीन टूल विनिर्माता गुणवत्ता और प्रिसीजन के रूप मेंअंतर्राष्ट्रीय मानकों के सामान्य प्रयोजन मशीनों का उत्पादन करते हैं तथापि, उनमें उच्च प्रिसीजन वाले सीएनसी मशीनों का उत्पादन करने के लिए डिजाइन और इंजीनियरी दक्षता की कमी है। कुछ कंपनियों ने सीएनसी मशीनों का विनिर्माण प्रारंभ किया हैं, तथापि, इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का उन्नयन करने की आवश्यकता है।

भारतीय मशीन टूल्स गुणवत्ता/प्रिसीजन और विश्वसनीयता के अंतराष्ट्रीय मानकों के साथ विनिर्मित किए जाते हैं। आधुनिक मशीन टूल्स के इस क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी लाने के लिए कई सहयोग भी अनुमोदित किए गए हैं और उद्योग अब पारम्परिक तथा साथ ही एनसी/सीएनसी हाईटेक मशीन टूल्स का निर्यात कर रहा है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, (सीएमटीआई) बंगलौर मशीन टूल्स के उन्नयन और डिजाइन के लिए अनुसंधान करता रहा है। यह क्षेत्र लाइसेंसमुक्त है और आयात की भी अनुमति दी जाती है। विशेष प्रयोजन मशीनों और सीएनसी की कुछ श्रेणियों के लिए प्रौद्योगिकी की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के आयात को प्रोत्साहित किया जाता है।

(करोड़ रुपए)

	2002-03	2003-04	2004-05
उत्पादन	500.70	797.00	1089.04
आयात	450.80	965.00	1820.83
निर्यात	33.90	55.00	52.61

आटोमोटिव उद्योग

6 आटोमोटिव उद्योग की रूपरेखा

6.1 आटोमोटिव उद्योग वैश्विक रूप से तथा साथ ही भारत में विशालतम उद्योगों और अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में से एक है। अर्थव्यवस्था के कई भागों के साथ इसके गहरे अग्रगामी और पश्चगामी संपर्कों के कारण आटोमोटिव उद्योग का एक सुदृढ़ गुणक प्रभाव है और यह आर्थिक विकास का चालक बनने में सक्षम है। देश के तीव्र आर्थिक और औद्योगिक विकास में एक सुदृढ़ परिवहन प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुविकसित भारतीय आटोमोटिव उद्योग व्यापक किस्म के वाहनों: यात्री कार, हल्के, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन, जीप, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड, तिपहिए, ट्रैक्टर आदि जैसे बहु-उपयोगी वाहनों का उत्पादन करके उस उत्प्रेरक भूमिका को समर्थतापूर्वक पूरा करता है।

6.2 यद्यपि भारत में आटोमोटिव उद्योग लगभग छः दशकों पुराना है फिर भी वर्ष 1982 तक मोटर कार के क्षेत्र में केवल 3 विनिर्माता–मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स, मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स और मैसर्स स्टैंडर्ड मोटर्स थे। कम मात्रा होने के कारण यह लगातार पुरानी प्रौद्योगिकी अपनाता रहा और विश्व उद्योग की तुलना से बाहर था। वर्ष 1982 में मारूति उद्योग लिमिटेड को तत्कालीन माडलों का भारी मात्रा में उत्पादन स्थापित करने के लिए जापान की सुजुकी के साथ सहयोग से सरकार द्वारा स्थापित किया गया। वर्ष 1993 में लाइसेंस हटाए जाने के बाद 17 नए उद्यम स्थापित किए गए, जिनमें से 16 कार-विनिर्माता हैं। इस समय 15 यात्री कार और एमयूवी विनिर्माता, 9 वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता, दुपहिए के और तिपहिए के 14 और इंजनों के 5 विनिर्माता के अतिरिक्त 14 ट्रैक्टर विनिर्माता हैं।

6.3 आटोमोबाइल और आटो संघटक क्षेत्र वाले आटोमोटिव उद्योग ने लाइसेंसीकरण समाप्त होने और इस क्षेत्र को वर्ष 1993 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए मुक्त कर देने से अत्यधिक उन्नति दर्शाई है। उद्योग का वर्ष 2002–03 में 50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि का निवेश है। जिसके वर्ष 2007 तक बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए होना संभावित है। यह उद्योग 4.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और 1 करोड़ के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करता है। आटोमोटिव उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वर्ष 1992–93 में 2.77% से बढ़कर वर्ष 2003–04 में 5.7% हो गया है।

6.4 संस्थापित क्षमता

आटोमोटिव विनिर्माताओं ने वर्ष 1993 से प्रतिवर्ष 95 लाख से अधिक की सुदृढ़ विनिर्माण क्षमता प्रदर्शित की है। आज भारत विश्व में दुपहिए का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता, वाणिज्यिक वाहनों का पांचवां सबसे बड़ा विनिर्माता है और विश्व में ट्रैक्टरों का सर्वाधिक विनिर्माण करता है। देश आज एशिया में यात्री कार का चौथा सबसे बड़ा बाजार प्रदान करता है। दो दशक पूर्व वाहनों के कुछेक माडलों वाले आपूर्तिकर्ता चालित बाजार के पास ग्राहकों के विकल्पों के अनुरूप अब 150 मॉडल हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान आटोमोबाइल क्षेत्र की संस्थापित क्षमता निम्नानुसार थी:

क्रम सं.	खण्ड	संस्थापित क्षमता (संख्याओं में)
1.	चार पहिए वाले	1,590,000
2.	दुपहिए और तिपहिए	7,950,000
3.	**कुल योग**	**9,540,000**

6.5 वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान आटोमोबाइल उद्योग का कार्यनिष्पादन:

6.5.1 उत्पादन

भारत में सबसे बड़े उद्योगों में से एक आटोमोटिव उद्योग पिछले दो दशकों के दौरान प्रभावशाली वृद्धि देखता रहा है। वर्ष 1991 में लाइसेंसीकरण के समापन, स्वत: अनुमोदन की अनुमति देने और पिछले वर्षों में क्षेत्र के क्रमिक उदारीकरण ने इस उद्योग का चहुंमुखी विकास किया है। एक ओर उद्योग को प्रतिबंधात्मक वातावरण से मुक्त करने ने इसे पुनर्गठित होने, नई प्रौद्योगिकियां अपनाने, वैश्विक विकास के अनुरूप होने तथा अपनी क्षमता प्राप्त करने में सहायता की है और दूसरी ओर अपने देश में समग्र औद्योगिक विकास में उद्योग के अंशदान में भी वृद्धि की है। समग्र आटोमोबाइल क्षेत्र ने वर्ष 2004-05 में 16.80% की वृद्धि प्राप्त की। वर्ष 2005-2006 (अप्रैल-सितम्बर, 2005 तक) के दौरान उद्योग ने 15.86% की वृद्धि दर दर्ज की है। वर्ष 2004-05 और 2005-06 (अप्रैल-सितम्बर, 2005 तक) के दौरान वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(संख्या में)

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	उत्पादन	
		2004-05	**2005-06 (अप्रैल-सितम्बर, 05)**
1.	वाणिज्यिक वाहन	35,00,33	1,77,784
2.	कार	9,60,505	4,94,297
3.	बहु-उपयोगी वाहन	2,49,149	1,28,272
4.	दुपहिए	65,26,547	35,67,798
5.	तिपहिए	3,74,414	2,01,369
	योग	**84,60,648**	**45,69,520**

6.5.2 निर्यात

भारत का आटोमोटिव उद्योग अब संपूर्ण विश्व में वृद्धिकारी मान्यता प्राप्त कर रहा हैं और वाहनों तथा साथ ही संघटकों के निर्यात में शुरूआत की गई है। संघटक उद्योग के साथ आटोमोबाइल उद्योग देश के निर्यात प्रयास में भी योगदान कर रहा है। वर्ष 2003-2004 के दौरान आटोमोबाइल उद्योग के निर्यात ने 55.98% की वृद्धि दर दर्ज की जबकि यह वर्ष 2004-05 में 31.25% थी। वर्ष 2004-2005

और 2005-06 (अप्रैल-सितम्बर, 2005 तक) के दौरान निर्यातों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं:

(संख्या में)

क्रम सं.	निर्यात	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितम्बर, 05)
1.	वाणिज्यिक वाहन	2,99,49	18,095
2.	यात्री कार	1,60,677	87,463
3.	बहु-उपयोगी वाहन	5,736	2,614
4.	दुपहिए	3,66,724	2,59,639
5.	तिपहिए	66,801	39,069
	योग	**6,19,887**	**4,06,880**

6.6 सरकार के वाहन प्रदूषण नियंत्रण उपाय

सरकार ने वर्ष 1992 से उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम के अधीन अप्रैल, 1996 में और सख्त बनाया गया, को अधिसूचित करके प्रदूषण और सुरक्षा जांच प्रारंभ की। भारत चरण-I (यूरो-I के समतुल्य) उत्सर्जन मानदंड देश भर में लागू किया जा चुका है। यूरो-II के समतुल्य भारत चरण-II मानदंड दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता के 4 महानगरों में वर्ष 2001 से लागू है। ये मानदंड संपूर्ण देश में दिनांक 1.4.2005 से विस्तारित किए गए हैं। भारत यूरोपीय विनियमन के साथ चार पहियों के वाहन के लिए अपने उत्सर्जन मानदंड सुसंगत बना रहा है और अप्रैल, 2005 से 11 महानगरों में यूरो-III के समतुल्य मानदंड अपनाए है।

6.7 आटो संघटक उद्योग

6.7.1 रूपरेखा

नब्बे के दशक से आटोमोबाइल उद्योग में उछाल से देश में आटो संघटक क्षेत्र का सुदृढ़ विकास हुआ है। उभरते हुए परिदृश्य का प्रत्युत्तर देते हुए प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म की बहुलता और निम्न मात्राओं के बावजूद वृद्धि, गति, नई प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने और लचीलेपन के रूप में हाल के वर्षों में भारतीय आटो संघटक क्षेत्र ने अत्यधिक उन्नति दर्शाई है। भारत के उचित रूप से मूल्यनिर्धारित कुशल कार्यबल, देश द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्राप्त सुदृढ़ता के साथ प्रौद्योगिकी कामगारों की बड़ी संख्या ने संघटक उद्योग में महत्वपूर्ण विकास का वातावरण तैयार किया हैं। भारतीय आटो संघटक क्षेत्र को सॉफटवेयर क्षेत्र के बाद ऐसा क्षेत्र माना जा रहा है, जिसमें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने की क्षमता है। वर्ष 2004-05 में 36,540 करोड़ रुपए के कुल कारोबार और वाहन विनिर्माण के लिए अपेक्षित सभी मुख्य संघटकों का विनिर्माण करते हुए भारतीय आटो संघटक उद्योग आटोमोटिव उद्योग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 1980 के दशक में अनुपालन की गई चरणबद्ध विनिर्माण नीति (पीएमपी) ने संघटक उद्योग को नई प्रौद्योगिकियां, नए उत्पाद और अपने प्रचालनों में गुणवत्ता का अधिक उच्च स्तर शामिल करने में समर्थ बनाया, जिसने संघटक आधार का तीव्र और प्रभावी स्थानीकरण किया। वर्षों से भारतीय आटो संघटक उद्योग ने देश के आटोमोटिव उद्योग की वृद्धि और विकास में मुख्य भूमिका निभाई है।

6.7.2 वैश्विक आर्थिक मंदी के पश्चात धीमेपन के बाद आटो संघटक उद्योग की वृद्धि दर वर्ष 2002-03 में वापस 38% पर आ गई है। तथापि, उद्योग ऐसी उच्च वृद्धि दर नहीं बनाए रख सका और वर्ष 2003-04 में 24% और वर्ष 2004-05 में 16% की वृद्धि दर प्राप्त कर सका।

संकेतक	2002-03	2003-04	2004-2005
उत्पादन	24,500 करोड़ रु.	30,640 करोड़ रु.	36,540 करोड़ रु.
निर्यात	3,800 करोड़ रु.	4,620 करोड़ रु.	6,237 करोड़ रु.
रोजगार	5,00,000 व्यक्ति	5,00,000 व्यक्ति	5,00,000 व्यक्ति

भारतीय आटो संघटक उद्योग ने जापान, कोरिया, संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप के वाहन विनिर्माताओं के आगमन से प्रमुख वृद्धि देखी है। इन ओईएम की प्रौद्योगिकीय रूपरेखा में विविधताओं के कारण यह क्षेत्र आज बड़ी मात्रा में संघटकों का उत्पादन करता है। आज, भारत एशिया में एक मुख्य आटो संघटक केंद्र के रूप में उभर रहा है और उसके निकट भविष्य में वैश्विक आटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की प्रत्याशा है।

6.8 वर्ष 2004-05 और 2005-06 में आटो संघटक उद्योग का कार्यनिष्पादन (अनन्तिम)

6.8.1 उत्पादन

भारतीय आटो संघटक उद्योग (व्यावहारिक रूप से सभी संघटकों का उत्पादन कर रहे संगठित क्षेत्र में 420 से अधिक फर्में और स्तरीकृत रूप में लघु असंगठित क्षेत्र में 10,000 से अधिक फर्में) व्यापक और नामिनल रूप में 1995-98 के बीच 28% से वृद्धि करते हुए आटोमोटिव उद्योग का तीव्रतम वृद्धिकारी खण्ड है। चालू वर्ष में आटो संघटक के उत्पादन में औसत वृद्धि 20 प्रतिशत होना प्रत्याशित है।

6.8.2 निर्यात

आटो संघटकों का निर्यात वर्ष 2004-05 में अभूतपूर्व रूप से 40 प्रतिशत बढ़कर 1.4 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक पहुंच गया। वर्ष 2005-06 में भी 30% की उच्च वृद्धि जारी रहने की प्रत्याशा है। भारतीय आटो-संघटकों का विश्व भर में निर्यात किया जा रहा है। वर्ष 2004-05 के दौरान कुल निर्यात 6237 करोड़ रुपए का हुआ था।

6.9 कृषि मशीनरी

कृषि मशीनरी में मुख्यत: कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, कम्बाइन हारवेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी तथा उपकरण शामिल होते हैं। पावर टिलर, कम्बाइन हारवेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी के नगण्य उत्पादन के कारण इस क्षेत्र पर मुख्यत: कृषि ट्रैक्टर का प्रभुत्व है।

6.9.1 कृषि ट्रैक्टर

वर्तमान में 16-20 के निम्न अश्वशक्ति से 75 के उच्चतर अश्वशक्ति वाले व्यापक रेंज के कृषि ट्रैक्टरों का विनिर्माण कर रही संगठित क्षेत्र में 14 इकाइयां हैं। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग का कुल निवेश 6000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह उद्योग प्रत्यक्षत: 25,000 लोगों को और अप्रत्यक्षत: 1,50,000 लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

6.10 ट्रैक्टर उद्योग का कार्यनिष्पादन

इस उद्योग ने कुल 880 इकाइयों के उत्पादन से वर्ष 1961 में शुरूआत की। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में ट्रैक्टरों की उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई हैं और वर्ष 2000-01 में उत्पादन 2,66,385 के स्तर तक पहुँच गया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ट्रैक्टरों के उत्पादन संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	संख्या
2000-01	2,34,575
2001-02	2,15,000
2002-03	1,62,000
2003-04	1,91,633
2004-05	2,48,976

उद्योग में अच्छे मानसून और बैंक ऋण की निरंतर उपलब्धता के कारण वर्ष 2004-05 में 32% की वृद्धि

हुई। चालू वर्ष में अप्रैल–सितम्बर के दौरान उत्पादन पिछले वर्ष समतुल्य अवधि में हुई 1,15,883 संख्याओं की तुलना में 1,32,519 संख्या का हुआ था। उद्योग ने वर्ष 2004–05 के दौरान उत्पादन के लगभग 10% का निर्यात किया और चालू वर्ष के दौरान इसके द्वारा 15% का निर्यात करने की प्रत्याशा है।

6.10.1 प्रौद्योगिकीय क्षमता

यद्यपि ट्रैक्टर उद्योग ने संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, जर्मनी, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया आदि के विख्यात विनिर्माताओं से प्रौद्योगिकी आयात करके उत्पादन प्रारंभ किया था फिर भी पिछले वर्ष प्रौद्योगिकी को पूर्णत: आत्मसात कर लिया गया है। कुछ ट्रैक्टर विनिर्माताओं ने उच्च अश्वशक्ति श्रेणी के ट्रैक्टरों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयातित संघटकों के साथ 75 अश्वशक्ति के उच्चतर अश्वशक्ति वाले ट्रैक्टरों का उत्पादन प्रारंभ किया है।

6.10.2 बाजार

परम्परागत रूप से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ट्रैक्टर बाजार के लिए मुख्य राज्य हैं। मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात राज्य में ट्रैक्टरों के नए बाजार तेजी से विकसित हो रहे हैं। वर्ष 2004–05 के दौरान ट्रैक्टर उद्योग का 92% 11 मुख्य राज्यों में संकेंद्रित था। सबसे बड़े ट्रैक्टर बाजार उत्तर प्रदेश ने 21% की वृद्धि दर्शाई और मध्यप्रदेश में इसमें 16% की वृद्धि हुई। अन्य राज्यों में वृद्धि 5 से 10% के बीच थी।

6.11 मिट्टी हटाने तथा भवन निर्माण मशीनरी

6.11.1 मिट्टी हटाने के उपकरण तथा निर्माण मशीनरी उद्योग हमारे देश में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग कोयला तथा खनिज खनन, सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पत्तनों, इस्पात, उर्वरक आदि जैसे मुख्य विकास और अवसंरचनात्मक योजनाओं से निकट रूप से संबद्ध है। ऐसी मशीनों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी पहले उपलब्ध नहीं थी। इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि कोमत्शु, केटरपिलर, पोक्लेन, ड्रेसर, डेमग और हिताची जैसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात विनिर्माताओं से उसके विकास के लिए प्रौद्योगिकी आयात करने की अनुमति दी जाए। इस समय विनिर्माण किए जा रहे मिट्टी हटाने के उपकरणों में 10 घन मीटर तक क्षमता वाले शोवेल्स, 770 अश्वशक्ति तक के बुल्डोजर, 120 अश्वशक्ति तक के डम्पर, 8.5 घनमीटर क्षमता के एक्सकेवेटर्स, 280 अश्वशक्ति तक के स्क्रेपर तथा मोटर ग्रेडर्स तथा वाकिंग ड्रेगलाइन्स, चल क्रेन आदि शामिल हैं। भवन निर्माण उपस्कर, मुख्यत: सड़क निर्माण उपकरण जैसे ग्रेडर्स, लोडर्स, एक्सकेवेटर, वाइब्रेटरी कंपैक्टरर्स, हॉट मिक्स प्लांट आदि का देश में ही विनिर्माण किया जा रहा है। ये मशीने सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं, कोयला और लौह अयस्क खनन, सीमेंट के लिए चूना पत्थर की खुदाई, भूमि के विशाल क्षेत्र के विकास और पुनरूद्धार, सड़क निर्माण, नहरें बनाने, औद्योगिक कार्यस्थल तैयार करने और देश के विकास कार्यकलापों के सभी पहलुओं के विकास को गति प्रदान करने में सहायता करती हैं। ये मशीनें श्रमिकों पर निर्भरता भी कम करती हैं और निर्माण कार्य में स्वचालन प्रदान करती हैं।

6.11.2 मिट्टी हटाने और निर्माण की मशीनरी का देश में उत्पादन 1960 के दशक में आरंभ हुआ। आज कुल मिलाकर इन मदों के संबंध में देश पूर्णत: आत्मनिर्भर है। वास्तव में पिछले दशक के दौरान उद्योग ने अत्यधिक प्रगति की है और इसके आकार और विविधता दोनों में वृद्धि हुई है। मिट्टी हटाने और निर्माण उपस्कर उद्योग में उपलब्ध क्षमता लगभग 6000 इकाईयां हैं। भारत में अनेक मध्यम आकार की इकाइयों के अतिरिक्त संगठित क्षेत्र में 60 से अधिक उपस्कर विनिर्माता हैं। इस उद्योग पर प्रत्येक उत्पाद खण्ड में कुछ बड़े विनिर्माताओं का प्रभुत्व है। बीईएमएल कुल बाजार के लगभग आधे की आपूर्ति करता है।

बीईएमएल और कैटरपिलर डम्पर और डोजर्स में जबकि एल एंड टी, कोमात्सु और टेलीकॉन खुदाई उपकरणों में और एस्कार्टस जेसीबी बेकहो लोडर्स में अग्रणी हैं। सरकार द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास पर बल और प्राथमिकता दिए जाने से उद्योग के इस समूह के निकट भविष्य में विकसित होने की प्रत्याशा है।

6.12 राष्ट्रीय आटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना

6.12.1 राष्ट्रीय आटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) इस क्षेत्र में मुख्य अवसंरचनात्मक कमियों, जो घरेलू और वैश्विक दोनों विकास के लिए बाधक सिद्ध हुई हैं, को दूर करने के लिए लक्षित एक महत्वपूर्ण कदम है। आटोमोटिव क्षेत्र में अभी तक की गई सबसे बड़ी और अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलों में से एक ''नेट्रिप'' देश में अत्याधुनिक परीक्षण वैधीकरण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना सृजित करने के लिए भारत सरकार, कई राज्य सरकारों और भारतीय आटोमोटिव उद्योग के बीच एक अद्वितीय सरकारी निजी भागीदारी प्रदर्शित करता है। ऐसी अवसरंचना की उपलब्धता आटोमेटिव क्षेत्र में श्रेष्ठ सुरक्षा, उत्सर्जन और कार्यनिष्पादन मानक लागू करने में सरकार की सहायता करेगी। इतना ही महत्वपूर्ण यह है कि इससे व्यापक अनुसंधान और विकास संबंधी पहलों के समेकन और सम्मिलन, विनिर्माण की बढोतरी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसकी क्षमता की इष्टतम प्राप्ति का कारण होने वाली चहुंमुखी क्षेत्रीय वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। अत्याधुनिक परीक्षण और वैधीकरण अवसंरचना भारतीय उद्योग का विश्व के साथ सीमाहीन एकीकरण सुविधाजनक बनाएगी और भारत में आटोमोटिव क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैश्विक दक्षता सृजित करने में सहायता करेगी। ''नेट्रिप'' ने अपने बल के रूप में आटोमोटिव इंजीनियरी के साथ सूचना प्रोद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिकी में भारत की सुदृढ़ता को एकीकृत करने का प्रयास किया है, जो भारतीय आटोमोटिव क्षेत्र को एक वैश्विक विनिर्माण स्थल के रूप में निर्मित कर सकता है।

6.12.2 ''नेट्रिप'' का लक्ष्य भारतीय आटोमोटिव क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक पर ध्यान देना है और भारत सरकार द्वारा की जाने वाली अन्य कई प्रगतिशील नीतिगत पहलों से इसके द्वारा महत्वपूर्ण रूप से रोजगार की क्षमता बढ़ाते हुए भारत में विनिर्माण पर प्रमुख बल प्रदान किया जाना संभावित है। आधुनिक वाहनों और संघटकों का परीक्षण करने के लिए विश्व-स्तरीय अवसंरचना की उपलब्धता और आटोमोटिव विनिर्माण में अधिक मूल्य वर्धन का संवर्धन सुनिश्चित करने के अतिरिक्त ''नेट्रिप'' द्वारा देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा। भारत, जहां वैश्विक सड़क सुविधाओं का लगभग 10% है, में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 80,000 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। योजना आयोग द्वारा किए गए एक अनुमान के अनुसार इन दुर्घटनाओं से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होता है। ''नेट्रिप'' का लक्ष्य वाहनों की बेहतर सुरक्षा और कार्यनिष्पादन रुपरेखा सुनिश्चित करना है। इसकी लागत पूरी तरह वसूल हो जाएगी अगर यह थोड़ी मात्रा में भी सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सहायता करता है।

यह परियोजना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुविधाओं की स्थापना करने की संकल्पना करती है:-

(i) हरियाणा राज्य के मनेसर में आटोमोटिव उद्योग के उत्तरी क्षेत्र के भीतर पूर्ण विकसित परीक्षण और सदृश्य केन्द्र।

(ii) तमिलनाडु राज्य के चेन्नई के समीप ओरगादम में आटोमेटिव उद्योग के दक्षिणी क्षेत्र के भीतर एक पूर्ण विकसित परीक्षण और सदृश्य केंद्र।

(iii) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे और वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीई), अहमदनगर में मौजूदा परीक्षण और सदृश्य सुविधाओं का उन्नयन।

(iv) मध्यप्रदेश राज्य में इंदौर में 4000 एकड़ से अधिक भूमि पर विश्व-स्तरीय प्रूविंग ग्राउंड अथवा परीक्षण मार्ग तथा साथ ही उपयुक्त मौसमी अवस्थानों में ग्रीष्म और शीत पैड।

(v) दुर्घटना आंकड़ा विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय सुविधा और उत्तर प्रदेश राज्य में रायबरेली में विशेष मोटर चालन प्रशिक्षण केंद्र के साथ ट्रैक्टरों और सड़क से इतर वाहनों के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय केंद्र।

(vi) असम राज्य के धोलचोरा (सिल्चर) में राष्ट्रीय विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्र मोटर चालन प्रशिक्षण केंद्र तथा क्षेत्रीय प्रयोगरत वाहन प्रबंध केंद्र।

6.12.3 वर्ष 2009 से प्रारंभ होने वाले दूसरे चरण में आटोमोटिव इंजीनियरिंग में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिकी के अभिसरण, उन्नत सामग्रियों और आटोमोटिव उत्पादों, वैकल्पिक ईंधनों आदि की पुन: चक्रणीयता जैसे कई मुख्य क्षेत्रों में सहयोगी प्रयास में कतिपय ''उत्कृष्टता केंद्र'' स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

6.12.4 आधुनिक आटोमोबाइल वर्धित रूप से जटिल होते जा रहे हैं। निरंतर अभिनव परिवर्तन उस तरीके, जिसमें वाहन विनिर्मित किए जाते हैं बल्कि वाहन में क्या शामिल होते हैं, उनमें भी उदाहरणात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। विवेकी वैश्विक उपभोक्ताओं द्वारा स्पष्ट किए जा रहे उभरते हुए पर्यावरणीय और सुरक्षा चिंताओं का अधिक संवेदीकृत उद्योग युद्ध स्तर पर प्रत्युत्तर दे रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, टेलीमेटिक्स, अच्छी विनिर्माण सामग्रियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग उभरते हुए विनिर्माण मानदंड हैं। कल के यात्री कार में उसके आधे मूल्य से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे और बहु माइक्रोप्रोसेसर उसके सभी मुख्य प्रचालनों को विनियमित करेंगे। सूचना विज्ञान पर आधारित आधुनिक डिजाइनिंग औजार पहले से प्रचालन में हैं और ''वस्तुत: वास्तविकता केंद्र'' मुख्य ऑटो निर्माताओं को प्रयोगशालाओं में वाहन और संघटकों की संकल्पना करने, डिजाइन बनाने, आकार बनाने तथा निर्मित करने में सहायता कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधनों को वैकल्पिक ईंधनों द्वारा समर्थन मिल रहा है, जिन्हें जल अथवा पौधों जैसे किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है। तेजी से बढ़ते हुए अत्याधुनिकीकरण के इस परिदृश्य में परीक्षण, वैधीकरण और सादृश्यता की आवश्यकता भी निरुत्साहित हो गई है। ''नेट्रिप'' इन परिवर्तनों के साथ अभिमुख है और एक अत्याधुनिक, लचीला और मॉड्यूलर परीक्षण अवसंरचना तैयार करेगा।

6.12.5 परियोजना में इस क्षेत्र में 1718 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक सरकारी निवेश शामिल है। आटोमोटिव उद्योग वर्ष 1983-84 से उपकर अदा करता रहा है और इस परिप्रेक्ष्य में देखे जाने पर निवेश का निधिपोषण संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तथापि वास्तविक परियोजना लागत 2200 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी अगर सरकार द्वारा प्रदान की गई सीमाशुल्क की छूट और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा या तो नि:शुल्क अथवा अत्यधिक रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही भूमि की आनुमानिक लागत पर विचार किया जाता है। अधिकांश देशों ने इन सुविधाओं का निधिपोषण इस अवसंरचना को आटोमोटिव क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण के लिए मुख्य मानते हुए सरकारी निवेश से किया है। विश्व भर में परिणाम अत्यधिक प्रभावशाली रहे हैं।

6.12.6 इस एककालिक सरकारी निवेश द्वारा निधिपोषित की जा रही अवसंरचना संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होगी। सृजित किए जा रहे सभी नए केंद्र स्वायत्तशासी और व्यावसायिकविदों द्वारा प्रबंधित और प्रचालित किए जाने वाले उपयुक्त अधिशासन ढांचे के भीतर होंगे। उन संगठनों के शासी निकायों में आटोमोटिव उद्योग से निर्वाचित सदस्य और सरकार से नामिती भी शामिल होंगे। तीन मुख्य परीक्षण और सादृश्यता केंद्रों द्वारा परीक्षण और सादृश्यता सेवाएं प्रदान करने में एक-दूसरे के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में प्रचालन करना प्रत्याशित हैं। तथापि, केंद्रों को अनुसंधान और विकास पर सहयोगी प्रयासों और सामान्य मुद्दों पर परस्पर समर्थनकारी परियोजनाओं और कार्यकलापों में भी शामिल किया जाएगा।

सचिव (भारी उद्योग और लोक उद्यम), श्री प्रियदर्शी ठाकुर की उपस्थिति में इंडियाडा, स्पेन की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा. कार्लेस ग्रेसास और नेट्रिप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रधान निदेशक श्री सुनील चतुर्वेदी परामर्शी करार पर हस्ताक्षर करने के बाद हाथ मिलाते हुए

प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास

7.1 किसी भी उद्यम के लिए बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धी बाजार वातावरण में प्रतिस्पर्धा करने और बने रहने के लिए सतत जागरूक और तीव्र बल देते हुए अनुसंधान एवं विकास प्रयास करना एक अनिवार्य शर्त है। उद्योग क्षेत्र में विनियंत्रण लागू होने से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हमारे दरवाजे पर पहुंच गई है, जिसके कारण प्रौद्योगिकी का विश्व मानकों के अनुरूप उन्नयन करना आवश्यक हो गया है। प्रयोक्ता क्षेत्र की परिवर्तनशील मांग प्रौद्योगिकियों के चयन और उत्पादों की शुरूआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन वास्तविकताओं को देखते हुए, भारतीय उद्योग जोकि पिछले चार दशक से सुरक्षा प्राप्त कर रहा था, इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है। इस विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने भी तकनीकी और व्यावसायिक गठबंधनों तथा शुद्धत: अनुसंधान एवं विकास निविष्टियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। जिन क्षेत्रों में देश को विशिष्ट लाभ प्राप्त हैं, वहां पर देश के लिए ब्रांड छवि विकसित करने के लिए उन क्षेत्रों को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में विभाग द्वारा आरंभ किए गए कुछ प्रयास निम्नलिखित हैं:-

7.1.1 एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्रीय (आईजीसीसी) परियोजना

हाल में वातावरण में एसपीएम और ग्रीनहाऊस गैसो के वर्धित उत्पादन ने प्राधिकारियों तथा प्रशासकों को भी चिंतित कर दिया है। इसका परिणाम अनुसंधान और विकास संबंधी पहलों के माध्यम से उत्पादन की और अधिक सक्षम विधियों और ऊर्जा के उपयोग पर वर्धित बल हुआ। भारी उद्योग विभाग ने विद्युत मंत्रालय के समन्वय और 'भेल' तथा एनटीपीसी जैसे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की घनिष्ठ भागीदारी से एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्रीय (आईजीसीसी) परियोजना का समर्थन कर रहा है। आईजीसीसी संयुक्त चक्रीय विद्युत संयंत्र है जिसमें कोयले के गैसीकरण द्वारा गैस टर्बाइन के लिए ईंधन गैस उत्पादित की जाती है। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया–जिसका निर्णय मुख्यत: उपलब्ध कोयले की किस्म और उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए गैस टर्बाइन के साथ उसके क्षमता एकीकरण द्वारा किया जाता है, का चयन आईजीसीसी संयंत्र की उच्चतर समग्र क्षमता प्राप्त करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

'भेल' ने अधिक राख की मात्रा वाले स्थानीय कोयले के लिए उपयुक्त एक प्रौद्योगिकी विकसित करने में पहले ही

कुछ सफलता प्राप्त कर ली है और इस परियोजना के परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन की क्षमता सुधारने और प्रदूषण कम करने के अतिरिक्त ''अधिक राख'' वाले भारतीय कोयले का बेहतर उपयोग होगा।

7.1.2 आटोमोटिव क्षेत्र के लिए परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना

भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण और उसके परिणामस्वरूप माल और यात्रियों की आवाजाही की आवश्यकताओं के कारण हाल के वर्षों में वाहनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इसके साथ-साथ उत्सर्जन और सुरक्षा संबंधी सांविधिक विनियमों के लागू होने से वाहनों तथा देश में विनिर्मित और आयातित उनके प्रमुख कल-पुर्जों तथा छोटे कल-पुर्जों का स्वतंत्र एवं व्यापक परीक्षण आवश्यक हो गया है। छोटी कारों के विनिर्माता के रूप में भारत को अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के तौर पर स्थापित करने की घोषित नीति के अनुरूप, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों के अनुसार अनुरूपता लाने के लिए तथा आटो क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में वर्तमान सुविधाओं के उन्नयन के लिए परीक्षण तथा अनुसंधान और विकास अवसंरचना स्थापित करने को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

7.1.3 मशीन टूल्स और वस्त्र मशीनरी विनिर्माण क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन/ अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की स्कीम

मशीन टूल्स और वस्त्र मशीनरी विनिर्माण उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण हेतु पूंजीगत सामग्री क्षेत्र के लिए एक प्रायोगिक स्कीम प्रारंभ करना प्रस्तावित है। महत्वपूर्ण होने के कारण पूंजीगत सामग्री ने वर्ष 1951 से ही भारत की योजना प्रक्रिया में क्रेन्द्रीय स्थान प्राप्त किया है। वर्षों से देश रक्षा, तेल और गैस, शोधनशाला, न्यूक्लीय, रसायन और पेट्रो-रसायन, उर्वरक, आटोमोबाइल आदि कई व्यापक उद्योग खण्डों की सेवा करने के लिए मशीनरी की संपूर्ण रेंज विनिर्मित करने के लिए सुदृढ़ इंजीनियरी और पूंजीगत सामग्री आधार विकसित करने में समर्थ हुआ है। बढ़ते हुए वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में उद्योग का स्थिर विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिशिचत करने के लिए स्कीम द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ मुख्य नीतिगत पहलें की जानी अभिप्रेत हैं। प्रारंभ में उद्योग में अभिज्ञात बाधाओं के मुख्य क्षेत्र यथा, आधुनिकीकरण, व्यवसाय विकास सेवाओं और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं पर ध्यान देने की योजना है। प्रारंभ में यह प्रयास दो वर्षों के लिए एक ''प्रायोगिक स्कीम'' के रूप में होगा और मशीन टूल्स तथा वस्त्र मशीनरी के उप-क्षेत्रों को ही शामिल करेगा।

7.2 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलें

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी उद्यमों के कुछ प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रमों और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

7.2.1 भारत हैवी इलेक्ट्रिक्ल्स लिमिटेड (भेल)

वर्ष 2004-05 के दौरान आंतरिक अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से उत्पादों और प्रणालियों के वाणिज्यीकरण द्वारा 942 करोड़ रुपए का कुल कारोबार प्राप्त किया गया था। पिछले पांच वर्षों के दौरान वाणिज्यीकृत किए गए उत्पादों और प्रणालियों का हिसाब ही लिया गया है। अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों पर 125.20 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई थी। उसमें से 97.07 करोड़ रुपए का व्यय नए उत्पाद और प्रणाली विकास तथा लागत प्रभावोत्पादकता और उच्चतर विश्वसनीयता, क्षमता, उपलब्धता, गुणवत्ता आदि के लिए मौजूदा उत्पादों में सुधार पर ध्यान देते हुए राजस्व व्यय पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान और विकास के लिए पूंजीगत आस्तियों की खरीद के लिये 27.50 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया गया था।

(क) भेल के लिए मुख्य अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सी एण्ड आई की उच्च प्रौद्योगिकी और उभरते हुए क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में ''ओमेगा'' नामक अत्याधुनिक नियंत्रण और इंस्ट्रूमेंटेशन (सी एण्ड आई) प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। यह प्रणाली प्रक्रिया नियंत्रण के लिए देशी आटोमेशन समाधान है और आटोमेशन सुविधाजनक बनाने के लिए अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिकी का प्रयोग करती है। इस प्रणाली का प्रयोग छोटे चीनी संयंत्रों और पेपर मिल से लेकर बड़े इस्पात मिलों और अन्य संयंत्रों जैसे व्यापक उद्योगों के लिए किया जा सकता है। इस प्रणाली का प्रयोग पेट्रोल डिपो आटोमेशन प्रणाली, डीलर इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए नियंत्रण प्रणाली और विद्युत संयंत्रों में कोयला भरण के लिए ग्रेवीमीट्रिक भरण नियंत्रण जैसे नियंत्रण अनुप्रयोग के विकास में किया जा चुका है।
- संगठनात्मक द्रव गतिकी (सीएफडी) के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र ''भेल'' के निगम अनुसंधान और विकास केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। यह केंद्र सीएफडी, जो जटिल जियोमीट्री में द्रव प्रवाह के व्यवहार में डिजाइनकर्ताओं की बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि देने में दक्ष एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है, के क्षेत्र में ''भेल'' की दक्षता बढ़ाएगा। उन्नत साफ्टवेयर के साथ और तकनीकी रूप से दक्ष और प्रशिक्षित कार्मिकों से चालित यह केंद्र विद्युत और औद्योगिक क्षेत्र के व्यापक किस्म के उत्पादों की पूर्ति करेगा।
- ''भेल'' ने स्थायी चुम्बक मशीनों के विकास के लिए अपने निगम अनुसंधान और विकास केंद्र, हैदराबाद में एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया है। यह केंद्र ''भेल'' को उच्च क्षमता, दक्षता और अनुरक्षण मुक्त प्रचालन वाले सुगठित स्थायी चुम्बक जेनरेटर (पीएमजी) विकसित करने में समर्थ बनाएगा। यह केंद्र प्रारंभिक रूप से 1 मेगावाट क्षमता तक के पीएमजी के मशीनों का विकास सुविधाजनक बना सकता है। उच्च क्षमता वाले पीएमजी का विनिर्माण केवल कुछ अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ही किया जाता है। इस केंद्र से ''भेल'' उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समरूप होगा।
- ''भेल'' ने भारत के देश में विकसित किए गए पहले थाइरिस्टर नियंत्रित सीरीज कैपेसिटर्स (टीसीएससी) का बल्लभगढ़, हरियाणा में पीजीसीआईएल के 400 केवी सब स्टेशन में परीक्षण चालन करके फ्लेक्सिबल एसी पारेषण प्रणाली (फैक्ट्स) के क्षेत्र में अपनी दक्षता सिद्ध की है। यह टीसीएससी 400 केवी कानपुर-बल्लभगढ़ लाइन के अंत में बल्लभगढ़ में संस्थापित किया गया है। इस परियोजना का निधिपोषण ''भेल'', पीजीसीआईएल और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया तथा ''भेल'' द्वारा निष्पादित किया गया है। इस प्रणाली का इसकी अधिकतम क्षमता तक खुले और बंद दोनों लूप में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इस संस्थापन का मूल प्रयोजन अन्त:निर्मित डैम्पिंग कंट्रोलर का प्रयोग करते हुए विद्युत प्रवाह और प्रणाली का स्थायित्व सुधारना है। इस उपलब्धि से ''भेल'' ''फैक्ट्स'' प्रौद्योगिकी रखने वाली कुछ कंपनियों के चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है।

- ताप विद्युत स्टेशनों में कोयले को चूर्ण करने के लिए प्रति घंटे 91 टन की क्षमता वाली बाउल मिल का देश में पहली बार डिजाइन किया, विनिर्मित किया और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के 500 मेगावाट के चंद्रपुर कार्यस्थल में सफलतापूर्वक चालू किया गया है। इष्टतम क्षमता से ताप विद्युत स्टेशनों के लिए अपेक्षित मिलों की संख्या कम होगी। इसका प्रयोग उच्चतर क्षमता वाले ताप विद्युत संयंत्रों में भी किया जा सकता है।

- ''भेल'' ने अभी तक आपूर्ति किए जा रहे अधिकतम 40 मेगावाट के आकार की तुलना में विद्युत उत्पादन के लिए विशालतम 60 मेगावाट का बबलिंग फ्लूडाइज्ड बेड कम्बशन बॉयलर आंतरिक रूप से विकसित किया है। 60 मेगावाट के पुराने पल्वेराइज्ड ईंधन बॉयलरों को इन नए बॉयलरों से प्रतिस्थापित करने की विशाल संभावना मौजूद है, जो कोयले की खराब गुणवत्ता से भी मूल उत्पादन क्षमता पुन: प्राप्त कर सकता है। इस विकास ने कंपनी के लिए व्यवसाय का एक नया मार्ग खोल दिया है।

- 250 मेगावाट के परीछा यूनिट-3 के लिए पहला पूर्ण संसेचित टर्बो जेनरेटर स्टेटर सफलतापूर्वक विनिर्मित किया और उसका परीक्षण किया गया था। इस उपलब्धि से ''भेल'' ने जेनरेटर डिज़ाइन और विनिर्माण प्रौद्योगिकी के एक नए युग में प्रवेश किया है। इस मशीन में कई डिजान और प्रौद्योगिकी विशेषताएं हैं नामत: अत्याधुनिक विसंवाहन प्रौद्योगिकी (पूर्णत: निर्वात संसेचित स्टेटर) जिससे उच्च तापीय स्थायित्व रहता है, वर्धित विद्युतीय अवधि और दीर्घ प्रचालन अवधि रहती है। ''भेल'' के पास इस डिजाइन के 14 सेटों के लिए आर्डर है।

- ''भेल'' ने संयुक्त चकीम विद्युत संयंत्रों के लिए उपयुक्त 260 मेगावाट वाला स्टीम टर्बाइन विकसित किया है, जिन्हें अत्यधिक सक्षम माना जाता है क्योंकि उनमें ईंधन से विद्युत शक्ति रूपान्तरण की उच्चतम क्षमता है। इस डिजाइन का प्रस्ताव कवास स्थित एनटीपीसी के संयुक्त चकीय संयंत्र के लिए किया गया है।

- ग्रीन फील्ड परियोजनाओं, जहां सहायक वाष्प उलब्ध नहीं है, की आवश्यकता पूरी करने और चालू करने की अवधि कम करने के लिए पारम्परिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विकल्प के रूप में बॉयलरों के लिए एक नई पारिस्थितिकी अनुकूल, लागत प्रभावी और कम खतरनाक रासायनिक सफाई प्रणाली प्रक्रिया एक कार्बनिक रसायन ''इथीलिन डायामाइन टेट्रा एसीटिक अम्ल (इटीडीए)'' का प्रयोग करते हुए विकसित की गई है और इसे पानीपत और मेजिया टीपीएस में 210/250 मेगावाट के बॉयलरों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप चक्र समय में लगभग 20 दिनों की कमी हुई है।

- ''भेल'' ने उपलब्ध सीएनसी मशीनों पर 236 मेगावाट न्यूक्लियर टर्बाइन के वक्र आंतरिक फर ट्री रूट की मशीनिंग के लिए टूलिंग और प्रौद्योगिकी विकसित की है। यह विकास अतिरिक्त ब्लेडों के आर्डर के पूर्वानुमान में किया गया था। 236 मेगावाट न्यूक्लियर टर्बाइन ब्लेडों में वक्र आंतरिक फर ट्री रूट डिजाइन होती है और पूर्व में इन रूटों की मशीनिंग ब्रोचिंग विधि से आयातित ब्रोचिंग फिक्सचर का प्रयोग करते हुए की जाती थी। नई विधि ब्रोचिंग विधि के स्थान पर फॉर्म कटर्स का प्रयोग करती है। विकसित प्रक्रिया वक्र आंतरिक फर ट्री रूट

ब्लेडों में मशीनिंग की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करेगी तथा साथ ही आयात बचाते हुए ब्लेडों की लागत भी कम करेगी।

- ''भेल'' ने आंकड़ा प्राप्त करने और कमांड भेजने के लिए रेडियो आवृत्ति (आरएफ) का प्रयोग करते हुए वायरलेस नियंत्रण विकसित किया है। यह एक भावी प्रौद्योगिकी है, जिसका अनुप्रयोग कई आंकड़ा अधिग्रहण और नियंत्रण अनुप्रयोगों जहां केबल बिछाना व्यवहार्य नहीं है, में किया जाएगा।

- ''भेल'' ने पहली बार 1×500 मेगावाट बीरसिंघपुर टीपीएस के लिए खण्डात्मक ईंट के अस्तर वाले पुनर्बलित कंक्रीट के साथ सिंगल फ्लू 275 मीटर ऊंची चिमनी डिजाइन की है। खण्डात्मक ईंट का अस्तर प्रत्येक 10 मीटर के अंतराल पर लगाया गया है। इस चिमनी की डिजाइन आंतरिक दक्षताओं और संसाधनों और 220 मीटर ऊंची चिमनी की डिजाइन में अनुभव का प्रयोग करते हुए बनाई गई है।

- ''भेल'' ने पहली बार 2×250 मेगावाट कोरबा-ईस्ट टीपीएस के लिए आंतरिक दक्षताओं का प्रयोग करते हुए पुनर्बलित कंक्रीट से ट्विन-फ्लू 220 मीटर ऊंची इस्पात के अस्तर वाली चिमनी की डिजाइन तैयार की है। मौजूदा आंतरिक विकसित सॉफ्टवेयर को इस्पात के अस्तर वाली चिमनी के उपयुक्त होने के लिए संशोधित किया गया है। इस्पात के अस्तर वाली चिमनी का निर्माण चल रहा है। इस्पात के अस्तर वाली चिमनी के विकास से ''भेल'' इस क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकियों के समरूप हो गया है और फ्लू के अस्तर के लिए किसी नई सामग्री को लेने में भी सक्षम हो गया है। उसी किस्म की चिमनियां 2×250 मेगावाट मेजिया 5/6 टीपीएस, 2×250 मेगावाट चंद्रपुरा टीपीएस, 1×120 मेगावाट अमरकंटक टीपीएस, 2×210 मेगावाट बकरेश्वर टीपीएस, 2×250 मेगावाट भिलाई टीपीएस में भी संकल्पित हैं।

- ''भेल'' ने किसी भवन की आयताकार नींव की आटोमेटेड डिजाइन और ड्राइंग तैयार करने के लिए एक कम्प्यूटर प्रोग्राम ''एफएडीडी'' (फाउंडेशन आटोमेटेड डिजाइन एण्ड ड्राइंग) विकसित किया है। ''एफएडीडी'' स्वत: ही भवन की सभी आयताकार नींव का अपेक्षित आकार और पुनर्बलन, डिजाइन की गई नींव का लेआऊट और सभी डिजाइन की गई नीवों के लिए सारांशीकृत डिजाइन परिकलन तैयार कर सकता है। ''एफएडीडी'' नींव की डिजाइन, ड्राइंग, दस्तावेज की तैयारी और चक्र समय में 40-50% की कमी प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को स्वचालित करने का एक प्रयास है।

- ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ''भेल'' ने आईईसी 6227-100 के अनुसार श्रेणी-2 (सी 2) की स्विचिंग क्षमता ड्यूटी को सहने के लिए मौजूदा 400 केवी एसएफ 6 सीबी (सर्किट ब्रेकर) के इंटरप्टर की डिजाइन संशोधित की है। प्रोटोटाइप नामोदिष्ट 420 केवी/ 40 केए एसएफ 6 सर्किट ब्रेकर विनिर्मित किया गया और सीपीआरआई, बंगलौर और सीईएसआई, इटली में उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसने अन्य विनिर्माताओं के साथ ''भेल'' को प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाया है।

- ''भेल'' ने ओमान से प्राप्त हाल के एक निर्यात ऑर्डर के लिए वोल्टता रेटिंग 16 केवी, 129.2

मेगावाट, 3000 आरपीएम के लिए उपयुक्त एक नए जीटीजी (गैस टर्बाइन जेनरेटर) की डिजाइन तैयार की है। पुरानी डिजाइन 11 केवी वोल्टता रेटिंग के लिए उपयुक्त थी। नई जीटीजी डिजाइन में रोटर वाइडिंग और एंड टूथ कूलिंग के लिए सुधरी हुई संवातन स्कीम है, जिसने क्षमता में 0.1% की वृद्धि कर दी है।

- ''भेल'' ने पहली बार स्ट्रीम- 90,000 एनएम^3/घंटा के लिए मैसर्स सेंट गोबिन के कांच संयंत्र के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर गैस फिल्टरेशन प्रणाली (सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली) की डिजाइन विनिर्माण, उत्थापन और सफलतापूर्वक चालू किया हैं। यह संयंत्र फ्लोट ग्लास के 650 टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता से कांच गलन भट्ठी से सज्जित है। गैस सफाई प्रणाली में फोर्स्ड ड्राफ्ट गैस कूलर, फ्लू गैस डि-सल्फ्यूराइजेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स और आईडी फैन शामिल हैं।

- ''भेल'' ने गैस टर्बाइन बकेट में गहरे सूक्ष्म कूलिंग छिद्र वेधन के लिए आकारयुक्त ट्यूब पल्स इलेक्ट्रो केमिकल मशीन (एसटीपीईसीएम) विकसित की है।

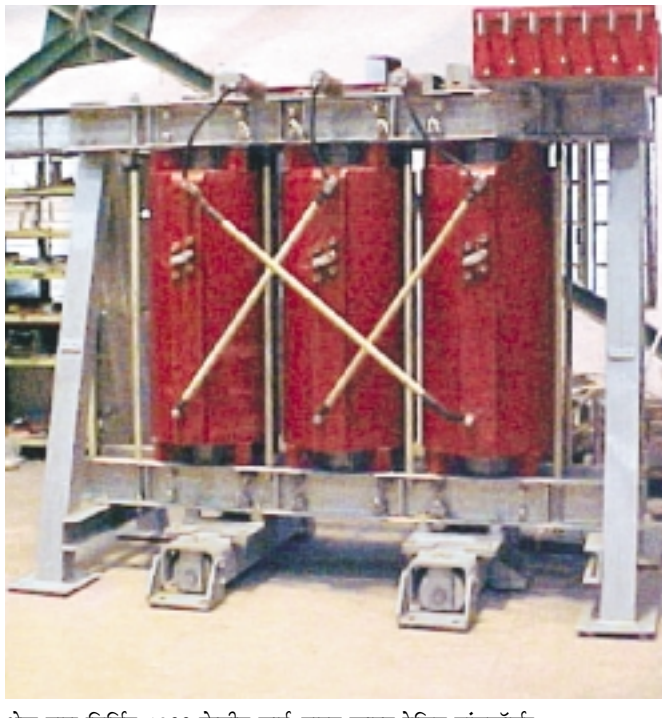

भेल द्वारा निर्मित 1800 केवीए ड्राई-टाइप कास्ट रेजिन ट्रांसफॉर्मर

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान पूरा किए जाने के लिए संभावित मुख्य अनुसंधान और विकास/प्रौद्योगिकी परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

- डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव-फेज-I के लिए तीन फेज वाली एसी ड्राइव प्रणाली का विकास।
- 400 केवी सीरीज कैपेसिटरों के संरक्षण के लिए दो चरण वाले ट्रिगर्ड स्पार्क गैप की डिजाइन और विकास।
- 3 किलोवाट पोलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल (पीईएमएफसी) स्टेक का प्रदर्शन।
- एनटीपीसी-औरैया में 100 मेगावाट के आईजीसीसी संयंत्र के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना और इंजीनियरी-पूर्व कार्यकलाप।
- व्यापक आवृत्ति प्रचालन (210 मेगावाट की रूसी डिजाइन के लिए) के लिए 25वें चरण ब्लेड हेतु नई डिजाइन परिवर्ती की डिजाइन, विनिर्माण और परीक्षण।
- 8 मेगावाट प्रदर्शन संवेग स्टीम टर्बाइन का विकास।
- 150 किलोवाट, 200 वो, 200-500 आरपीएम ब्रुशलेस एक्साइटर का विकास।
- 3 चरण वाले कंपैक्ट सर्किट ब्रेकर मॉड्यूल का विकास।
- ज्ञान-आधारित इंजीनियरी का प्रयोग करते हुए 500 मेगावाट कंडेन्सर का डिजाइन आटोमेशन।
- कोयला-प्रज्जवलित बायलरों में एनओएक्स की कमी के लिए बाईपास ओवर फायर एयर (बीओएफए) प्रणाली का विकास।
- 9 मेगावाट बल्व टर्बाइन मॉडल का विकास और परीक्षण।
- 100-140 मेगावाट सिंगल सिलिंडर नन-रिहीट स्टीम टर्बाइनों की डिजाइन का विकास।

7.2.2 एचएमटी लिमिटेड

एचएमटी ने उत्पाद प्रौद्योगिकी में प्रगामी रूप से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा साथ ही विशेषताओं, सुरूचिपूर्णता और मूल्य में प्रतिस्पर्धी अग्रता बनाने रखने पर ध्यानकेंद्रण के साथ विभिन्न उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रत्येक विनिर्माण इकाई में अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया हैं। एचएमटी के अधिकार क्षेत्र के विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों में किए गए/योजनाबद्ध अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों की विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

श्री एम.एस. जाहेद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एच.एम.टी. लिमिटेड देश में विकसित रग्ड ड्यूटी मेनिपुलेटर डा. अनिल काकोदकर, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग को सौंप रहे हैं

(क) ट्रैक्टर:

(i) ट्रैक्टर अनुप्रयोग के लिए एचएमटी के सभी इंजन मॉडल भारत (टीआरईएम) चरण-III निकासी उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने के लिए विकसित किए गए हैं। इस प्रौद्योगिकी से एचएमटी के ट्रैक्टर अधिक पारिस्थितिकी-अनुकूल हो गए हैं।

(ii 25 अश्वशक्ति की सीमा में एक ट्रैक्टर का मॉडल ''एचएमटी युवा'' प्रारंभ किया, जो इस उत्पाद श्रेणी में अत्यधिक ईंधन सक्षम और कम खर्चीला है।

(ख) मशीन टूल:

मशीन टूल्स में उत्पाद विकास/उन्नयन निम्नानुसार है:

- रोटरी सर्फेस ग्राइंडर आरएसजी 800 सीएनसी
- सर्फेस ग्राइंडर एसजीएम-2 सीएनसी
- हेवी ड्यूटी लेथ एचडीएल-70
- गियर हॉबिंग मशीन एच 400-4ए सीएनसी
- होरीजेंटल मशीनिंग सेंटर एचएमसी 400 एम बीटी 50 टेपर
- 4-एक्सेस टर्निंग सेंटर विद गैंट्री एसएमसी 60
- हेवी ड्यूटी टर्निंग सेंटर स्टेलियन एचडी 100 एस
- ग्रेफाइट टर्निंग सेंटर
- 5-एक्सेज पर्टिकल मशीनिंग सेंटर, सेंटर साइज 2000 और 1000
- सीएनसी वर्टिकल टर्निंग लेथ, टेबल साइज 1000 और 1200
- स्पेंट फ्यूल चॉपर विद कटर फॉर वीएआरसी
- 4-एक्सेज सीएनसी निडल शार्पेनिंग ग्राइडिंग मशीन
- 8-एक्सेज सीएनसी फ्रैंक शाफ्ट पिन ग्राइडिंग
- थ्री पीस मेनीपुलेटर टीपीएम फॉर बीएआरसी
- सीएनसी स्लाइडिंग हेड ऑटोमेट (जेडब्ल्यू ए विद डीएमजी)
- इकोनॉमिक हीनूमेरिक 2200/3 - एक्सेज कंट्रोल/2-एक्सेज स्पिंडल

(ग) घड़ियां

- घडियों के 50 से अधिक नए मॉडल/परिवर्ती विकसित और प्रांरभ किए गए थे।

(घ) बेयरिंग्स

अनुसंधान और विकास कार्यकलाप रक्षा और भारतीय रेलवे के लिए नए बेयरिंग्स के विकास और मौजूदा बेयरिंग्स के सुधार पर केंद्रित रहे।

7.2.3 एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

कंपनी में आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं का मुख्य बल मौजूदा उत्पादों का निरंतर उन्नयन करने पर है

ताकि वे घरेलू बाजार के अनुरूप हो सके तथा साथ ही निर्यात बाजार में अवसर भी प्राप्त कर सकें। उनके कार्य में नए उत्पादों का विकास, उत्पाद विस्तार और प्रोटोटाइप विकास एवं वाणिज्यीकरण द्वारा अनुपालन किए जाने वाले उपरी रेंज के लिए परीक्षण प्रमाणपत्र का पुनः वैधीकरण शामिल है। कंपनी की विभिन्न यूनिटों द्वारा किए गए कुछ अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

(क) स्विचगियर यूनिट ने 12 केवी, 40 केए आंतरिक वेक्यूम सर्किट ब्रेकर पैनल, 6.6 केवी, 400 ए वेक्यूम कंटेक्टर पैनल और 33 केवी 1600 ए पोर्सलीन आच्छादित वेक्यूम सर्किट ब्रेकर का विकास किया है।

(ख) कंपनी के ब्रेंटफोर्ड यूनिट ने विभिन्न रेटिंग के ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर विकसित किया है।

(ग) टोगामी यूनिट ने निम्नलिखित विकसित किया है;

(i) 12 केवी लैच टाइप सेक्शनेलाइजर स्विच

(ii) सीजीएल VI के साथ 12 केवी 400 ए 20 केए वेक्यूम कैप स्विच तथा साथ ही 100 ए और 150 ए सिंगल पोल डी.सी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर

(iii) बंगलादेश को निर्यात करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित कंट्रोल पैनल के साथ ऑयल फील्ड ऑटो रिक्लोजर के लिए विकास प्रक्रिया चल रही है।

(घ) ट्रांसफॉर्मर और स्विचगियर यूनिट ने एसएफ 6 के साथ रिंग मेन यूनिट विकसित किया है।

7.2.4 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी)

कुछ अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी उन्नयत निम्नानुसार रहे हैं:

- डाइजेस्टर में लुगदी पकाने के लिए कप्पा की संख्या का इष्टतमीकरण
- फोर्टिफाइड रोजिन खपत का इष्टतमीकरण
- कास्टिक और क्लोरिन संयंत्र (सीएण्डसी) निस्सारियों से पारे का पुनरुत्पादन
- पर्यावरण प्रबंध विनियमन के अनुरूपण के लिए मिल निस्सारियों में एओएक्स के मापन और अनुवीक्षण के लिए नौगांव पेपर मिल में एओएक्स एनेलाइजर की संस्थापना।

7.2.5 हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

कंपनी द्वारा किए गए कुछ कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

- यांत्रिक मुद्रण, लेखन और मुद्रण कागज के विनिर्माण के लिए अपारम्परिक कच्ची सामग्रियों का प्रयोग।
- न्यूजप्रिंट फर्निशेज में स्थायी-मुक्त पल्प की मात्रा का इष्टतमीकरण।
- रीड्स की सुदृढ़ता और ऑप्टिकल गुणों पर सीजनिंग का प्रभाव।

7.2.6 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)

(क) कृषि डेयरी उत्पाद/अनुप्रयोग

- स्मार्ट कार्ड आधारित डीपीईएमटी अनुसंधान और विकास द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। यह उत्पाद अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा डिजाइन की गई विशिष्ट परियोजना में वाणिज्यीकृत किए जाने के लिए तैयार है। विशेष स्मार्ट कार्ड का प्रयोग पाली, दिवस और मासिक सारांश रखने और वहन करने के लिए किया जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर के आटोमेशन के अनुरूप क्षेत्र में चालू मौजूदा ईएमटी में शामिल करने के लिए ''ऑटो हैंडल'' विकसित किया गया है। 5 अदद यूनिटों का परीक्षण उत्पादन दुग्ध सहकारी समितियों में उत्पादन के क्षेत्र मूल्यांकन के लिए प्रारंभ किया गया है।
- अनुसंधान और विकास द्वारा विकसित ''आटो ईएमटी'' वाणिज्यीकृत किया गया है और जोधपुर डेयरी के अधीन विभिन्न दुग्ध सहकारी समितियों में ऐसे 20 अदद को संस्थापित किया गया है।
- वर्ष के दौरान सोलर इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर भी वाणिज्यीकृत किया गया हैं, जो अल्प/विद्युत रहित

वाले दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत उपयोगी उत्पाद है।

(ख) सौर फोटोहोल्टिक प्रणालियां/मॉड्यूल

- अनुसंधान और विकास ने डीओटी अनुप्रयोगों के लिए 250 वाट चार्ज कंट्रोलर विकसित किया है। इस उत्पाद को टीईसी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह उत्पाद अब वाणिज्यीकरण के लिए तैयार है।
- घरेलू अनुप्रयोग के लिए 70 वाट एसपीवी आधारित ऑन लाइन इन्वर्टर विकसित किया गया है। यह उत्पाद विशेष रूप से शहरी उपभोक्ताओं और दुकानदारों के लिए विकसित किया गया है।

(ग) औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र

- सहायता अनुदान के अधीन विकसित स्मार्ट प्रि-पेड मीटर वाणिज्यीकृत किया गया था। ऐसे 50 मीटर कोलकाता में गंगा सागर द्वीपसमूह में संस्थापित किए गए हैं।
- आरआईएफडी (रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेन्टिफिकेशन टैग्स) परियोजना में विभिन टैग की पहचान के लिए रीडर विकसित किए गए हैं। यह उत्पाद वाणिज्यीकरण के लिए तैयार है। विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए बाजार क्षमता की खोज की जा रही हैं। इस परियोजना का निधिपोषण इस परियोजना को देश में विकसित करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया है।

श्री एम.एम. भारद्वाज, प्रबंध निदेशक, आर.ई.आई.एल., माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री कपिल सिब्बल से डी.एस.आई.आर. राष्ट्रीय पुरस्कार, 2004 प्राप्त करते हुए

7.2.7 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

उत्पाद विकास

- अग्र आरोहित 4-स्ट्रोक गैसोलीन इंजन सहित समर्पित सीएनजी/एलपीजी मोड पर प्रचालित तिपहिए का विकास चल रहा है।
- पीछे लगे 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन लगे 3 सीट वाला ऑटोरिक्शा विक्रम 350 (पी)

प्रौद्योगिकी उन्नयन

- तिपहिए के सभी मौजूदा मॉडलों का अप्रैल, 2005 से लागू सीएमवीआर मानदंडों को पूरा करने के लिए उन्नयन किया गया हैं।
- एल्टरनेटर और डायनास्टार्टर की बजाय स्टार्टर मोटर के साथ लगे एयरकूल्ड इंजन के साथ विक्रम 750-डी।
- गैसीय ईंधन पर बीएस-II उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए 2-स्ट्रोक के पेट्रोल इंजन का उन्नयन चल रहा है।
- उच्च सुदृढ़ता और लागत कमी के लिए मौजूदा मॉडलों की चेसिस सामग्री को पुन: परिभाषित किया गया।

7.2.8 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी)

(i) बुझे हुए कोक में 4% से कम आर्द्रता की मात्रा प्राप्त करने के लिए आरएसपी हेतु 4.5 एम बैटरी ने कोक क्वेंचिंग कार में डिजाइन का सुधार किया गया है। इस कोक का प्रयोग ब्लास्ट फर्नेस की उत्पादकता सुधारेगा।

(ii) अशुद्धियों के बहुत कम स्तर के साथ निम्न कार्बन मिश्रधातु इस्पात के फोर्जड प्लेटों को विकसित और विनिर्मित किया गया था।

(iii) अपेक्षित प्रभाव गुण प्राप्त करने के लिए बल्ब बार स्ट्राइप्स के उष्मा शोधन के लिए सफलतापूर्वक सुविधा और प्रौद्योगिकी विकसित की।

(iv) न्यक्लियर क्षेत्र के लिए फोर्जिंग के गुणवत्ता आकलन के लिए अपेक्षित पेल्लिनी ड्रॉप-वेट टेस्टिंग मशीन को देश में ही विनिर्मित और चालू किया गया था।

यह प्रभाव परीक्षण मशीन का प्रयोग उस तापक्रम, जिस पर सामग्री की शून्य तन्यता होगी, को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

(v) 12000 आरपीएम तक उच्च गति पर रबड़ विसंवाहन मदों की मशीनिंग के लिए एक सीएनसी सिंगल कॉलम वर्टिकल मिलिंग मशीन मॉडल विशेष रूप से डिजाइन की गई थी।

(vi) रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा आयात प्रतिस्थापन के रूप में गैस संयंत्र/एफएफपी के लिए 44.4 के गियर अनुपात वाले एफएफपी के लिए प्लेनेटरी गियर बॉक्स विकसित किया गया था।

(vii) इंटेगरल रिंग्स और संरचित डिस्क के साथ संरचित बॉडी के लिए हॉट ब्लास्ट वाल्व डाया 1200 और बर्नर कट ऑफ वाल्व डाया 1400–डिजाइन विकसित की गई थी। बॉडी और डिस्क दोनों में रिफ्रैक्टरी से अस्तर लगाया गया है। यह डिजाइन रिफ्रैक्टरी के बिना पारम्परिक डिजाइन की तुलना में वर्धित अवधि और विश्वसनीयता के साथ सक्षम प्रशीतन और संपूर्ण रिसाव–रोधन प्रदान करती है।

7.2.9 बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल)

(i) जैव–विक्षालन (बायो लीचिंग) के माध्यम से मैग्नेसाइट का शुद्धिकरण।

प्रायोगिक संयंत्र परीक्षणों में सिलिका की अशुद्धता हटाने के लिए मैग्नेसाइट के जैव विक्षालन में प्रोत्साहनजनक परिणाम प्राप्त करने के बाद इसी प्रक्रिया को जैव विक्षालन प्रक्रिया को वाणिज्यिकीकृत करने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है।

(ii) देशी अनुसंधान और विकास कार्य के माध्यम से सलेम वर्क्स सस्ती कच्ची सामग्रियों का प्रयोग करते हुए अच्छी गुणवत्ता के मैग क्रोम/क्रोम मैग ब्रिक्स का उत्पादन करने में समर्थ हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप प्रज्जवलित मैग क्रोम/क्रोम मैग ब्रिक्स की बर्बादी की प्रतिशतता औसतन 7% से घटकर 5% हो गई है।

(iii) रेलवे बोर्ड की आवश्यकतानुसार वैगन उत्पादन के लिए रिवेट्स के स्थान पर हक बोल्ट कार्यान्वयनाधीन है।

7.2.10 ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (ब्रेथवेट)

(i) कंपनी में अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयास मौजूदा उत्पादों की प्रौद्योगिकीय सुधार से संबंधित है। सीएनसी शीयरिंग एम/सी, स्वचालित सामग्री प्रहस्तन सुविधाओं और प्लाज्मा कटिंग एम/सी के प्रयोग द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन प्राप्त किया गया है।

(ii) कंपनी ने इंडक्शन भट्ठियों द्वारा मौजूदा गलन विधि से आर्क भटिठयों की सुधरी हुई प्रौद्योगिकी के माध्यम से कास्टिंग के उत्पादन के लिए इस्पात गलाने हेतु एंगस यूनिट के 520 विद्युत आर्क भट्ठी भी संस्थापित और चालू की है।

7.3 नई प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान

7.3.1 विगत में नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से पांच राष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित किए गए हैं। वे हैं: द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई) प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई), सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी (सीईटी), सिरामिक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (सीआईआई) और वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान (डब्ल्यूआरआई)। इनमें से केवल एफसीआरआई इस विभाग के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है जबकि शेष चार 'भेल' के नियंत्रणाधीन हैं।

7.3.2 द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पालघाट

द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (एफसीआरआई) को प्रवाह नियंत्रण/परिशुद्धता के साथ मापन में संदर्भ/मानकीकरण का ढांचा विकसित करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, जोकि द्रव

प्रवाह के क्षेत्र में प्रयोजनमूलक इंजीनियरी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए ढांचागत सुविधाएं प्रदान करता है। यह सभी प्रकार के प्रवाह उत्पादों के लिए परीक्षण और अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है। इसने अनेक संगठनों को संदर्भ/प्रमुख उपकरणों का राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अंशांकन और आईएसओ-9000 पद्धति अपेक्षाओं में निर्धारित प्रशिक्षण प्रदान कर आईएसओ-9000 प्रमाणन प्राप्त करने में सहायता की है। इसने भारत में पेट्रोलियम कंपनियों को परीक्षण कराने के लिए 20 बार एचपी तक वायु प्रवाह अंशांकन और परीक्षण सुविधा स्थापित की है।

7.3.3 सेरेमिक टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, बंगलौर

इस परियोजना का विकासात्मक उद्देश्य भारतीय-चीनी मिट्टी उद्योग को अपनी प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करने और उन्नत किस्म की चीनी मिट्टी के नए उत्पादों

एफ.सी.आर.आई. के जल प्रवाह प्रयोगशाला का एक दृश्य

के विकास में सहायता करना है। उद्योग के लिए आवश्यक चीनी मिट्टी के कई उत्पादों का विकास किया गया है और उनमें से कुछ का व्यावसायिक उपयोग किया जाने लगा है। इस क्षेत्र में परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं इस संस्थान द्वारा उद्योग को प्रदान की जा रही है।

7.3.4 सेंटर फार इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्टेशन, भोपाल

विद्युत परिवहन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इस परियोजना को भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जुलाई, 1988 में मंजूरी दी गई। केन्द्र की क्षमताओं का विकास किया गया है और यहां बिजली से चलने वाले तमाम वाहनों के डिजाइन संबंधी सभी पहलुओं का विश्लेषण और परीक्षण कर उनकी कार्यक्षमता, विश्वसनीयता तथा दक्षता में सुधार किया जाता है। केन्द्र में ऐसी सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें सभी परिस्थितियों में वाहनों की कार्यक्षमता का कम्प्यूटरों के जरिये और वास्तविक तौर पर परीक्षण संभव हो सकेगा।

7.3.5 प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार

प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई) की स्थापना भारी उद्योग विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को मुख्य एजेंसी की भूमिका सौंप कर की थी। एफसीआरआई ने आर्थिक विकास के अवांछित दुष्परिणामों से बचने के लिए हवा, पानी, आवास और ठोस अपशिष्ट से संबंधित औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी का विकास किया है। संस्थान विभिन्न उद्योगों और ताप बिजलीघरों को नियमित रूप से सेवाएं उपलब्ध कराता है।

7.3.6 वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तिरूचिरापल्ली

वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान (डब्ल्यू आर आई) देश में अपनी तरह का पहला है। संस्थान में अत्याधुनिक वेल्डिंग अनुसंधान सुविधाएं, जैसे इलेक्ट्रान और लेजर बीम, फ्लेशबट, घर्षण और प्लाज्मा वैल्डिंग के अलावा परम्परागत आर्क वेल्डिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा, यहां फेटिग टेस्टिंग रेजीड्यूअल स्ट्रेम मेजरमेंट, रेजीड्यूअल लाइफ ऐस्टिमेशन आदि के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट आईएसआरओ, भारतीय रेलवे, रक्षा और सरकारी तथा निजी क्षेत्र में उद्योगों को सेवा प्रदान करता रहा है।

अल्पसंख्यकों का कल्याण

8.1 इस विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम अल्पसंख्यकों के कल्याण के संवर्धन के लिए इस विषय पर सरकार के निर्देशों के अनुरूप अपने दायित्वों के प्रति अत्यधिक सजग हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग, विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नियुक्ति/पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का साधारणतया इस विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुपालन किया गया है। प्रधान मंत्री के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए केंद्रीय सरकारी उद्यमों में आरक्षित पिछली रिक्तियों को भरने का विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है।

8.2 भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का उचित अनुवीक्षण करने के लिए निदेशक के स्तर पर एक संपर्क अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष कार्यरत है। यह कक्ष सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आरक्षण रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्यबल में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों से बड़ी संख्या में व्यक्ति शामिल होते हैं। कार्यबल की मुख्य धारा में उनका एकीकरण सभी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूरा हैं और उनकी जाति, वर्ग अथवा धार्मिक मतों के कारण उनमें कोई विभेद नहीं किया जाता है। रिहायशी आवास जैसी सुविधाओं के रूप में सभी कर्मचारियों को समान माना जाता है।

8.3 हर वर्ष ''कौमी एकता/सद्भावना दिवस'' आयोजित किया जाता है; जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित समाज के सभी वर्गों के लोग एकजुटता, राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए भाग लेते हैं।

महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण

9.1 भारी उद्योग विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम यह सुनिश्चित करने का सतत प्रयास करते है कि महिलाओं के साथ किसी भी कारण भेदभाव नहीं किया जाए। सभी कर्मचारियों को भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित लिंग समानता और न्याय के सिद्धांतों के प्रति जागरूक बनाया जाता हैं।

9.2 विशेषकर महिला कर्मचारियों के मानव अधिकारों के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने लिंग समानता के अधिकारों के संरक्षण और उसे लागू करने तथा कामकाजी महिलाओं को न्याय देने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए महिला अधिकारी के नेतृत्व में एक शिकायत समिति गठित की है। विभाग महिला कर्मचारियों को बैठकों, संगोष्ठियों, प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण आदि जैसे सभी कार्यकलापों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। सह कार्यबल की मुख्य धारा में उनका एकीकरण सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

9.3 वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अनुसार, जेंडर बजटिंग से संबंधित मामले की देख-रेख करने के लिए विभाग में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

सतर्कता

10.1 सतर्कता कार्यकलाप किसी संगठन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। विभाग के कर्मचारियों तथा साथ ही सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर गौर करने के लिए विभाग में संयुक्त सचिव के रैंक का एक मुख्य सतर्कता अधिकारी है। उसकी सहायता सतर्कता अनुभाग के साथ एक निदेशक और अवर सचिव द्वारा की जाती है।

10.2 सतर्कता अनुभाग के कार्य के मुख्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों तथा साथ ही भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करना;
- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर की नियुक्तियों और अन्य नियुक्तियों के संबंध में एसीसी अनुमोदन की अपेक्षा वाले पीएमईबी की सिफारिशों के आधार पर सतर्कता संबंधी स्वीकृति जारी करना;
- केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ सतर्कता मामलों से संबंधित सूचना के व्यवस्थित प्रवाह के लिए संपर्क बनाए रखना;
- वित्तीय अनियमितता तथा कार्यविधिक अनियमितता के मुद्दों पर सलाह देना;
- बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में आरोप पत्र की जांच करना।

10.3 सतर्कता संगठन निवारक सतर्कता पर भी बल देता है तथा यह अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है। तथापि, उपयुक्त मामलों में दंडात्मक उपाय किए जाते हैं और जहां भी अपेक्षा हो उनपर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

10.4 सतर्कता अनुभाग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों और मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सी.वी.ओ.) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है।

10.5 सतर्कता अनुभाग भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा इसके अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों द्वारा वार्षिक संपत्ति विवरणियों की प्रस्तुति का अनुवीक्षण भी करता है।

अध्याय–11

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

11.1 विभाग में राजभाषा अनुभाग विभाग में हिन्दी के प्रयोग के संवर्धन के लिए उपाय करता है। विभाग के सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग के संवर्धन के लिए प्रयास समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी रहे थे। राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से आवधिक बैठकें की और राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके अधीन बनाए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों का सुझाव दिया।

11.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बंगलौर और त्रिचिरापल्ली, नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कारपोरेशन, नागालैंड, एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यालयों का निरीक्षण किया तथा हिंदी की प्रगति से संतुष्टि व्यक्त की। विभाग के अधिकारियों ने हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए वर्ष के दौरान कुछ उद्यमों का निरीक्षण किया और इस प्रकार भ्रमण किए गए इन उद्यमों के अधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति से अवगत कराया गया।

11.3 सभी अधिसूचनाएं, संकल्प, टिप्पणियों, और परिपत्रों तथा संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखे गए संसद प्रश्नोत्तर, वार्षिक रिपोर्टें, (बजट निष्पादन), सामान्य आदेश और कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए गए। हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा हिंदी पत्राचार में वृद्धि करने के लिए दिनांक 14 सितम्बर, 2005 से 30 सितम्बर, 2005 तक **''हिंदी पखवाड़ा''** आयोजित किया गया था, जिसके दौरान टिप्पण/प्रारूपण, अंग्रेजी से हिंदी और विलोमत: अनुवाद, कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण आदि सहित कई प्रतियोगिताएं संचालित की गई। विभाग के अधिकारियों ने इन गतिविधियों में भाग लिया और गहरी दिलचस्पी दर्शाई। विजेता उम्मीदवारों को नकद पुरस्कार दिए गए। हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण में प्रशिक्षण देने तथा साथ ही हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए तिमाही रिपोर्ट का प्रोफार्मा सही तरीके से भरने के लिए विभाग के अधिकारियों/

कर्मचारियों के लिए कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। उन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों की जानकारी भी दी गई।

11.4 वर्ष के दौरान सरकारी कार्य में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संवर्धन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए थे:

- राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों हेतु) नियम, 1976 के नियम 10(4), जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार को उन कार्यालयों को अधिसूचित करना होता है, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीगण ने हिंदी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। तदनुसार विभाग ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की यूनिटों अर्थात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नागपुर (महाराष्ट्र) और वदोदरा (गुजरात) को अभिज्ञात और अधिसूचित किया।
- **''आज का शब्द''** के माध्यम से हिंदी सीखने के कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

11.5 विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने भी राजभाषा अधिनियम और उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए तीव्र प्रयास जारी रखा। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न संगोष्ठियां, प्रतियोगिताएं एवं कार्यशालाएं आयोजित की गईं। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में **''हिन्दी पखवाड़ा''/''हिन्दी सप्ताह''** बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

भारी उद्योग विभाग का संगठन

दिनांक 1.02.2006 की स्थिति के अनुसार

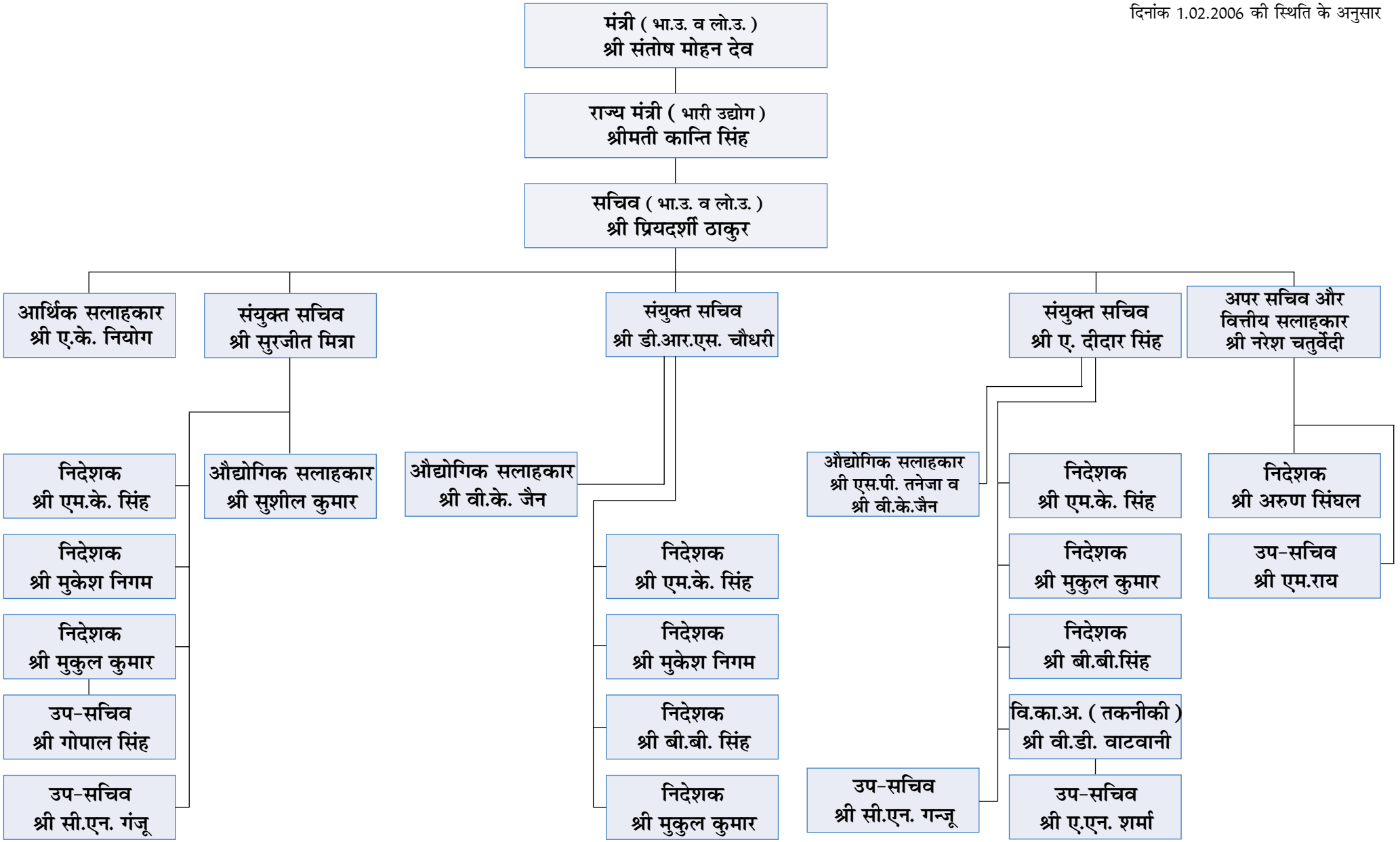

भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में सामान्य सूचना

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम व पंजीकृत कार्यालय का स्थान	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के स्थापना का वर्ष	31.3.2005 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लाक (करोड़ रुपए)
1	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (ए वाई एंड कं.), कोलकाता	1979	201.24
2	हुगली प्रिंटिंग कोलकाता	1979	1.66
3	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल), नई दिल्ली	1956	3724.00
4	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), कोलकाता	1976	134.80
5	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	1976	40.67
6	भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल), पटना	1978	16.71
7	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे), कोलकाता	1987	6.05
8	भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी), विशाखापत्तनम	1966	78.85
9	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) इलाहाबाद	1970	38.24
10	रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड (आरएंडसी), मुम्बई	1972	34.73
11	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल), इलाहाबाद	1965	20.15
12	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स होसपेट, कर्नाटक	1967	21.66
13	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया), कोलकाता	1972	103.85
14	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल), कोलकाता	1952	523.68
15	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची	1958	316.97

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम व पंजीकृत कार्यालय का स्थान	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के स्थापना का वर्ष	31.3.2005 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लाक (करोड़ रुपएं)
16	एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी), बंगलौर	**1953**	**114.34**
17	एचएमटी (मशीन टूल्स) लिमिटेड बंगलौर	**2000**	**212.22**
18	एचएमटी वाचेज लिमिटेड बंगलौर	**2000**	**187.78**
19	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड जम्मू	**2000**	**10.53**
20	प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल) सिकंदराबाद	**1959**	**35.02**
21	एचएमटी (बियरिंग्स) हैदराबाद	**1981**	**28.74**
22	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड बंगलौर	**1974**	**22.35**
23	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल), कोटा	**1964**	**67.23**
24	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), जयपुर	**1981**	**9.92**
25	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल), लखनऊ	**1972**	**50.27**
26	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) नई दिल्ली	**1965**	**646.28**
27	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी), कोलकाता	**1970**	**814.34**
28	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल), वेल्लोर, कोट्टायम	**1983**	**376.12**
29	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ), ऊटी	**1960**	**720.63**
30	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल), जयपुर	**1959**	**4.92**
31	सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल), जयपुर	**1964**	**7.75**
32	नेपा लिमिटेड (नेपा), नेपानगर	**1958**	**115.00**

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम व पंजीकृत कार्यालय का स्थान	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के स्थापना का वर्ष	31.3.2005 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लाक (करोड़ रुपए)
33	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), कोलकाता	**1984**	**117.37**
34	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई), नई दिल्ली	**1970**	**21.79**
	कुल		**8825.86**

टिप्पणी: (**i**) सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, एमएएमसी और आरआईसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 5 उद्यम (बीएलसी, एनआईडीसी, एनपीपीसी, बीओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(**ii**) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) और एक प्रचालनरत सहायक कंपनी यथा स्कूटर्स इंडिया इंटरनेशनल, जीएमबीएच है।

31.3.2005 की स्थिति के अनुसार अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों सहित भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में नियोजन की स्थिति

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या				कर्मचारियों की संख्या		
		कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार/अन्य	कुल	अनु. जा.	अनु. ज.जा.	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एण्ड्रयू यूल	211	108	15583	15902	962	4548	8066
2	हुगली प्रिंटिंग	8	8	47	63	1	0	0
3	बीएचईएल (भेल)	9984	7175	26143	43302	7985	1751	3004
4	बीएससीएल	126	168	1262	1556	169	14	283
5	ब्रेथवेट	63	31	455	549	56	1	0
6	बीडब्ल्यू ईएल	43	44	871	958	85	2	296
7	बीबीजे	45	6	40	91	6	1	0
8	बीएचपीवी	326	139	1053	1518	264	110	283
9	बीपीसीएल	222	47	975	1244	197	2	382
10	आर एंड सी	24	9	44	77	9	0	6
11	टीएसएल	68	50	202	320	34	0	112
12	टीएसपी	38	21	289	348	82	9	96
13	बी एंड आर	461	475	329	1265	166	5	37
14	एचसीएल	451	494	2233	3178	842	232	200
15	एचईसी	827	957	1826	3610	308	649	849
16	एचएमटी (धारक कंपनी)	275	188	2026	2489	567	108	28
17	एचएमटी (एमटी)	1017	476	3038	4531	786	216	822
18	एचएमटी (वाचेज़)	246	216	1718	2180	388	98	306
19	एचएमटी (चिनार वाचेज़)	20	99	513	632	49	4	0
20	पीटीएल	93	12	449	554	96	13	120
21	एचएमटी (बेयरिंग्स)	52	48	256	356	45	0	135

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम	कर्मचारियों की कुल संख्या				कर्मचारियों की संख्या		
	नाम	कार्यपालक	पर्यवेक्षक	कामगार/अन्य	कुल	अनु. जा.	अनु. ज.जा.	अ.पि.व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	एचएमटी (आई)	40	26	10	76	11	3	9
23	आई एल	251	810	691	1752	287	81	279
24	आरईआईएल	55	43	98	196	27	11	31
25	एसआईएल	222	75	1450	1747	305	2	475
26	सीसीआई	182	204	1200	1586	195	125	197
27	एचपीसी	602	215	2087	2904	292	232	51
28	एचएनएल	193	89	804	1086	70	4	224
29	एचपीएफ	93	67	924	1084	177	55	501
30	एचएसएल	15	36	89	140	20	9	28
31	एसएसएल	9	26	105	140	38	8	35
32	नेपा	127	0	1348	1475	123	25	77
33	टीसीआईएल	31	38	239	308	15	2	0
34	ईपीआईएल	357	84	15	456	76	13	20
	कुल	**16777**	**12484**	**68412**	**97673**	**14733**	**8333**	**16952**

टिप्पणी: (i) सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 5 उद्यम (बीएलसी, एनआईडीसी, एनपीपीसी, बीओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) है और एक गैर-प्रचालनात्मक सहायक कंपनी यथा स्कूटर इंडिया इंटरनेशनल, जीएमबीएच है।

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के उत्पादन कार्यनिष्पादन को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	2002-2003 (वास्तविक)	2003-2004 (वास्तविक)	2004-2005 (वास्तविक)	2005-2006 (पूर्वानुमानित)	2006-2007 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं.	106.55	96.62	119.64	112.55	199.16
2	हुगली प्रिंटिंग	11.64	8.39	9.98	11.00	12.00
3	भेल	7482.00	8662.00	10336.00	12000.00	13000.00
4	बीएससीएल	208.35	176.92	186.24	227.47	304.84
5	ब्रेथवेट	75.07	66.37	66.20	99.23	135.76
6	बीडब्ल्यूईएल	40.47	12.55	19.63	64.77	99.90
7	बीबीजे	46.59	26.58	38.29	51.65	55.00
8	बीएचपीवी	145.11	33.54	140.71	122.00	203.00
9	बीपीसीएल	66.41	50.57	70.00	82.00	102.00
10	आरएण्डसी	47.47	89.58	15.40	26.89	30.10
11	टीएसएल	24.58	30.00	1.50	1.75	2.00
12	टीएसपी	10.84	3.50	3.36	4.50	22.35
13	बीएण्डआर	364.24	393.47	455.65	500.00	605.00
14	एचसीएल	391.35	121.40	21.19	7.00	0.00
15	एचईसी	134.64	151.34	188.80	210.44	323.46
16	एचएमटी (धारक कम्पनी)	141.45	129.35	186.74	302.61	354.53
17	एचएमटी (एमटी)	197.07	177.95	208.10	280.00	375.00
18	एचएमटी (वाचेज़)	44.49	25.64	19.33	62.00	110.00
19	एचएमटी (चिनार वाचेज़)	1.97	1.97	0.20	2.64	15.00
20	पीटीएल	6.29	8.12	10.53	14.56	22.50
21	एचएमटी (बेयरिंग्स)	18.41	23.60	24.42	40.00	42.00
22	एचएमटी (आई)	43.92	32.90	29.08	51.00	61.20

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	2002-2003 (वास्तविक)	2003-2004 (वास्तविक)	2004-2005 (वास्तविक)	2005-2006 (पूर्वानुमानित)	2006-2007 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
23	आईएल	131.53	153.25	175.85	200.00	225.00
24	आरईआईएल	40.44	44.70	49.52	48.00	50.50
25	एसआईएल	134.50	148.62	135.36	155.49	180.21
26	सीसीआई	120.69	131.33	178.53	189.45	197.52
27	एचपीसी	565.08	581.91	551.62	616.03	638.80
28	एचएनएल	204.05	250.99	273.55	294.88	302.40
29	एचपीएफ	30.32	35.13	16.83	13.50	30.86
30	एचएसएल	6.69	5.63	4.71	13.90	19.86
31	एसएसएल	6.22	5.25	7.19	7.98	20.83
32	नेपा	32.04	39.03	38.47	69.11	105.21
33	टीसीआईएल	128.22	144.32	60.31	139.06	168.00
34	ईपीआई	358.71	462.69	526.45	611.30	710.52
	कुल	**11367.40**	**12325.21**	**14169.29**	**16632.76**	**18724.51**

टिप्पणी: (i) सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 5 उद्यम (बीएलसी, एनआईडीसी, एनपीपीसी, बीओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां (बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल) है और एक गैर-प्रचालात्मक सहायक कम्पनी यथा स्कूटर्स इंडिया इंटरनेशनल, जीएमबीएच है।

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का लाभ(+)/हानि(–) (कर–पूर्व) दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	2002-2003 (वास्तविक)	2003-2004 (वास्तविक)	2004-2005 (वास्तविक)	2005-2006 (पूर्वानुमानित)	2006-2007 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
(क) लाभ कमा रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यम						
1	हुगली प्रिंटिंग	1.72	1.16	1.50	1.52	1.70
2	बीएचईएल	803.00	1015.00	1581.00	1472.00	1655.00
3	एचपीसी	40.60	59.69	55.60	55.84	56.42
4	एचएनएल	-7.55	8.22	9.54	24.73	32.05
5	एचएमटी (धारक कंपनी)	-34.01	-7.19	18.50	2.47	46.03
6	एचएमटी (आई)	0.34	0.13	0.08	0.55	0.75
7	एचएसएल	-2.78	-2.41	8.34	0.61	0.58
8	एसएसएल	-2.66	-3.11	2.35	-0.71	0.55
9	बी एंड आर	3.85	4.24	1.49	5.00	10.00
10	बीबीजे	-4.39	-24.30	0.33	0.76	1.51
11	ईपीआई	3.01	29.66	7.85	12.00	15.00
12	आरईआईएल	3.55	2.88	3.03	1.73	2.75
13	एसआईएल	2.65	3.16	1.39	2.05	3.02
	उप-योग (क) लाभ कमा रही कंपनियां	**807.33**	**1087.13**	**1691.00**	**1578.55**	**1825.36**
(ख)	**हानि में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उद्यम**					
14	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी	-60.66	-54.63	-75.44	-79.11	25.00
15	ब्रेथवेट	-29.22	-23.56	-21.91	-15.93	5.27
16	बीएससीएल	-73.74	-110.65	-118.72	-120.34	-99.26
17	बीडब्ल्यूईएल	-10.58	-24.05	-28.10	-16.24	-9.26
18	टीएसपी	-2.63	-99.98	-16.64	-23.04	-3.80
19	बीएचपीवी	-187.63	-152.92	-78.24	-52.83	-34.81

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	2002-2003 (वास्तविक)	2003-2004 (वास्तविक)	2004-2005 (वास्तविक)	2005-2006 (पूर्वानुमानित)	2006-2007 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
20	बीपीसीएल	-12.92	-18.64	-11.62	1.35	9.52
21	आरएण्डसी	-28.19	-39.26	-33.06	-44.00	-44.00
22	टीएसएल	-26.26	-47.99	-48.00	-41.32	-38.76
23	एचसीएल	-256.31	-307.87	-270.88	-300.15	-343.71
24	एचईसी	-173.82	-132.68	-285.02	-196.64	6.07
25	एचएमटी (बी)	-15.03	-9.58	-10.38	-8.72	-8.60
26	एचएमटी (एमटी)	-102.05	-119.08	-73.80	-48.88	5.77
27	एचएमटी (वाच)	-112.92	-134.81	-134.53	-110.64	1.28
28	एचएमटी (चिनार वाचेज़)	-6.31	-21.92	-25.23	-27.12	71.38
29	पीटीएल	-37.50	-16.04	-34.39	-2.63	13.59
30	आईएल	-29.18	-29.02	-16.98	1.05	5.85
31	सीसीआई	-215.36	-80.95	-218.94	-227.65	-230.56
32	एचपीएफ	-385.39	-443.02	-496.41	-539.57	-558.99
33	नेपा	-52.11	-46.17	-48.61	-46.52	-45.98
34	टीसीआईएल	-16.91	4.55	-56.87	-53.07	-53.50
	उप-योग (ख) हानि उठा रही कम्पनियां	**-1834.72**	**-1908.27**	**-2103.77**	**-1952.00**	**-1327.50**
	कुल-योग (क और ख)	**-1027.39**	**-821.14**	**-412.77**	**-373.45**	**497.86**

टिप्पणी: (i) सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 5 उद्यम (बीएलसी, एनआईडीसी, एनपीपीसी, बोओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां नामत: बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल है और एक गैर-प्रचालनात्मक सहायक कंपनी यथा स्कूटर इंडिया इंटरनेशनल, जीएमबीएच है।

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कुल कारोबार (टर्न ओवर) के प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक ऊपरी खर्चों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन एवं मजदूरी					कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में सामाजिक ऊपरी खर्च				
		2002-03 (वास्तविक)	2003-04 (वास्तविक)	2004-05 (वास्तविक)	2005-2006 (पूर्वानुमानित)	2006-07 (लक्ष्य)	2002-03 (वास्तविक)	2003-04 (वास्तविक)	2004-05 (वास्तविक)	2005-2006 (पूर्वानुमानित)	2006-2007 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं.	54.85	46.70	40.13	37.30	16.00	5.50	5.40	9.93	9.50	8.50
2	हुगली प्रिंटिंग	13.48	18.01	15.64	15.81	1525.00	1.02	1.20	1.23	1.17	1.12
3	भेल	20.11	18.93	15.97	15.63	16.00	2.52	2.86	2.21	2.08	1.92
4	बीएससीएल	20.54	15.43	12.73	13.14	11.08	2.08	2.18	4.14	2.19	1.67
5	ब्रेथवेट	31.70	20.26	21.20	10.39	9.42	1.50	0.88	0.78	0.77	1.08
6	बीडब्ल्यूईएल	58.79	158.99	96.29	28.06	26.57	1.07	2.34	1.74	2.30	2.06
7	बीबीजे	12.59	15.19	10.00	9.79	9.62	0.87	1.07	0.69	0.82	0.73
8	बीएचपीवी	29.18	55.56	29.15	15.00	20.43	2.17	19.28	16.65	6.64	10.23
9	बीपीसीएल	42.70	50.01	34.00	30.50	24.90	1.62	1.91	1.24	1.01	0.84
10	आर एंड सी	27.75	20.96	2.40	2.68	4.80	0.94	1.30	1.67	1.19	1.18
11	टीएसएल	219.18	2019.00	1664.00	1005.00	500.00	3.71	64.70	85.00	90.00	50.00
12	टीएसपी	69.60	35.20	10.28	6.00	3.50	3.91	29.52	26.96	14.81	2.52
13	बी एंड आर	9.64	9.55	7.73	7.10	6.03	1.86	1.52	1.79	1.52	1.31
14	एचसीएल	15.28	52.30	278.63	1020.86	0.00	1.62	4.91	23.04	78.00	0.00
15	एचईसी	31.02	34.05	29.77	27.47	18.21	4.56	5.33	5.12	1.43	1.08
16	एचएमटी (धारक कंपनी)	32.43	37.70	30.06	18.90	14.29	3.48	4.18	3.07	1.93	1.55
17	एचएमटी (एमटी)	43.00	54.00	43.00	32.00	33.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00
18	एचएमटी (वाचेज़)	105.00	148.00	165.00	52.00	25.00	2.00	3.00	4.00	1.00	1.00
19	एचएमटी (चिनार)	1072.00	928.00	1491.00	409.00	188.00	152.00	167.00	280.00	78.00	36.00
20	पीटीएल	109.00	73.00	55.00	48.00	28.00	42.00	26.00	21.00	15.00	8.00
21	एचएमटी (बेयरिंग्स)	48.81	26.19	26.07	19.88	19.88	5.21	2.92	3.20	2.44	2.44
22	एचएमटी (आई)	4.66	5.71	7.56	4.52	4.00	0.98	1.47	1.56	1.00	0.67
23	आई एल	28.90	21.92	20.26	17.00	15.56	1.70	1.29	1.03	0.88	0.78
24	आरईआईएल	8.08	7.70	7.87	8.62	8.85	1.75	1.43	1.49	1.72	1.80
25	एसआईएल	16.70	15.77	17.36	15.32	14.60	4.74	5.63	6.40	6.59	5.92
26	सीसीआई	32.07	19.80	11.45	11.02	10.75	11.61	8.79	4.76	4.10	3.74
27	एचपीसी	9.31	9.22	10.08	8.92	8.74	4.62	4.62	5.13	4.90	4.78
28	एचएनएल	11.38	8.54	8.32	7.24	7.11	4.49	4.08	3.87	4.33	3.91
29	एचपीएफ	49.07	45.18	72.97	105.54	47.33	2.74	2.39	4.62	4.77	2.00
30	एचएसएल	63.44	60.44	42.94	40.31	18.87	3.67	3.56	3.99	3.49	1.47
31	एसएसएल	47.26	53.23	39.54	39.06	15.05	3.22	3.61	2.95	2.99	1.15
32	नेपा	30.00	43.00	36.00	22.00	13.00	5.00	7.00	7.00	2.00	2.00
33	टीसीआईएल	14.47	7.73	45.05	24.96	26.83	5.00	3.02	4.60	2.37	2.02
34	ईपीआईएल	5.27	4.38	3.61	3.37	3.41	1.00	1.25	0.63	0.88	0.47

टिप्पणी: (i) सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है और 5 सरकारी क्षेत्र के उद्यम (बीएलसी, एनआईडीसी, एनपीपीसी, बीओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल है और एक गैर-प्रचालनात्मक सहायक कंपनी यथा स्कूटर्स इंडिया इंटरनेशनल, जीएमबीएच है।

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के क्रयादेश की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम	दिनांक 1.10.2001 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2002 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2003 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2004 की स्थिति के अनुसार	दिनांक 1.10.2005 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं.	140.05	131.66	103.54	86.05	92.91
2	हुगली प्रिंटिंग	0.20	2.60	1.10	1.50	6.50
3	भेल	10029.00	12573.00	15800.00	23650.00	32000.00
4	बीएससीएल	86.83	111.02	174.74	152.80	102.80
5	ब्रेथवेट	19.98	106.85	130.59	144.11	228.72
6	बीडब्ल्यूईएल	33.24	32.68	115.48	101.99	150.94
7	बीबीजे	40.09	51.99	44.19	73.52	116.54
8	बीएचपीवी	183.05	130.41	115.50	186.90	302.90
9	बीपीसीएल	73.91	38.83	43.50	48.70	153.02
10	आर एंड सी	79.71	158.15	69.20	32.70	53.74
11	टीएसएल	38.58	37.72	36.00	22.40	16.30
12	टीएसपी	25.95	32.65	24.40	15.70	3.73
13	बी एंड आर	375.77	385.16	636.40	581.66	856.02
14	एचसीएल	243.49	351.63	164.00	138.25	1.32
15	एचईसी	150.32	99.63	192.90	314.45	433.27
16	एचएमटी (धारक कंपनी)	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
17	एचएमटी (एमटी)	145.08	99.19	111.23	166.65	175.31
18	एचएमटी (वाचेज़)	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
19	एचएमटी (चिनार वाचेज़)	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
20	पीटीएल	8.12	5.30	4.47	5.86	3.40
21	एचएमटी (बेयरिंग्स)	2.28	2.15	2.15	2.19	23.98
22	एचएमटी (आई)	42.53	53.15	12.11	21.68	7.51
23	आई एल	75	85	120.00	165	158
24	आरईआईएल	19.43	16.94	27.09	18.87	28.13
25	एसआईएल	–	–	–	–	–
26	सीसीआई	110.41	4.17	7.13		
27	एचपीसी	24.10	4.15	15.21	27.46	12.76
28	एचएनएल	–	–	–	–	–
29	एचपीएफ	0.00	5.10	2.60	2.85	5.57
30	एचएसएल	0.39	3.22	6.12	7.03	4.57
31	एसएसएल	2.10	1.03	2.07	2.84	4.36
32	नेपा	6.59	5.94	4.99	13.15	20.74
33	टीसीआईएल	5.00	4.80	5.00	1.00	3.00
34	ईपीआईएल	626.45	595.78	891.26	1459.96	1580.39
	कुल	**12587.65**	**15129.90**	**18862.97**	**27445.27**	**36546.43**

टिप्पणी: (i) सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 5 उद्यम (बीएलसी, एनआईडीसी, एनपीपीसी, बोओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां नामत: बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल है और एक गैर-प्रचालनात्मक सहायक कंपनी यथा स्कूटर्स इंडिया इंटरनेशनल जीएमबीएच है।

अनुबंध - **VIII**

करोड़ रुपए में

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात-निष्पादन

क्र सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम (1)	2001-2002 (वास्तविक)			2002-2003 (वास्तविक)			2003-2004 (वास्तविक)			2004-2005 (वास्तविक)			2005-2006 (पूर्वानुमानित)		
		वास्तविक (2)	मानित (3)	कुल (4)	वास्तविक (5)	मानित (6)	कुल (7)	वास्तविक (8)	मानित (9)	कुल (10)	वास्तविक (11)	मानित (12)	कुल (13)	वास्तविक (14)	मानित (15)	कुल (16)
1	एन्ड्रयू यूल एंड कं. लि.	8.09	0.00	8.09	6.51	2.10	8.61	0.53	1.60	2.13	1.25	2.65	3.90	2.50	3.50	6.00
2	भेल	987.00	1524.00	2511.00	637.00	1529.00	2166.00	596.00	1454.00	2050.00	829.00	1297.00	2126.00	910.00	3438.00	4348.00
3	बीएससीएल	4.89	0.00	4.89	1.48	13.17	14.65	2.53	4.90	7.43	4.71	0.00	4.71	2.39	0.00	2.39
4	बीबीजे	0.00	1.43	1.43	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	बीएचपीवी	0.00	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	बीपीसीएल	0.00	0.10	0.10	0.00	4.63	4.63	0.00	5.29	5.29	0.00	7.03	7.03	0.00	10.00	10.00
7	आरएण्डसी	0.24	0.30	0.54	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	टीएसपीएल	1.69	1.86	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	बीएण्डआर	8.47	0.00	8.47	8.97	0.00	8.97	0.65	0.00	0.65	2.85	0.00	2.85	3.20	0.00	3.20
10	पीटीएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.08	0.57	0.65	0.30	0.22	0.52	0.35	0.15	0.50
11	एचएमटी (आई)	49.68	0.00	49.68	34.73	0.00	34.73	29.94	0.00	29.94	28.17	0.00	28.17	50.00	0.00	50.00
12	आईएल	0.25	1.34	1.59	0.51	1.89	2.40	0.26	3.85	4.11	0.47	5.32	5.79	0.50	6.50	7.00
13	आरईआईएल	0.08	0.00	0.08	0.09	0.00	0.09	0.17	0.14	0.31	13.36	0	13.36	2.00	0.25	2.25
14	एसआईएल	0.31	0.00	0.31	0.94	0.00	0.94	1.06	0.00	1.06	1.05	0.00	1.05	1.10	0.00	1.10
15	एचपीसी	0.00	25.17	25.17	0.00	10.32	10.32	0.00	3.12	3.12	0.00	48.33	48.33	0.00	41.60	41.60
16	एचएसएल	0.92	0.00	0.92	0.65	0.00	0.65	0.21	0.00	0.21	0.41	0.00	0.41	0.39	0.0	0.39
	कुल	**1061.62**	**1560.57**	**2622.19**	**691.59**	**1561.89**	**2253.48**	**631.43**	**1473.47**	**2104.90**	**881.57**	**1360.55**	**2242.12**	**972.43**	**3500.00**	**4472.43**

31.3.2005 के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की चुकता पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ (+)/हानि (–) (अन्तिम)

(करोड़ रुपए में)

क्र. संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	चुकता पूंजी		निवल मूल्य	संचयी लाभ (+)/हानि (-)
		सरकारी/सरकारी क्षेत्र के धारक उद्यम	अन्य		
1	एण्ड्रयू यूल एंड कं.	154.91	3.93	-121.37	-268.27
2	हुगली प्रिंटिंग	1.03		2.89	0.36
3	भेल	165.76	79.00	6027.00	5782.00
4	बीएससीएल	128.82		-635.24	-723.89
5	ब्रेथवेट	108.99		-120.84	-225.48
6	बीडब्ल्यूईएल	10.10		-103.61	-103.90
7	बीबीजे	16.02		9.11	-6.91
8	बीएचपीवी	33.80		-432.69	-422.79
9	बीपीसीएल	53.53		-121.24	-168.61
10	आर एंड सी	54.84		-144.99	-178.31
11	टीएसएल	21.02		-321.08	-331.35
12	टीएसपी	8.44		-153.11	-161.12
13	बी एंड आर	24.63		54.90	30.76
14	एचसीएल	417.69	1.67	-1226.18	-1702.28
15	एचईसी	432.15		-1623.14	-2106.98
16	एचएमटी (धारक कंपनी)	467.67	8.50	24.91	-405.31
17	एचएमटी (एमटी)	10.70		-616.82	-461.75
18	एचएमटी (वाचेज़)	5.49		-658.10	-547.72
19	एचएमटी (चिनार वाचेज़)	1.41		-111.98	-104.10
20	पीटीएल	17.23	19.11	-278.38	-310.39
21	एचएमटी (बेयरिंग्स)	9.49	0.24	-30.38	-27.30
22	एचएमटी (आई)	0.48		20.40	19.92
23	आई एल	83.77		-179.16	-241.48
24	आरईआईएल	1.15	1.10	10.30	8.05
25	एसआईएल	43.04	1.99	57.40	12.56
26	सीसीआई	429.28		-1723.58	-2152.86
27	एचपीसी	700.38		666.84	-33.54
28	एचएनएल	82.54		190.16	110.27
29	एचपीएफ	180.68	19.19	-2931.48	-3153.46
30	एचएसएल	12.70		12.03	-10.95
31	एसएसएल	1.00	0.00	-1.32	-12.82
32	नेपा	104.70	0.69	-158.43	-292.77
33	टीसीआईएल	93.10		-568.33	-661.43
34	ईपीआईएल	35.42		88.34	56.61
	कुल	3911.96	135.42	-5097.17	-8795.24

टिप्पणी: (i) सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यमों यथा; बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टैफको, सीसीआईएल, एनबीसीआईएल, आरआईसी और एमएएमसी को बंद कर दिया गया है और सरकारी क्षेत्र के 5 उद्यम (बीएलसी, एनआईडीसी, एनपीपीसी, बोओजीएल और एनआईएल) प्रचालनरत नहीं हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त 34 उद्यमों के अलावा दो गैर-विनिर्माणकारी धारक कंपनियां नामत: बीबीयूएनएल और बीवाईएनएल है और एक गैर-प्रचालनात्मक सहायक कंपनी यथा स्कूटर्स इंडिया इंटरनेशनल जीएमबीएच है।

नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट, 2005* से महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

फर्म के अनुचित चयन से टर्बो जेनरेटर के पूर्ण संसेचन के लिए सुविधाओं की स्थापना में 32 महीने का विलम्ब हुआ। परिणामत: कंपनी की 12.32 करोड़ रुपए की निधियां 3.62 करोड़ रुपए के ब्याज की परिणामी हानि के साथ दो वर्ष से अधिक के लिए निष्क्रिय रहीं।

(2005 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.1.1) वाणिज्यिक

कंपनी ने एक्जिम नीति के अधीन प्रदान की गई सुविधा प्राप्त नहीं करने के कारण 1.47 करोड़ रुपए के ब्याज की परिणामी हानि के साथ 6.83 करोड़ रुपए की निधियां अवरुद्ध की।

(2005 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.1.2) वाणिज्यिक

कंपनी ने अपनी मूल्यनिर्धारण नीति का अनुपालन नहीं करके तथा साथ ही कार्य योग्य लागत का अनुमान करने में विफल रहने के कारण अलाभकारी मूल्यों पर एक आर्डर स्वीकृत करने के कारण 1.86 करोड़ रुपए का घाटा उठाया।

(2005 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.1.3) वाणिज्यिक

यथा निरीक्षित मशीन की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं करने से मशीन चालू करने में लगभग तीन वर्षों का विलम्ब हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप 71.75 लाख रुपए के ब्याज की परिणामी हानि सहित कंपनी की 2.62 करोड़ रुपए की निधियां अवरुद्ध पड़ी रहीं।

(2005 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.1.4) वाणिज्यिक

कंपनी ने क्षति के कारण सुनिश्चित किए बिना क्षतिग्रस्त पुर्जों के प्रतिस्थापन पर 1.83 करोड़ रुपए का परिहार्य व्यय किया।

(2005 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.1.5) वाणिज्यिक

संविदा के प्रावधानों से विपथित होने के परिणामस्वरूप 68.45 लाख रुपए का घाटा हुआ।

(2005 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.1.6) वाणिज्यिक

क्रय आदेशों में तीसरी पार्टी के निरीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण खण्ड को हटाने के कारण कंपनी ने परस्पर ढुलाई पर 65.82 लाख रुपए का व्यय किया।

(2005 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.1.7) वाणिज्यिक

पश्चातवर्ती निम्नतर प्रस्ताव के आधार पर पहले प्रस्ताव के लिए दरों पर बातचीत करने में कंपनी की विफलता से फरवरी, 2002 में उसे 58.23 लाख रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

(2005 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.1.8) वाणिज्यिक

भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड

उन कर्मचारियों, जो 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे, को यहां तक कि जब सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष तक कम करने का प्रस्ताव था, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्राप्त करने की अनुमति देकर कंपनी ने 3.02 करोड़ रुपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।

(2005 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.2.1) वाणिज्यिक

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

गारंटियों को नकदीकृत कराने में विलंबित कार्रवाई के साथ कार्य के निष्पादन का खराब अनुवीक्षण और संविदाकार की वित्तीय साख का मूल्यांकन करने में विफलता से 1.06 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

(2005 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.3.1) वाणिज्यिक

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

मार्ग के दौरान गैस की हानि की जांच के लिए प्रभावी उपाय नहीं करके कंपनी ने वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 तक 16.43 करोड़ रुपए का घाटा उठाया।

(2005 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.4.1) वाणिज्यिक

हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

निजी पार्टी के साथ त्रुटिपूर्ण करार के कारण कंपनी लाइसेंस फीस के लिए 52.30 लाख रुपए वसूल नहीं कर सकी।

(2005 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.5.1) वाणिज्यिक

एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

लोक उद्यम विभाग के अनुदेशानुसार कर्मचारियों के विदेश यात्रा दावों को विनियमित करने में कंपनी की विफलता से 1.10 करोड़ रुपए का अनियमित भुगतान हुआ।

(2005 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.6.1) वाणिज्यिक

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

आयातित परेषणों की स्वीकृति के लिए उचित अनुवीक्षण कार्यतंत्र की कमी से 79.77 लाख रुपए का घाटा हुआ।

(2005 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.7.1) वाणिज्यिक

नेपा लिमिटेड

कंपनी ने उपस्करों की खरीद पर 2.21 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया, जिसका कच्ची सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए निधियों के अभाव में उपयोग नहीं किया जा सका। इससे 2.21 करोड़ रुपए का अलाभप्रद व्यय हुआ।

(2005 की रिपोर्ट सं. 3 का पैरा 11.8.1) वाणिज्यिक

एचएमटी लिमिटेड

आमूल-चूल परिवर्तन योजना पर मध्यावधि समीक्षा

- आमूल-चूल परिवर्तन योजना ने केवल व्यवसाय के पुनर्गठन की कल्पना की तथा रुग्ण कंपनी की संपत्तियों में आमूल-चूल परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार, आमूल-चूल परिवर्तन योजना की विफलता मुख्यत: अपर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ अवास्तविक और अत्यधिक आशावादी पूर्वानुमानों, जिनसे कंपनी और भारत सरकार दोनों अवगत थी, के कारण थी। आमूल-चूल परिवर्तन योजना के पूर्वानुमान का समर्थन आमूल-चूल परिवर्तन योजना में शामिल अवधि के पूर्व वास्तविक प्रवृत्तियों और उनकी प्राप्ति के लिए ठोस कार्य योजना द्वारा नहीं किया गया था। संपूर्ण सहायता प्रक्रिया का अव्यक्त उद्देश्य औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित किए जाने से बचना था।

- यहां तक कि यद्यपि कंपनी समझौता ज्ञापन में भारत सरकार से और कोई वित्तीय सहायता/रियायत नहीं मांगने पर सहमत हुई फिर भी कंपनी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के भुगतान के निपटान के लिए अक्तूबर, 2004 तक 190.02 करोड़ रुपए और जुलाई, 2004 तक सहायक कंपनियों के वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए 87.38 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया।

- मंत्रालय ने कंपनी की आमूल-चूल परिवर्तन योजना के कार्यान्वयन को महत्व नहीं दिया है। एचएमटी लिमिटेड के महत्वपूर्ण कार्यात्मक निदेशकों और सहायक कंपनियों के अन्य निदेशकों के पद आमूल-चूल परिवर्तन योजना के कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान रिक्त रखे गए थे।

- कंपनी में आमूल-चूल परिवर्तन योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करने अथवा व्यवसाय के सामान्य क्रम में कंपनी के कार्यनिष्पादन के अनुवीक्षण के लिए गठित विभिन्न समितियां प्रभावी नहीं थीं।

(2005 की रिपोर्ट सं. 4) वाणिज्यिक

* वित्त मंत्रालय से उनके दिनांक 7.12.2005 के का.ज्ञा. सं 2100/ई-कॉर्ड/2003 द्वारा प्राप्त अवलोकन।

संकेताक्षर

एएआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण
एआरएआई	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एवाई एंड कं.	एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
बीबीजे	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
बीबीयूएनएल	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
बीएचईएल	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीएचपीवी	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीएलसी	भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड
बीओजीएल	भारत आप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड
बीपीसीएल	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
बीपीएमई	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
ब्रेथवेट	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
बीएससीएल	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड
बीडब्ल्यूईएल	भारत वैगन एण्ड कंपनी लिमिटेड
बीवाईएनएल	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
बीआरपीएसई	लोक उद्यम पुर्नगठन बोर्ड
सी डॉट	सेंटर फार डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स
सीसीआई	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीसीआईएल	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीईए	सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथारिटी
सीएनसी	कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
डीओई	डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स
ईईसी	यूरोपियन इकानामिक कम्युनिटी
ईओटी	इलैक्ट्रीकली आपरेटेड ट्राली
ईपीआई	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
एफबीपी	फल्युडाइज्ड बैड कंबशन
एफसीआरआई	फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट
एफएफपी	फाउंड्री फोर्ज प्लांट
एचसीएल	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
एचएमबीपी	हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट
एचएमटी (आई)	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (इंटरनेशनल) लिमिटेड
एचएमटीपी	हैवी मशीन टूल्स प्लांट
एचएनएल	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
एचपीसी	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
एचपीएफ	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
एचएसएल	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
एचवीडीसी	हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट

आईएलके	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा
आईएसआरओ	इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन
जेसप	जेसप एंड कंपनी लिमिटेड
केवी	किलोवोल्ट
केडब्ल्यू	किलो वाट
लगन जूट	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
एमएएमसी	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
एमएएक्स	मेन आटोमेटिक एक्सचेंज
एमओयू	मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
एमटी	मीट्रिक टन
एमयूएल	मारुति उद्योग लिमिटेड
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पीयर्स
एमडब्ल्यू	मेगा वाट
एनबीसीआईएल	नेशनल बाइसाईकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनसी	न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
नेपा	नेपा लिमिटेड
एनसीएमपी	नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम
एनआईडीसी	नेशनल इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
पीएसई	पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेज
पीटीएल	प्रागा टूल्स लिमिटेड
आर एंड सी	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड
आरडीएसओ	रिसर्च डिजाइन एंड स्टैन्डर्ड आर्गेनाइजेशन
आरआईसी	रिहेब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
आरएसडब्ल्यू	रेडिएशन शील्डिंग विंडो
एसआईएल	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
एसएसएल	सांभर सालट्स लिमिटेड
टैफ्को	टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
टीसीआईएल	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
टीएसएल	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
टीएसपी	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
यूएनडीपी	युनाईटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
यूएनआईडीओ	युनाईटेड नेशन्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन
वीआरएस	स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना
डब्ल्यूआईएल	वेबर्ड इंडिया लिमिटेड

लोक उद्यम विभाग

- लोक उद्यम सर्वेक्षण 83
- सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता एवं उनके निदेशक मंडलों का व्यावसायीकरण 85
- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली 90
- मानव संसाधन विकास 94
- सरकारी उद्यमों के लिए सहायक सेवाएं 101
- मजूरी नीति एवं श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण 103
- सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण 106
- सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) 107
- परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन योजना 109
- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन 111
- महिलाओं का कल्याण 112

अनुबंध (I से VI) 113

लोक उद्यम सर्वेक्षण

1.1 लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वित्तीय, भौतिक एवं सामाजिक-आर्थिक कार्यनिष्पादन की समग्र समीक्षा संसद में हर वर्ष प्रस्तुत करता है।

1.2 लोक उद्यम सर्वेक्षण में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सरकारी कंपनियों अथवा संसद के विशिष्ट नियमों के अधीन सांविधिक निगमों के रूप में भारत सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय सरकारी उद्यम शामिल हैं। परंतु, इसमें वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थाएं शामिल नहीं हैं। इस सर्वेक्षण में केवल वे सरकारी कंपनियां ही शामिल हैं, जिनकी प्रदत्त शेयर पूंजी में केन्द्रीय सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं है और ऐसे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सहायक कंपनियां भी शामिल हैं, लेकिन इस सर्वेक्षण में वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थाएं शामिल नहीं हैं।

1.3 प्राक्कलन समिति ने अपनी 73वीं रिपोर्ट (1959-60) में सरकार से यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक उद्यम की हर वर्ष सदन के दोनों पटलों पर रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट के अलावा सरकार संसद के समक्ष अलग से एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें सरकारी उद्यमों के कार्यचालन का संपूर्ण मूल्यांकन हो। तद्नुसार, पहली ''वार्षिक रिपोर्ट'' (लोक उद्यम सर्वेक्षण) 1960-61 में तैयार की गई थी, जिसे पूर्ववर्ती सरकारी उद्यम ब्यूरो (अब लोक उद्यम विभाग) ने तैयार किया था और जिसमें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन का समेकित विवरण प्रस्तुत किया गया था।

1.4 सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (कोपू) ने अपनी 46वीं रिपोर्ट (5वीं लोक सभा) में लोक उद्यम सर्वेक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं यथा विषयक्षेत्र, परिव्याप्ति, उपक्रमों का वर्गीकरण, रिपोर्ट की विषयवस्तु, प्रस्तुतिकरण का समय तथा अन्य मामलों को शामिल किया था। लोक उद्यम सर्वेक्षण तैयार करते समय कोपू की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है।

1.5 लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2004-05 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के समग्र कार्यनिष्पादन पर 45वीं रिपोर्ट होगी। इस सर्वेक्षण के लिए आधारभूत आंकड़े प्रत्येक उद्यम द्वारा इस विभाग को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों तथा लेखों से संकलित किए गए हैं। इस प्रकार संकलित और विश्लेषित आंकड़े तीन अलग-अलग खण्डों में प्रस्तुत किए गए हैं।

1.5.1 **खण्ड 1**–में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का व्यापक भौतिक और वित्तीय प्राचलों के संदर्भ में वृहत् मूल्यांकन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इस खण्ड के विभिन्न अध्यायों में सरकारी उद्यमों के प्रमुख क्रियाकलापों तथा उनके द्वारा विशेष क्षेत्र में की गई प्रगति को दर्शाया जाता है। इस खण्ड में कुछेक महत्वपूर्ण अनुपातों, यथा नियोजित पूंजी की तुलना में ब्याज एवं करपूर्व लाभ, नियोजित पूंजी की तुलना में बिक्री आदि के संदर्भ में उद्यमों के कार्यनिष्पादन के विश्लेषण को भी शामिल किया जाता है। इसमें योजनागत परिव्यय के वित्तपोषण के लिए आंतरिक संसाधन जुटाने, राजकोष में योगदान, प्रबंध विकास, पिछड़े क्षेत्रों के विकास, रोजगार सृजन, कर्मचारी कल्याण उपायों, विदेशी मुद्रा अर्जन, आयात प्रतिस्थापन प्रयासों तथा ऐसे अन्य संबंधित मुद्दों को भी शामिल किया जाता है, ताकि विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

1.5.2 **खण्ड–2** में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण विभिन्न क्षेत्रीय सजातीय समूहों में और अलग-अलग विभक्त कर के किया जाता है। इसमें प्रत्येक उद्यम के कार्यक्षेत्र की पृष्ठभूमि तथा उनके भौतिक वित्तीय निष्पादन का संक्षिप्त विवरण भी शामिल किया जाता है।

1.5.3 **खण्ड–3** में गत तीन वर्षों अर्थात 2004–2005, 2003–04 और 2002–03 के उद्यमवार विश्लेषणात्मक आंकड़े शामिल हैं। सूचना में संक्षिप्त तुलन-पत्र, संक्षिप्त लाभ-हानि लेखे और महत्वपूर्ण प्रबंध अनुपात शामिल हैं।

सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता एवं उनके निदेशक मंडलों का व्यावसायीकरण

2.1.1 सरकार सरकारी उद्यमों को स्वायत्त निदेशक मण्डल द्वारा प्रबंधित कंपनियां बनाने का प्रयास करती रही है। संस्था के अन्तर्नियमों के अंतर्गत सरकारी उद्यमों को निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में स्वायत्तता प्राप्त है। इस प्रकार, किसी सरकारी उद्यम का निदेशक मंडल नागरिकों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग आरक्षण आदि जैसे विषयों पर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए व्यापक दिशानिर्देशों के अध्याधीन इस संबंध में शक्तियों का प्रयोग करता है। सरकार ने नवरत्न और मिनीरत्न जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन लाभार्जनकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को बढ़ी हुई शक्तियां प्रदान की हैं।

2.1.2 राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में की गई वचनबद्धता के मद्देनजर प्रतिस्पर्धी परिवेश में प्रचालनरत सफल लाभार्जनकारी कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय एवं वाणिज्यिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायतत्ता, शक्तियों के प्रत्यायोजन इत्यादि जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में एक तदर्थ विशेषज्ञ समूह गठित किया था। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर सरकार अगस्त, 2005 में नवरत्न, मिनीरत्न और अन्य लाभार्जनकारी सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों की शक्तियां पहले ही बढ़ा चुकी है। वर्तमान स्थिति का आगे पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है।

2.2 'नवरत्न' श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यम

2.2.1 जुलाई, 1997 में सरकार ने सरकारी क्षेत्र के ऐसे 9 उद्यमों की पहचान **नवरत्न** के रूप में की थी, जिन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त था तथा जिनमें विश्वस्तरीय स्वरूप धारण कर पाने की क्षमता थी। नवरत्न श्रेणी के 9 उद्यम हैं - बीएचईएल, बीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, आईओसी, एमटीएनएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी तथा सेल। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों को अधिक स्वायत्तता दी गई है तथा इन्हे पूंजीगत व्यय करने, प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम स्थापित करने/रणनीतिक करार करने, संगठनात्मक पुनर्गठन करने, निदेशक मंडल स्तर से नीचे के पदों का सृजन करने और उन्हें समाप्त करने एवं घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से ऋण प्राप्त करने, वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

2.2.2 नवरत्न सरकारी उद्यमों के बोर्डों को वर्तमानत: निम्नलिखित बढ़ी हुई शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं-

(क) बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई मदों की खरीद अथवा प्रतिस्थापना पर पूँजीगत व्यय करना।

(ख) प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम अथवा रणनीतिक गठबंधन निष्पन्न करना।

(ग) खरीद अथवा अन्य व्यवस्था द्वारा प्रौद्योगिकी और जानकारी प्राप्त करना।

(घ) लाभ केन्द्रों की स्थापना सहित संगठनात्मक पुनर्गठन करना, भारत और विदेश में कार्यालय खोलना, नए कार्याकलाप केन्द्रों की स्थापना करना, इत्यादि।

(ड़) गैर-बोर्ड स्तर के निदेशकों अर्थात् कार्यात्मक निदेशकों सहित उस स्तर के सभी पदों का सृजन और समापन, जिनके वेतनमान बोर्ड स्तर के निदेशकों के समान हों, लेकिन जो निदेशक मण्डल के सदस्य नहीं हों। इस स्तर तक की सभी नियुक्तियों की शक्ति भी बोर्ड के पास रहेंगी और इसमें आतंरिक स्थानांतरण तथा पदों के पुन: नामकरण की शक्ति शामिल होगी।

(च) इन सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों के पास बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के मानव संसाधन प्रबंध (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती इत्यादि) से संबंधित शक्तियों को सरकारी उद्यम के निदेशक मंडल के निर्णयानुसार निदेशक मंडल अथवा सरकारी उद्यम के कार्यपालकों की उप-समिति को आगे प्रत्यायोजित करने की शक्ति प्राप्त है।

(छ) घरेलू पूँजी बाजारों से ऋण जुटाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उधार लेना, जो कि भारतीय रिर्जव बैंक/ आर्थिक कार्य विभाग के अनुमोदन, जैसा अपेक्षित हो, के शर्ताधीन होगा और यह प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

(ज) भारत और विदेश में इस शर्त पर वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्त्व वाली सहायक कम्पनियाँ स्थापित करना, जिनमें सरकारी उद्यम द्वारा इक्विटी निवेश निम्नलिखित सीमा के अंतर्गत होगा:-

(i) किसी एक परियोजना में 1000 करोड़ रुपए।

(ii) किसी एक परियोजनों में सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति का 15 प्रतिशत।

(iii) सभी संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों में कुल मिलाकर सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति का 30 प्रतिशत।

(झ) संविलयन एवं अधिग्रहण इन शर्तों के अधीन होंगे कि (i) यह सरकारी उद्यम की विकास योजना और कार्यचालन के प्रमुख क्षेत्र में होंगे, (ii) संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों की स्थापना के मामलों वाली शर्तें/सीमाएं एक समान होंगी, और (iii) विदेश में किए जाने वाले निवेश के बारे में आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति को सूचित किया जाएगा।

(ञ) आपात स्थिति में कार्यकारी निदेशकों के 5 दिन की अवधि वाले व्यवसाय संबंधी विदेश दौरों (अध्ययन दौरे, संगोष्ठि इत्यादि को छोड़कर) का अनुमोदन प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए सरकारी उद्यम के मुख्य कार्यपालक द्वारा किया जाएगा। मुख्य कार्यपालक सहित सभी अन्य मामलों में विदेश दौरों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के मंत्री का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना जारी रहेगा।

2.2.3 इन शक्तियों का प्रयोग गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करते हुए निदेशक मंडलों के पुनर्गठन सहित इस प्रयोजनार्थ निर्धारित विभिन्न शर्तों एवं दिशानिर्देशों के शर्ताधीन है।

2.2.4 सभी नवरत्न कंपनियों की मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा वर्ष 2005 के दौरान समीक्षा की गई थी।

2.3 'मिनीरत्न' श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यम

2.3.1 अक्तूबर, 1997 में सरकार ने यह निर्णय किया था कि लाभ अर्जित करने वाली अन्य कंपनियों को कतिपय पात्रता शर्तों के अध्याधीन अधिक स्वायत्तता दी जाए तथा वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएं, ताकि उन्हें दक्ष व प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इन कंपनियों को **मिनीरत्न** कहा जाता है और इनकी दो श्रेणियां हैं - **श्रेणी**-I तथा **श्रेणी**-II । ।

2.3.2 मिनीरत्न श्रेणी प्रदान करने के मानदण्ड इस प्रकार हैं -

(i) सरकारी उद्यम ने गत 3 वर्षों तक लगातार लाभ अर्जित किया हो और उसकी निवल परिसंपत्ति धनात्मक हो।

(ii) इसने सरकार को देय ऋण/ऋण पर ब्याज के भुगतान में चूक न की हो।

(iii) इसे बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं होना चाहिए (जहां कहीं भी विदेशी दाता अभिकरण की मानक शर्तों के अधीन सरकारी गारंटी अपेक्षित है, तब यह प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय से प्राप्त की जानी चाहिए। ऐसी सरकारी गारंटी से नवरत्न हैसियत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा); और

(iv) गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करके निदेशक मंडल का पुनर्गठन करना।

जिन उद्यमों का करपूर्व लाभ 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में 30 करोड़ रूपए या उससे अधिक हो, उन्हें श्रेणी-I तथा अन्य को श्रेणी-II दी गई है। पात्रता की शर्तें पूरी करने की स्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय किसी उद्यम को मिनीरत्न घोषित कर सकते हैं।

2.3.3 मिनीरत्न सरकारी उद्यमों के निदशक मंडलों को वर्तमानत: बढी हुई प्रत्यायोजित की गई शक्तियां नीचे दी गई हैं:-

(i) **पूंजीगत व्यय:**

(क) श्रेणी-I के सरकारी उद्यमों के लिए: सरकारी अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद पर व्यय करने की शक्ति को 500 करोड़ रुपए अथवा निवल परिसंपत्ति के बराबर, इनमें से जो भी कम हो, तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) श्रेणी-II के सरकारी उद्यमों के लिए: सरकारी अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपस्करों की खरीद पर व्यय करने की शक्ति को 250 करोड़ रुपए अथवा निवल परिसंपत्ति के 50% के बराबर, इनमें से जो भी कम हो, तक बढ़ा दिया गया है।

(ii) **संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियाँ:**

(क) श्रेणी-I के सरकारी उद्यमों के लिए: भारत में संयुक्त उद्यम तथा सहायक कंपनियां स्थापित करने के लिए किसी एक परियोजना में सरकारी उद्यम का इक्विटी निवेश सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति के 15% अथवा 500 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होगा। कुल मिलाकर सभी परियोजनाओं के मामले में समग्र निवेश सीमा सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति के 30% तक है।

(ख) श्रेणी-II के सरकारी उद्यमों के लिए: भारत में संयुक्त उद्यम तथा सहायक कंपनियां स्थापित करने के लिए किसी

एक परियोजना में सरकारी उद्यम का इक्विटी निवेश सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति के 15% अथवा 250 करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित होगा। कुल मिलाकर सभी परियोजनाओं के मामले में समग्र निवेश सीमा सरकारी उद्यम की निवल परिसंपत्ति के 30% तक है।

(iii) **संविलयन और अधिग्रहण:** केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को संविलयन और अधिग्रहण की शक्तियां इन शर्तों के अधीन प्राप्त हैं कि (i) यह सरकारी उद्यम के प्रचालन से संबंधित प्रमुख क्षेत्र में होना चाहिए, (ii) वही शर्तें/सीमाएं लागू रहेंगी, जो कि संयुक्त उद्यमों की स्थापना के संबंध में लागू हैं; और (iii) विदेशों में पूंजीनिवेश करने के मामले में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति को इससे अवगत करा दिया जाएगा।

(iv) **मानव संसाधन विकास संबंधी योजना:** कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबंध, प्रशिक्षण, स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य सेवानिवृति योजनाओं इत्यादि से संबंधी स्कीमें तैयार करने और क्रियान्वित करने के लिए इन सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कार्यपालकों के संबंध में मानव संसाधन प्रबंध (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती इत्यादि) से संबंधित शक्तियों को और आगे निदेशक मंडल की उप समितियों अथवा सरकारी उद्यम के कार्यपालकों को, सरकारी उद्यम के निदेशक मंडल द्वारा जैसा भी निर्णय किया जाए, और आगे प्रत्यायोजित करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

(v) **व्यापार विषयक विदेश दौरे:** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मुख्य कार्यपालक को आपात स्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिन तक की अवधि के विदेश व्यापार दौरे (अध्ययन दौरे, संगोष्ठि से भिन्न) का अनुमोदन करने की शक्तियां प्राप्त हैं। मुख्य कार्यपालक सहित अन्य सभी मामलों में, विदेश दौरे के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक बना रहेगा।

(vi) **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीतिक सहयोग:** समय-समय पर जारी किए जाने वाले सरकारी दिशानिर्देशों के शर्ताधीन प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम/रणनीतिक सहयोग निष्पन्न करना और खरीद अथवा अन्य प्रबंधों द्वारा प्रौद्योगिकी तथा जानकारी प्राप्त करना।

2.3.4 वर्तमानत:, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में 44 उद्यमों को मिनीरत्न (श्रेणी-I में 29 तथा श्रेणी-II में 15) का दर्जा प्राप्त है। मिनीरत्न उद्यमों के नाम **अनुबंध- II** में दिए गए हैं। इन सरकारी उद्यमों द्वारा बढ़ी हुई शक्तियों का प्रयोग इस शर्त पर किया जा सकता है कि उनके निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशकों को पर्याप्त संख्या में शामिल किया गया हो। वर्ष 2003-04 के दौरान मिनीरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा लोक उद्यम विभाग के सचिव की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा की गई थी।

2.4 अन्य लार्भाजनकारी सरकारी उद्यम

2.4.1 जिन सरकारी उद्यमों ने 3 पूर्ववर्ती लेखा वर्षों में प्रत्येक वर्ष में लाभ दर्शाया हो और सकारात्मक निवल परिसंपत्ति हो, उन्हें अन्य लार्भाजनकारी सरकारी उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा उन्हें निम्नलिखित बढ़ी हुई शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:-

(i) सरकारी अनुमोदन के बिना पूंजीगत व्यय करने की शक्ति को संशोधित करके 150 करोड़ रुपए अथवा निवल परिसंपत्ति के 50% के बराबर, इनमें से जो भी कम हो, कर दिया गया है।

(ii) आपात स्थिति में कार्यकारी निदेशकों के 5 दिन की अवधि वाले व्यवसाय संबंधी विदेश दौरों (अध्ययन दौरे, संगोष्ठि इत्यादि को छोड़कर) का अनुमोदन प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए सरकारी उद्यम के मुख्य कार्यपालक द्वारा किया जाएगा। मुख्य कार्यपालक सहित सभी अन्य मामलों में विदेश दौरों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना जारी रहेगा।

2.5 व्यवसायीकरण

2.5.1 24 जुलाई, 1991 को घोषित औद्योगिक नीतिगत वक्तव्य के अनुसरण में सरकारी उद्यमों के प्रबंधन को व्यावसायिक बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। मार्च, 1992 में लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक सदस्य-संख्या की कम-से-कम एक-तिहाई होनी चाहिए। दिशानिर्देशों में यह भी उल्लिखित है कि निदेशक मंडलों में सरकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक सदस्य-संख्या के छठे भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी भी हालत में यह दो से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक निदेशक मंडल में कुछ कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, जिनकी संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत तक हो सकती है। कार्यपालक अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम-से-कम निदेशक मंडल के सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए।

2.5.2 सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा लोक उद्यम विभाग के परामर्श से बनाए गए पेनल में से की जाती है। जहां तक नवरत्न एवं मिनीरत्न श्रेणी के सरकारी उद्यमों का संबंध है, गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के लिए पेनल खोज समिति द्वारा तैयार किया जाता है और उस समिति में अध्यक्ष (लोक उद्यम चयन बोर्ड), सचिव, लोक उद्यम विभाग, संबंधित सरकारी उद्यम के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव तथा 4 गैर-सरकारी सदस्य शामिल होते हैं। नवरत्न एवं मिनीरत्न संबंधी योजना के अनुसार इन कंपनियों द्वारा बढ़ी हुई शक्तियों के प्रयोग के पूर्व इनके निदेशक मंडलों को व्यवसायिक बनाया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए नवरत्न उद्यमों के निदेशक मंडल के मामले में कम-से-कम 4 तथा मिनीरत्न उद्यमों के मामले में कम-से-कम 3 गैर-सरकारी निदेशकों को निदेशक मंडल में शामिल किया जाना चाहिए।

2.5.3 सरकार ने सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के चयन और नियुक्ति के लिए मानदण्ड निर्धारित किया है। तद्नुसार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि की न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, उसके पास सरकार में संयुक्त सचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर अथवा संस्थान के निदेशक/विभागध्यक्ष स्तर पर विख्यात चार्टर्ड लेखाकार/लागत लेखाकार जैसे शैक्षिक संस्थान/व्यवसाय में निगमित क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र के उद्यम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक के पद पर 10 वर्ष का अनुभव हो और वह 45-65 वर्ष के बीच की आयु का होना चाहिए। तथापि, प्रख्यात व्यावसायिकों के मामले में कारणों का उल्लेख करते हुए ऊपरी आयु सीमा में 70 वर्ष तक आयु सीमा की छूट दी जा सकती है।

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली

3.1 समझौता ज्ञापन की अवधारण

3.1.1 समझौता ज्ञापन सरकारी उद्यमों के स्वामी के रूप में सरकार तथा किसी उद्यम-विशेष के बीच वार्ता पर आधारित प्रलेख है। इसमें समझौता ज्ञापन से सम्बद्ध दोनों पक्षकारों के अभिप्रायों, उत्तरदायित्व तथा पारस्परिक जिम्मेवारियों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

3.1.2 इसके अलावा, समझौता ज्ञापन सरकारी उद्यमों के प्रबंधन को प्रकियाओं और नियंत्रणों द्वारा प्रबंध से परिणामों और उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की ओर ले जाने का प्रयास करता है।

3.2 समझौता ज्ञापन नीति लागू करने के लिए संस्थागत प्रबंध

3.2.1 वर्तमान संस्थागत व्यवस्था में सरकारी उद्यमों के प्रबंधन के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक वस्तुपरक एवं पारदर्शी तंत्र की स्थापना की गई है। इसमें एक ऐसे तंत्र का निमार्ण किया गया है, जिसके जरिए समझौता ज्ञापन के दोनों पक्षकारों की प्रतिबद्धाताओं का वर्ष के अंत में मूल्यांकन किया जा सकता है तथा साथ ही समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने हेतु अपेक्षित तकनीकी निविष्टियों में भी सुधार किया जा सकता है। इस संस्थागत प्रबंध तथा इसके अन्तर्संबंधों का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है:

3.3 उच्चाधिकार प्राप्त समिति

3.3.1 इस संस्थागत प्रबंध के शीर्ष स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :-

1. मंत्रिमंडल सचिव, अध्यक्ष
2. वित्त सचिव, सदस्य
3. सचिव (व्यय), सदस्य
4. सचिव (योजना आयोग), सदस्य
5. सचिव (कार्यक्रम कार्यान्वयन), सदस्य
6. अध्यक्ष (लोक उद्यम चयन मण्डल), सदस्य
7. अध्यक्ष प्रशुल्क आयोग, सदस्य
8. मुख्य आर्थिक सलाहकार, सदस्य
9. सचिव (लोक उद्यम), सदस्य-सचिव।

3.3.2 इस समिति का कार्य अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर करने से पहले समझौता ज्ञापनों के प्रारूप की समीक्षा करना है तथा वर्ष के अंत में यह मूल्यांकन करना है कि समझौता ज्ञापन के दोनों पक्षों द्वारा की गई वचनबद्धताओं को कहां तक पूरा किया गया है। समझौता ज्ञापनों के अंतिम रूप को अनुमोदित करने की शक्ति कार्य दल/लोक उद्यम को

प्रत्यायोजित कर दी गई है और सिर्फ उन्हीं मामलों को एचपीसी को सौंपा जाता है, जिनमें कार्यदल कोई निर्णय कर पाने में असमर्थ होता है।

3.3.3 सरकार के पास उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता में असंतुलन से संबंधित चिन्ता का समाधान करने के लिए कार्यदल का गठन करने के लिए कहा गया है।

3.4 कार्य दल

3.4.1 कार्य दल के सृजन का मुख्य उद्देश्य सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बीच उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता में असंतुलन के संबंध में सुविधाओं को ध्यान में रखना। कार्य दल के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

(क) वर्ष के प्रारंभ में समझौता ज्ञापन की रूपरेखा की जांच करना। इस उद्देश्य के लिए कार्य दल द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यम तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की सहमति के अनुसार तैयार समझौता ज्ञापन के प्रारूप की जांच की जाती है। यदि समझौता ज्ञापन के प्रारूप के संबंध में कार्य दल की कोई टिप्पणी या कोई सवाल हो तो वे समझौता ज्ञापन प्रभाग के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगते हैं। जब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष अपने समझौता ज्ञापन के प्रारूप के संबंध में कार्य दल द्वारा व्यक्त चिंताओं का जवाब दे देते हैं, तो उसके बाद समझौता ज्ञापन वार्ता संबंधी बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यपालक, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा योजना आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय, आदि जैसे नोडल अभिकरणों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इन बैठकों में समझौता ज्ञापनों के प्रारूप पर विचार किया जाता है तथा उसे अंतिम रूप दिया जाता है।

(ख) वर्ष के अंत में प्रत्येक उद्यम के लिए संयुक्त अंक का मूल्यांकन करना।

3.4.2 इस कार्य दल में पर्याप्त अनुभव वाले सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारी, सरकारी क्षेत्र के कार्यपालक, प्रबंधन व्यावसायिक तथा स्वतंत्र सदस्य शामिल होते हैं। उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सरकार से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस कार्य दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यह इस कार्य दल की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा गया है।

3.5 समझौता ज्ञापन प्रभाग

3.5.1 उच्चाधिकार प्राप्त समिति तथा कार्य दल की सहायता लोक उद्यम विभाग के समझौता ज्ञापन प्रभाग द्वारा की जाती है। यह उच्चाधिकार प्राप्त समिति तथा कार्य दल के स्थायी सचिवालय का कार्य करता है। इस प्रभाग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

- कार्य दल को संभार तंत्र संबंधी तकनीकी व प्रशासनिक सहायता प्रदान करना।
- कार्य दल तथा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले दोनों पक्षों - सरकारी क्षेत्र के उद्यम तथा प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य प्रतिरोधक का कार्य करना।
- समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के समझौता ज्ञापनों से संबंधित डाटा बेस तथा सूचना का विकास करना।
- उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सहायता करना।
- समझौता ज्ञापन की प्रगति का परिवीक्षण करना।
- समझौता ज्ञापन प्रणाली की कार्यविधि तथा अवधारणा संबंधी पहलुओं के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षों को सलाह तथा परामर्श प्रदान करना; और
- समझौता ज्ञापन नीति के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में समन्वयन करना।

3.6 समझौता ज्ञापन पद्धति की कार्यप्रणाली

3.6.1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया समझौता ज्ञापनों के मसौदे तैयार करने हेतु समझौता ज्ञापन प्रभाग द्वारा दिशानिर्देशों के जारी होने के साथ ही आरंभ हो जाती है। इन दिशानिर्देशों में समझौता ज्ञापन के प्रारूप में शामिल किए जाने वाले स्थूल ढ़ांचे और पहलुओं का उल्लेख होता है और उनमें वित्तीय मानदंडों को दिया जाने वाला भारांक भी शामिल होता है। इन दिशानिर्देशों

में सरकार की चिंताओं और सामान्य निर्देशों का उल्लेख होता है, जिसका सरकारी उद्यमों को पालन करना होता है।

3.6.2 इन दिशानिर्देशों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा समझौता ज्ञापन के मसौदे तैयार किए जाते हैं और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा निदेशक मंडल से विचार-विमर्श के पश्चात दिसम्बर के महीने में लोक उद्यम विभाग में प्रस्तुत किए जाते हैं। लोक उद्यम विभाग में प्राप्त मसौदों की विस्तृत जांच कार्य दल के परामर्श से की जाती है। समझौता ज्ञापनों के मसौदे की जांच प्रक्रिया में सभी संभव प्रासंगिक सूचनाओं/सूचना स्रोतों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि दस्तावेजों के प्रारूप में प्रस्तावित लक्ष्य यथार्थोन्मुखी हैं। जहां संभव होता है, उन मामलों में एक कंपनी की तुलना दूसरी कंपनी से की जाती है और प्रस्तावित लक्ष्यों पर उद्यम-विशेष के विगत निष्पादन के संदर्भ में विचार किया जाता है।

3.7 समझौता ज्ञापन वार्ता सम्बन्धी बैठकें

3.7.1 वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व ही कर लिए जाएं। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकारी उद्यमों द्वारा प्रस्तुत समझौता ज्ञापनों के प्रारूप पर समझौता ज्ञापन वार्ता सम्बन्धी बैठकों में विचार - विमर्श किया जाता है। कार्य दल के सदस्यों के अतिरिक्त इन बैठकों में प्रशासनिक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी उद्यमों के शीर्ष कार्यपालक और भारत सरकार के नोडल अभिकरणों, यथा योजना आयोग, वित्त मंत्रालय तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। जैसाकि पहले बताया जा चुका है, व्यावसायिकों, प्रशासनिक मंत्रालयों तथा लोक उद्यम विभाग से प्राप्त सभी सामग्री का प्रयोग लक्ष्यों को अंतिम रूप देने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अंतिम तौर पर लक्ष्य निर्धारण के पूर्व सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन से सम्बन्धित मौजूदा आर्थिक स्थिति के सामान्य पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया जाता है। सरकारी उद्यमों के प्रबंधन के निष्पादन के मापन हेतु मानदण्डों का चुनाव पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद किया जाता है और कार्यनिष्पादन संबंधी इन मानदण्डों के महत्व एवं संबंधित सरकारी उद्यम के प्रचालन स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इन्हें उपयुक्त भारांक दिया जाता है। सरकारी उद्यमों द्वारा प्रस्तुत लक्ष्यों पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार-विमर्श किया जाता है और मोटे तौर पर आम सहमति से इन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। वास्तव में, समझौता ज्ञापन वार्ता सम्बन्धी बैठकें सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों में अपनाई गई श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में विचार-विमर्श करने हेतु एक मंच भी प्रदान करती हैं और एक प्रकार से इस प्रक्रिया के माध्यम से नवीन विचारों का प्रसार होता है। इस प्रकार, सरकारी उद्यम अनुभव एवं विशेषज्ञता के इस समुच्चय से लाभान्वित होते हैं। इन बैठकों के दौरान अंतिमकृत समझौता ज्ञापनों पर 31 मार्च के पहले सम्बद्ध सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं।

3.8 समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन

3.8.1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन उनके समझौता ज्ञापन सम्बन्धी लक्ष्यों के सन्दर्भ में वर्ष में दो बार किया जाता है। पहले, कार्यनिष्पादन का मूल्याकंन अनंतिम परिणामों के आधार पर किया जाता है तथा दूसरी बार यह मूल्यांकन लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। कार्यनिष्पादन मूल्यांकन का यह कार्य भी विस्तृत ढंग से किया जाता है। जैसाकि पहले भी कहा जा चुका है, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन का यह कार्य विशुद्ध मशीनी ढंग से नहीं किया जाता है। समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन को वास्तविक कार्यनिष्पादन के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है और सरकारी उद्यमों को ''उत्कृष्ट'', ''बहुत अच्छा'' ''अच्छा'', ''संतोषजनक'' एवं ''असंतोषजनक'' की श्रेणी प्रदान की जाती है।

3.9 समझौता ज्ञापन प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की भागीदारी

3.9.1 समझौता ज्ञापन प्रणाली का कालक्रम में विकास हुआ है और वर्ष 1987-88 में हुए 4 समझौता ज्ञापनों की संख्या वर्ष 2004-2005 में बढ़कर 99 हो गई है। वास्तव में,

इन 99 सरकारी उद्यमों में से कई धारक कम्पनियां हैं और यदि उनकी सहायक कम्पनियों को भी शामिल कर लिया जाए तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कम्पनियों की संख्या 144 तक पहुंच जाएगी। समझौता ज्ञापन प्रणाली के प्रारम्भ से लेकर अब तक हस्ताक्षरित/अंतिमकृत समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा निम्नवत है :-

वर्ष	हस्ताक्षरित/अंतिमकृत समझौता ज्ञापनों की संख्या	वर्ष	हस्ताक्षरित/अंतिमकृत समझौता ज्ञापनों की संख्या
1987-88	4	1996-97	110
1988-89	11	1997-98	108
1989-90	18	1998-99	108
1990-91	23	1999-2000	108
1991-92	72	2000-2001	107
1992-93	98	2001-2002	104
1993-94	101	2002-2003	100
1994-95	100	2003-2004	96
1995-96	104	2004-2005	99
		2005-06	101*

*वाले सरकारी उद्यमों की सूची अनुबंध-III में दी गई है।

3.10 समझौता ज्ञापन पद्धति की उपलब्धियां

3.10.1 उद्देश्यों के आलोक में विचार करने पर समझौता ज्ञापन प्रणाली की कारगरता को संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है :-

* समझौता ज्ञापन पद्धति के अन्तर्गत ध्यान परिणामों की प्राप्ति की ओर हो गया है।
* परिचालनात्मक स्वायत्तता को प्रोत्साहित किया गया है और बढ़ा दी गई है।
* समझौता ज्ञापन विपणन प्रयासों पर बल देकर और निजी क्षेत्र के उद्यमों के साथ तुलना करके प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सहायता कर रहा है।
* समझौता ज्ञापन पद्धति के आरम्भ होने से तिमाही कार्यनिष्पादन समीक्षा (क्यू०पी०आर०) बैठकों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। समझौता ज्ञापनों की रूपरेखा के अनुसार समग्र उपलब्धियों के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है।

3.11 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी उद्यमों का कार्यनिष्पादन

3.11.1 गत पांच वर्षों के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी उद्यमों के समझौता ज्ञापनों के श्रेणीकरण के आधार पर उनका संक्षिप्त कार्यनिष्पादन निम्नलिखित रहा है :-

श्रेणी	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संख्या				
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
उत्कृष्ट	50	41	46	53	42
बहुत अच्छा	28	25	21	23	33
अच्छा	09	15	12	12	12
संतोषजनक	14	12	16	8	11
असंतोषजनक	03	03	02	–	01
शामिल नहीं	01	08	03	–	–
जोड़	105	104	100	96	99**

** सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों की सूची अनुबन्ध-IV में दी गई हैं।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के समझोता ज्ञापन पुरस्कार विजेता माननीय उप-राष्ट्रपति के साथ

दिनांक 10 जनवरी, 2006 को आयोजित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के सम्मेलन में उपस्थित माननीय उपराष्ट्रपति एवं भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री, श्री संतोष मोहन देव

अध्याय-4

मानव संसाधन विकास

4.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप में अर्हता प्राप्त मानवशक्ति का विशाल भंडार है और इन उद्यमों का कुशल रूप से परिचालन बहुत हद तक इस मानवशक्ति के प्रभावी प्रयोग पर निर्भर करता है। प्रबंध तकनीकों, प्रौद्योगिकियों, वित्तीय पद्धतियों, उत्पादन प्रबंध आदि में वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण बहुत परिवर्तन हुए हैं। इस प्रकार, मानव संसाधन विकास सरकारी क्षेत्र के कार्यनिष्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें ऐसा वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें लोग उत्पादनकारी और सृजनकारी गतिविधियों के लिए अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सकते हैं। मानवशक्ति की गुणवत्ता और क्षमताओं तथा उनके ज्ञान एवं कौशल का उन्नयन करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विभिन्न उपाए किए गए हैं। आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के अलावा, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम अपने कार्यपालकों को भारत तथा विदेशों में प्रमुख प्रबंध/प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजते हैं।

4.2 प्रशिक्षण

4.2.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक नोडल विभाग के रूप में लोक उद्यम विभाग देश में प्रमुख प्रबंध/प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से वरिष्ठ तथा मध्य स्तरीय कार्यपालकों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रमों का आयोजन करके मानव संसाधन विकास के संबंध में लोक उद्यमों के प्रयासों में सहायता करता है। लोक उद्यम विभाग विभिन्न सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत विदेशों में प्रशिक्षण हेतु सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यपालकों को प्रायोजित करता है।

4.2.2 कार्यपालक विकास कार्यक्रमों का आयोजन 2-5 दिन की अवधि के लिए किया जाता है। वर्ष 2004-05 के दौरान 44 कार्यपालक कार्यक्रमों विकास का आयोजन किया गया था और वर्ष 2005-06 के दौरान 37 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 600-800 कार्यपालकों को शामिल किया जाता है। ये कार्यक्रम भारतीय प्रबंध संस्थान, लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, भारतीय बागवानी प्रबंध संस्थान, बंगलौर, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, दिल्ली, प्रशिक्षण तथा विकास संबंधी भारतीय सोसाइटी, भारतीय

लागत तथा कार्य लेखाकार संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, वी०वी० गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, प्रबंध विकास संस्थान, गुड़गांव, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली और सीएमसी लि. आदि के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल किए गए विषयों में वित्तीय प्रबंध, नेतृत्व संबंधी चुनौती, प्रभावी विपणन प्रबंध, पूर्ण गुणवत्ता प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी और ई-कामर्स, प्रबंध सूचना पद्धति, संचार कौशल, निगमित शासन, समझौता ज्ञापन के सिद्धांत और पद्धतियां, परियोजना प्रबंध, पूंजी बाजार संबंधी सुधार और जोखिम प्रबंध, बातचीत संबंधी रणनीति और कौशल, स्वास्थ और तनाव प्रबंध, औद्योगिक और श्रम संबंधी मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय कराधान/अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण आदि शामिल हैं।

4.2.3 विभिन्न सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत विदेशों में पेशकश किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वयन लोक उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक) के दौरान कनाडा, मलेशिया, थाइलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, कोरिया, संयुक्त राज्य अमरीका, वियतनाम और जापान में सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 28 कार्यपालकों की सिफारिश की गई है। ये कार्यक्रम इलेक्ट्रानिक-शासन रणनीतियों के विकास, वैश्वीकरण - प्रबंध तथा शासन संबंधी कठिनाइयों, बैचमार्किंग तथा आईएसओ-9000, शिक्षा तथा प्रशिक्षण रणनीतियों का उपयोग करते हुए क्षमता बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र के सुधारों का समर्थन करने आदि जैसे विषयों पर थे।

4.2.4 भारत उद्यमों के संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, आईसीपीई, ल्यूबियाना, स्लोवेनिया का संस्थापक सदस्य है। भारत लोक उद्यम विभाग के बजट से 75000 अमरीकी डॉलर का वार्षिक अंशदान आईसीपीई को करता है। आजकल, सचिव, लोक उद्यम विभाग आईसीपीई परिषद के अध्यक्ष हैं।

4.2.5 सचिव, लोक उद्यम विभाग आईआईएम, अहमदाबाद, आईआईएम, कोलकाता और लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य हैं। सचिव, लोक उद्यम विभाग सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के कार्यकारी निदेशक मंडल के भी सदस्य हैं।

4.3 कार्मिक नीति

4.3.1 लोक उद्यम विभाग द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित विभिन्न कार्मिक नीति संबंधी मामले भी देखे जाते हैं। वर्ष के दौरान की गई कुछेक महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों का निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है:-

4.4 सरकारी उद्यमों में निदेशक मंडल स्तर के पदों पर चयन की प्रक्रिया

4.4.1 लोक उद्यम चयन मंडल (पीईएसबी) इसके चयन क्षेत्राधिकार में आने वाले सरकारी उद्यमों में निदेशक मंडल स्तर के प्रत्येक पदों के लिए मेरिट के क्रम में दो नामों की सिफारिश करता रहा था। दूसरे नाम की सिफारिश इसलिए की जाती है, ताकि सतर्कता निकासी न होने अथवा किसी अन्य कारणवश क्रम संख्या 1 वाला व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में पूरी चयन प्रक्रिया से पुन: गुजरने की अनिवार्यता से बचा जा सके। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि अब से पीईएसबी प्रत्येक रिक्त पद के लिए केवल एक नाम की सिफारिश करेगा।

4.5 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की सेवानिवृति की आयु

4.5.1 अगस्त, 2001 में सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों तथा बोर्ड स्तरीय अथवा उससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों, जिसका निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदन किया गया है, सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 58 वर्ष करने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदन करवाने का अधिकार प्रशासनिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री को प्रत्यायोजन किया गया था। सरकार ने मामले की समीक्षा की है और अप्रैल,

2005 में यह निर्णय किया गया है कि बोर्ड स्तरीय कार्यपालकों सहित सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को घटाने का अधिकार अब से मंत्रिमंडल के पास होगा।

4.6 मुख्यालय में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन करना

4.6.1 सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि सरकारी क्षेत्र के कुछेक उद्यम विशेषकर हैं, जोकि पूर्वोतर में स्थित हैं, वे अपनी बोर्ड स्तरीय और उप समिति की अन्य बैठके दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आदि जैसे स्थानों पर आयोजित कर रहे हैं। बहुत ही कम मामलों में ये बैठकें सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यमों के मुख्यालयों में आयोजित की जाती हैं इससे सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यमों के कर्मचारियों में रोष पैदा हो गया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल क्षेत्रीय संगठनों के अनुभवों से वंचित हो जाता है। सरकार ने जुलाई, 2005 में निर्णय किया है कि सामान्यतया बोर्ड तथा बोर्ड की उप समिति की बैठकें सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यमों के मुख्यालयों में होनी चाहिए। बहरहाल, कंपनी के मुख्यालय की इकाई पर बैठक का आयोजन करने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे निदेशकों को स्वयं कंपनी के विभिन्न प्रभागों/इकाइयों से परिचित होने का अवसर मिल सकेगा। यदि, सरकारी क्षेत्र के उद्यम के मुख्यालय अथवा मुख्यालय की इकाई से भिन्न किसी अन्य स्थान पर बैठक आयोजित की जाती है तो उसके कारणों का लिखित रूप में उल्लेख होना चाहिए।

4.7 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां, जिनके लिए नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन अपेक्षित है, तत्संबंधी अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

4.7.1 बोर्ड स्तरीय नियुक्तियों के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की समस्त प्रक्रिया पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, जब कभी भी कार्मिक संबंधी योजनाओं अथवा नीतियाँ समीक्षाधीन हो, उन योजनाओं अथवा नीतियों के अंतर्गत प्रस्तावों की उस समय तक वर्तमान नियमों व विनियमों के अंतर्गत जांच की जाती रहनी चाहिए, जब तक मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा संशोधनों का वास्तविक रूप से अनुमोदन न कर दिया जाए। बहरहाल, ऐसे संशोधनों को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के दिशानिर्देशों के 6 माह के भीतर किया जाना चाहिए। यदि ऐसी नीतियों के संशोधन की प्रक्रिया उस अवधि के बाद भी लागू रहती है तो संबंधित मंत्रालय/विभाग को ऐसे नियमों को अंतिम रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का तिथिवार ब्यौरा देना चाहिए।

4.7.2 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तरीय नियुक्तियों के संबंध में यह वांछनीय होगा कि रिक्ति होने की तारीख से कम से कम 2 वर्ष पूर्व इस शर्त के साथ कार्रवाई आरंभ करें कि बोर्ड स्तरीय ऐसी रिक्तियों के संबंध में लोक उद्यम चयन मंडल की सिफारिशें रिक्त होने की तारीख से कम से कम 6 माह पूर्व की जानी चाहिए और अन्य औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए उसे संबंधित मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए। बोर्ड स्तरीय नियुक्तियों की अवधि में समय-सीमा की वृद्धि हेतु रिक्ति होने से 1 वर्ष पूर्व प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित कर जा सके कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति के प्रस्तावों को 2 माह पूर्व प्रस्तुत किया जा सके।

4.7.3 मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों में अतिरिक्त प्रभार प्रबंध को सौपने के बाद अपनी शक्तियां प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से रिक्ति होने के 3 माह तक संबंधित मंत्रालय को प्रत्यायोजित कर दी हैं। 3 माह से लेकर अधिकतम 6 माह तक अतिरिक्त प्रभार हेतु प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी का

अनुमोदन प्राप्त करने हेतु स्थापना अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की शक्तियों के प्रत्यायोजन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

(क) अध्ययन एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार केवल सरकारी क्षेत्र के उद्यम में वरिष्ठतम कार्यात्मक निदेशक को सौंपा जाना है।

(ख) इस अधिकारी की सतर्कता की दृष्टि से स्वीकृति होनी चाहिए।

(ग) रिक्ति को भरने के लिए समय पर कार्रवाई की गई है और अतिरक्ति प्रभार देने के लिए प्रस्ताव में स्थिति का वर्णन किया जाना चाहिए।

(घ) उपरोक्त में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

(ड़) बीआईएफआर को भेजी गई कंपनियों पर उपरोक्त प्रत्यायोजन लागू नहीं होगा। अतिरिक्त प्रभार के संबंध में प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए स्थापना अधिकारी को भेजा जाना जारी रखा जाना चाहिए।

(च) पूर्ववर्ती उप-पैराग्राफों में प्रत्यायोजित इन प्रस्तावों से भिन्न प्रस्तावों को स्थापना अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जोकि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से औपचारिक आदेश जारी करवाएगा।

4.7.4 मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति ने निर्देश दिया है कि 3 माह से अधिक के वर्तमान प्रभार प्रबंध को समाप्त कर दिया जाए और ऐसे मामलों में पूर्ण अतिरिक्त प्रभार पर विचार किया जाए। वर्तमान प्रभार प्रबंध को प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से 3 माह तक मंत्रालयों की अनुमति प्रदान की गई है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का संबंध है, कार्यात्मक निदेशक के वर्तमान प्रभार को किसी भी अन्य व्यक्ति को देने का कोई अवसर नहीं होना चाहिए और यह प्रभार स्वत: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के पास होना चाहिए और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद के मामले में यह प्रभार वर्तमान आदेशों के अनुसार वरिष्ठतम कार्यात्मक निदेशक के पास होना चाहिए। बहरहाल, इसमें बीआईएफआर को सौंपे गए मामले शामिल नहीं होने चाहिए।

4.8 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के उच्च प्रबंध पद धारकों के वार्षिक कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन

4.8.1 शीर्ष और वरिष्ठ स्तरीय सभी प्रबंधकों जोकि केन्द्र/राज्य सरकार की किसी भी संगठित सेवा से संबंध नहीं रखते है, उनके लिए सरकारी उद्यम कार्यालय के दिनांक 21.1.1983 के अर्ध शा. पत्र सं. 5 (11)/82-सा. प्र. के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन (ए.पी.आर.) का संशोधन किया गया है। इस प्रपत्र को दो प्रपत्रों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के लिए तथा दूसरा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तरीय से 2 दर्जे नीचे कार्यपालकों के लिए है। प्रपत्र वर्ष 2006-07 के बाद लागू होंगे। अक्तूबर, 2005 में अनुदेश जारी किए गए है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी केन्द्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिए निर्धारित प्रपत्र अपरिवर्तनीय रहेगा।

4.9 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तरीय नियुक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा

4.9.1 सरकार की नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तरीय नियुक्तियों के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा जहाँ साक्षात्कार हेतु पदों पर सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, वहाँ उम्मीदवार की आयु 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार ने अक्तूबर, 2005 में निर्णय लिया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तरीय पदों

के लिए विचारार्थ उम्मीदवारों की अधिकतम सीमा आयु के संबंध में (रिक्ति होने की तारीख पर) सरकारी क्षेत्र के उद्यम में लागू सेवानिवृत्ति की आयु के संदर्भ में 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा बाकी हो। आंतरिक उम्मीदवारों के लिए शेष सेवा संबंधी शर्त 2 वर्ष बनी रहेगी।

4.10 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पदों का कार्यभार ग्रहण करने हेतु बोर्ड स्तरीय नियुक्तियों के लिए समय-सीमा

4.10.1 सरकार की नीति के अनुसार नियुक्ति की पेशकश जारी होने से 3 माह की समय-सीमा बोर्ड स्तरीय पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्धारित की गई थी, ऐसा न होने पर उस सरकारी क्षेत्र के किसी भी उद्यम में बोर्ड स्तरीय पदों पर नियुक्त करने हेतु अयोग्य कर दिया जाएगा। नियुक्ति की पेशकश में इस संबंध में एक धारा को शामिल किया गया था। सरकार ने अक्तूबर, 2005 में पुन: विचार किया है कि चयन होने के पश्चात यदि कोई उम्मीदवार पदभार ग्रहण नहीं करता है तो उसे नियुक्ति की पेशकश की तारीख से 2 वर्ष तक सरकारी क्षेत्र के किसी भी उद्यम में बोर्ड स्तरीय पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य कर दिया जाएगा। यह अयोग्यता उस सरकारी क्षेत्र के उद्यम से भिन्न लागू होने योग्य सभी सरकारी उद्यमों पर लागू होगी, जिससे उम्मीदवार संबंधित है। उन नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों, जो कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर पदभार ग्रहण करने में चूक करते है, के नाम प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा स्थापना अधिकारी तथा सचिव, लोक उद्यम चयन मंडल को भेज दिए जाएंगे।

4.11. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों, जिन्हें समाप्त मान लिया गया है, उनमें बोर्ड स्तरीय पदों का प्रचालन/पुनर्स्थापन

4.11.1 समाप्त मान लिए गए के पश्चात् केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में परिचालन/पुनरुद्धार के लिए सरकार ने मापदंड निर्धारित किए हैं तदनुसार, बोर्ड स्तरीय पद यदि एक वर्ष या उससे अधिक समय से रिक्त हैं और जहां पर लोक उद्यम चयन बोर्ड की प्रक्रिया आजकल अपनाई नहीं जा रही हैं, उन्हें समाप्त मान लिया जाएगा। यदि बाद में उन पदों की आवश्यकता है, नए पदों के सृजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया को अनपाया जाएगा। बहरहाल, ऐसे मामलों में, जहां पर विनिवेश की प्रक्रिया प्रांरभ होने के कारण पदों को आस्थगित स्थिति में रखा गया था, 4 वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा 31.3.2006 तक जो भी पहले हो, तब उन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अनुमति प्रदान की जाएगी, जिनका विनिवेश किया जाना है।

4.12 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत रोजगार

4.12.1 आरक्षण नीति के संबंध में सरकारी उद्यम सामान्य तौर पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का अनुसरण करते हैं। लोक उद्यम विभाग ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित सभी महत्वूपर्ण अनुदेशों को समाविष्ट करते हुए राष्ट्रपति का निर्देश औपचारिक रूप से सरकारी उद्यमों को जारी करने हेतु, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को वर्ष 1982 में जारी किया था। तब से, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने सरकार की आरक्षण नीति संबंधी अनेक अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं। लोक उद्यम विभाग ने इन अनुदेशों का समेकन किया है और अप्रैल, 1991 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को औपचारिक रूप से जारी करने के लिए एक संशोधित व्यापक निर्देश सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को जारी किया था। आरक्षण मामले पर बाद में जारी किए गए अनुदेश भी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर लागू किए गए थे।

4.12.2 अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के द्वारा भर्ती के मामलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

तथा अन्य पिछड़े वर्ग के साथ-साथ आरक्षण के हकदार अन्य क्षेणी के कर्मचारियों के लिए आरक्षण का वर्तमान कोटा इस प्रकार है :-

	समूह 'क' और 'ख'	समूह 'ग'	समूह 'घ'
अनुसूचित जाति	15%	15%	15%
अनुसूचित जनजाति	7.5%	7.5%	7.5%
अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	27%	27%
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	3%	3%	3%
भूवपूर्व सैनिक एवं सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के आश्रित	-	14.5%	24.5%

4.12.3 यद्यपि, आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को जिम्मेदार ठहराया गया है, तथापि लोक उद्यम विभाग सरकारी उद्यमों से वार्षिक रिपोर्ट मंगा कर तथा इन रिपोर्टों की जांच करने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई करके सरकारी उद्यमों द्वारा भर्ती में आरक्षण योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति की निगरानी करता है। सरकारी उद्यमों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर 1.1.2005 तक 211 सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नीचे दर्शाया गया है :

समूह	कर्मचारियों की संख्या	अनु. जातियों/अनु. जनजातियों का प्रतिनिधित्व					
		अ.जा की सं.	प्रतिशत	अ.ज.जा. की सं.	प्रतिशत	अ.पि.व. की सं.	प्रतिशत
समूह 'क'	1,65,405	20,864	12.61	6,607	3.99	10,410	6.29
समूह 'ख'	1,54,174	20,335	13.18	9,444	6.12	13,001	8.43
समूह 'ग'	6,64,501	1,31,204	19.74	64,957	9.77	1,13,407	17.06
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	2,42,973	53,027	21.82	34,594	14.23	54,845	22.57
जोड़	**12,27,053**	**2,25,430**	**18.37**	**1,15,602**	**9.42**	**1,91,663**	**15.61**
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	15,543	12,072	77.66	469	3.01	557	3.58
कुल जोड़	**12,42,596**	**2,37,502**	**19.11**	**1,16,071**	**9.34**	**1,92,220**	**15.46**

4.12.4 आरक्षित पदों को समय पर भरने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर समय-समय पर जारी अनुदेशों में बल दिया गया है। सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को परामर्श दें कि खाली आरक्षित पदों को विद्यमान अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती और प्रोन्नति के जरिए भरने के लिए कारगर कदम उठाएं। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में उल्लिखत कार्यसूची में यह भी कहा गया है कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए। लोक उद्यम विभाग ने इन रिक्तियों को शीघ्रतापूर्वक भरने के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कार्य देखने वाले सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए हैं।

4.13 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

4.13.1 द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) की अनुशंसाओं के आधार पर तथा इंदिरा साहनी मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भारत सरकार के सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण करने के अनुदेश जारी किए गए थे।

4.13.2 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो सेवाओं में आरक्षण के संबंध में नीति प्रतिपादित करता है, अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहा है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 8.9.1993 से लागू किया गया था। लोक उद्यम विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से इन अनुदेशों से सरकारी उद्यमों को अनुपालनार्थ अवगत कराता रहा है। लोक उद्यम विभाग ने राष्ट्रपति के निर्देशों का एक विस्तृत संकलन तैयार किया था, जिसमें सभी अनुदेशों का समावेश था और उस संकलन को दिनांक 27 जुलाई, 1995 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को जारी कर दिया गया, ताकि वे उसे संस्था अंतर्नियमों के संबंधित अनुच्छेद/संबंधित

अधिनियम की धारा के अंतर्गत उसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उद्यमों को औपचारिक रूप से जारी कर सकें।

4.14 विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

4.14.1 इस विभाग ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% (1 प्रतिशत नेत्रहीनों के लिए, 1 प्रतिशत गूंगों एवं बहरों के लिए तथा 1 प्रतिशत अस्थि विकलांगता वालों के लिए) आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु भी अनुदेश जारी किए हैं। लोक उद्यम विभाग ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में राष्ट्रपति का एक निर्देश, जिसमें सभी महत्वपूर्ण अनुदेशों का समावेश था, अप्रैल, 1991 में सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को जारी किया था और उनसे उन निर्देशों को सरकारी उद्यमों को औपाचारिक तौर पर जारी करने के लिए कहा था। विकलांगता (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधिनियमन के बाद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समूह 'क' एवं समूह 'ख' के कुछ अभिज्ञात पदों के संबंध में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों को सलाह दी गई है कि वे अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करें और एक समय-सीमा निर्धारित करें, जिसके अंतर्गत बकाया रिक्तियों को भरा जा सके।

सरकारी उद्यमों के लिए सहायक सेवाएं

5.1 क्रय अधिमानता नीति

5.1.1 क्रय अधिमानता नीति 1992 में पूर्ववर्ती मूल्य अधिमानता नीति के स्थान पर आरंभ की गई थी। इस नीति का उद्देश्य वैश्वीकरण/उदारीकरण के वातावरण में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसई) को समान भागीदारी अवसर प्रदान करना और प्रतिस्पर्धा तथा प्रभावोत्पादकता के नए वातावरण में स्वयं को समायोजित करने के लिए एक अवसर प्रदान करना है। इस नीति का लक्ष्य सरकारी क्षेत्र में स्थापित क्षमताओं का अधिकतम सीमा तक उपयोग करने का है, ताकि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन को दीर्घावधिक आधार पर एक निरंतर स्तर पर सुधारा जा सके।

5.1.2 क्रय अधिमानता नीति की समीक्षा की गई है और समय-समय पर इसमें विस्तार किया जाता है। सरकार के दिनांक 30.06.2005 के निर्णय के अनुसरण में, जो नीति 31.3.2005 तक लागू थी, उसे 31.3.2008 से समाप्त कर देने की स्पष्ट शर्त के साथ तीन वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

5.1.3 इस नीति में सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में एल-1 मूल्य पर क्रय अधिमानता का प्रावधान है, यदि आपूर्तिकर्ता केन्द्रीय सरकारी उद्यम द्वारा दर्शाया गया मूल्य, अन्य बातों के समान होने पर, न्यूनतम वैध बोली मूल्य के 10% के भीतर हो। क्रय अधिमानता सहायता 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक, लेकिन 100 करोड़ रुपए से अनधिक की सिविल एवं टर्नकी संविदाओं सहित, की संविदाओं के लिए प्रदान की जाएगी। क्रय अधिमानता संबंधी प्रावधानों का 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक, लेकिन 100 करोड़ रुपए से अनधिक के लिए ''निविदा आमंत्रण सूचना'' (एनआईटी) में उल्लेख किया जाना चाहिए। यह नीति उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और उनकी सहायक कंपनियों पर लागू है, जिनमें केन्द्रीय सरकारी उद्यम की 51% या उससे अधिक शेयरधारिता है, परन्तु वह केन्द्रीय सरकारी उद्यम और किसी निजी भागीदार के स्वामित्व वाला संयुक्त उद्यम नहीं है। तथापि, संबंधित मंत्रालयों/विभागों को ऐसे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची तैयार करनी होगी, जिन्हें क्रय अधिमानता की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता नहीं है। क्रय अधिमानता नीति का लाभ उठाने के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यम/सहायक कंपनियों द्वारा विनिर्माण और अथवा सेवाओं द्वारा न्यूनतम 20% मूल्य अभिवृद्धि एक पूर्वापेक्षा होगी।

5.1.4 यदि सरकारी उद्यम न्यूनतम अर्हत पूरी नहीं कर पाता है, तो उसे अनर्हक घोषित कर दिया जाना चाहिए। तथापि, उपयुक्त मामलों में क्रेता/ग्राहक न्यूनतमकअर्हता की सूची में से ''निवल परिसंपत्ति'' की शर्त में छूट दे सकते हैं। क्रय अधिमानता का लाभ उठाने वाले सरकारी उद्यमों का निष्पादन संतोषजनक नहीं रहता है, तो उनसे निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली की जानी चाहिए अथवा संविदा में शामिल अन्य जुर्माना लगाया जाना चाहिए। नीति को वास्तविक रूप में क्रियान्वित करने के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग उत्तरदायी होंगे। निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) में क्रय अधिमानता संबंधी धारा शामिल न करने सहित किसी भी प्रकार के विचलन के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग/केन्द्रीय सरकारी उद्यम/स्वायत्त निकाय को लोक उद्यम विभाग के परामर्श से मंत्रिमण्डल से पूर्व छूट प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5.2 स्थायी मध्यस्थता तंत्र

5.2.1 लोक उद्यम विभाग में स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए) का गठन किसी सरकारी उद्यम एवं केन्द्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों के बीच तथा सरकारी उद्यमों के बीच पारस्परिक विवादों, कराधान संबंधी मामलों को छोड़कर, का समाधान करने के लिए किया गया है। वर्ष 1993-94 से पत्तन न्यासों के साथ उत्पन्न विवादों को भी स्थायी मध्यस्थता तंत्र के विचार-क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। लोक उद्यम विभाग के दिनांक 12.2.1997 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा रेल मंत्रालय को पीएमए के क्षेत्राधिकार से हटा दिया गया था। इन विवादों को लोक उद्यम विभाग को सौंपना अपेक्षित होता है, ताकि उसे स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को सौंपा जा सके। विवाद की मौजूदगी के संबंध में प्रथमदृष्टया संतुष्ट हो जाने के बाद सचिव, लोक उद्यम विभाग उसे स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को मध्यस्थता के लिए सौंप देते हैं। इन मामलों में मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (अब 1996) लागू नहीं होता है। मामले में प्रस्तुतिकरण/प्रतिवाद के लिए किसी पार्टी की ओर से बाहरी वकील को उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है।

5.2.2 पीएमए संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित करके 22.01.2004 को जारी किया गया था। पीएमए में एक मध्यस्थ नियुक्त है और वर्ष 1989 में पीएमए की स्थापना होने से लेकर सचिव (लोक उद्यम) ने पीएमए के मध्यस्थों को 196 मामले सौंपे हैं, जिनमें से 111 मामलों के संबंध में निर्णय (अवार्ड) प्रकाशित किए जा चुके हैं। पीएमए की स्थापना स्वत: समर्थित आधार पर की गई है, इसलिए पीएमए मध्यस्थता शुल्क वसूल करता है, जिसका परिकलन मध्यस्थ द्वारा दिशानिर्देशों में उल्लिखित फार्मूला के आधार पर किया जाता है।

मजूरी नीति एवं श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण

6.1 मजूरी नीति

6.1.1 लोक उद्यम विभाग, अन्य बातों के साथ-साथ, संघबद्ध कर्मचारियों के मजूरी समझौते/निदेशक मंडल स्तर के तथा साथ ही निदेशक मण्डल से निम्न स्तर के पदों पर कार्यरत कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन से संबंधित नीति संबंधी मुद्दों के बारे में नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है। यह निदेशक मंडल स्तर के कार्यपालकों के वेतन निर्धारण तथा शर्तों एवं विनियमों को अंतिम रूप देने, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में मुख्य सर्तकता अधिकारियों के रूप में प्रतिनियुक्त सरकारी अधिकारियों की शर्तों एवं विनियमों को अंतिम रूप देने का कार्य भी करता है। यह विभाग कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन तथा मजूरी नीति से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को स्पष्टीकरण तथा परामर्श प्रदान करता है। केन्द्रीय सरकारी उद्यम औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों और केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमानों के पैटर्न का अनुसरण करते है।

6.2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) प्रणाली तथा संबंधित वेतनमान

6.2.1 वेतनमानों तथा वेतन पैटर्न के संबंध में सरकार की नीति यह है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सभी कर्मचारी आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमान के अंतर्गत होने चाहिए। सरकारी उद्यम विभाग द्वारा जुलाई, 1981 तथा जुलाई, 1984 में सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को यह अनुदेश जारी किए गए थे कि जब कभी भी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नए उद्यम का गठन अथवा उनकी स्थापना की जाए, उसमें प्रारंभ से ही आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमानों को अपनाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 242 उद्यम (बैंकों, बीमा कंपनियों तथा वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) हैं। उन्होंने लगभग 17.67 लाख कामगारों, लिपिकीय कर्मचारियों तथा कार्यपालकों को नियुक्त किया हुआ है। इनमें से लगभग 96% कामगारऔर कार्यपालक आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमानों का अनुपालन कर रहे हैं।

6.3 दिनांक 1.1.1997 से लागू वेतनमानों के आईडीए पैटर्न में वेतन संशोधन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया

6.3.1 आईडीए पैटर्न के अंतर्गत कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए पिछला वेतन संशोधन न्यायधीश मोहन समिति की सिफारिशों पर लोक उद्यम विभाग के दिनांक 25.6.1999 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर 1.1.1997 से 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। वेतन संशोधन हेतु अपनाई गई पद्धति निम्नलिखित है:-

(i) जो केन्द्रीय सरकारी उद्यम निरंतर लाभ कमा रहे हैं, उन्हें लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार आईडीए पैटर्न में संशोधित वेतनमान अपनाने की अनुमति दी गई है।

(ii) वेतन संशोधन से पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष के दौरान घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को सरकार अर्थात प्रशासनिक मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के साथ परामर्श से अनुमोदन के साथ वेतनमान संशोधित करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि वे अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए उनके द्वारा जुटाए जाने वाले संसाधनों का अनुमान प्रस्तुत कर सकें।

(iii) बीआईएफआर को सौंपे गए रुग्ण उद्यमों के संबंध में आईडीए पैटर्न अपनाने वाले सभी कर्मचारियों के लिए वेतनमानों का संशोधन कठोरतापूर्वक बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित अथवा अनुमोदित किए जाने वाले पुनर्वास पैकेज और इस पैकेज में वेतन संशोधन के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय हेतु प्रावधान किए जाने के अनुसार होगा।

(iv) निर्माणधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यम अथवा नए केन्द्रीय सरकारी उद्यम संशोधित वेतनमान अपनाने के लिए अपने प्रस्ताव लोक उद्यम विभाग के साथ परामर्श से अपने प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रस्तुत करेंगे।

6.4 आईडीए पैटर्न के अधीन कामगारों के लिए मजूरी संशोधन

6.4.1 आईडीए पैटर्न के वेतनमान अपनाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कामगारों के लिए सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधनों को कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन वेतन संशोधन पर बातचीत करने की पूरी स्वायत्तता प्रदान कर दी है। प्रबंधन तथा कर्मचारियों के मध्य होने वाली नवीनतम मजूरी वार्ता 1.1.1997 से 10 वर्ष की अवधि के लिए और 1.1.1997 से 1.1.2002 तक 5 वर्ष के लिए प्रभावी होनी थी। इस संबंध में 14.1.1999 और 26.7.2000 और 11.2.2004 को निम्नलिखित आदेश जारी किए गए थे:-

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति वेतनमान के अंतर्गत आने वाले संघबद्ध कर्मचारियों के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन्हें निम्नलिखित में से एक विकल्प चुनने की अनुमति प्रदान की जाए:-

(i) जैसाकि 14.1.1999 को जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, मंहगाई भत्ते के 100 प्रतिशत निष्प्रभावीकरण के साथ वेतन संशोधन की अवधि 10 वर्ष।

(ii) जैसाकि पहले अर्थात 1.1.1992 से 31.12.1996 तक विद्यमान था, श्रेणीबद्ध निष्प्रभावीकरण के आधार पर 5 वर्ष की अवधि।

जिन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने कामगारों के लिए 5 वर्षीय मजूरी वार्ता का विकल्प चुना था, उन्हें 1.1.2002 से 5 वर्ष की अवधि के लिए एक और मजूरी वार्ता की अनुमति दी गई है। कुछ केन्द्रीय सरकारी उद्यम वार्ता-सम्मत मजूरी समझौता पहले ही क्रियान्वित कर चुके हैं।

6.5 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 69 उद्यमों में सीडीए प्रणाली

6.5.1 सीडीए पैटर्न के वेतनमान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 69 उद्यमों के उन लिपिकीय कर्मचारियों, संघबद्ध संवर्ग के कर्मचारियों तथा कार्यपालकों के मामलों में लागू हैं, जो 1.1.1986 को तथा 31.12.1988 तक उद्यमों की नामावली में शामिल थे और उस समय सीडीए प्रणाली के वेतनमान प्राप्त कर रहे थे। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.3.1986 के निर्देश के अनुपालन में सरकार ने एक उच्चाधिकार वेतन समिति (एचपीपीसी) नियुक्त की थी तथा इसने 24.11.1988 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में इसकी सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 3.5.1990 के निदेशों के साथ पठित 28.8.1991 के अनुवर्ती निदेशों के अनुपालन में सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में 1.1.1989 से आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमान प्रारंभ किए गए हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में 1.1.1989 को या उसके बाद की गई सभी नियुक्तियां केवल आईडीए वेतन ढांचे के अनुसार हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन 69 उद्यमों (एचपीपीसी के अंतर्गत) में से केवल 61 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारी अभी भी सीडीए प्रणाली के वेतनमान अपनाए हुए हैं।

6.6 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)

6.6.1 वर्तमान नियंत्रणमुक्त एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों सहित उद्योग जगत के पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए सरकारी उद्यमों के सुधार एवं पुनर्गठन के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में श्रमिकों की संख्या को उपयुक्त सीमा में लाना ऐसे ही उपायों में से एक है। इस प्रक्रिया में पहली बार अक्तूबर, 1988 में स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना की घोषणा की गई थी और इसे संशोधित किया गया था तथा लोक उद्यम विभाग के दिनांक 5 मई, 2000 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा एक विस्तृत पैकेज अधिसूचित किया गया था, ताकि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और साथ ही पुनर्गठन के विविध तरीकों से प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की रक्षा भी की जा सके।

6.6.2 सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों में 1 जनवरी, 1992 अथवा 1997 से, जैसी स्थिति हो, मजूरी समझौता प्रभावी नहीं हो सका, उन उद्यमों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को 6 नवंबर, 2001 को अधिसूचना जारी कर और उदार बनाया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया था कि जिन उद्यमों में वर्ष 1992 का मजूरी संशोधन लागू नहीं किया जा सका, उनके कर्मचारियों को 100% अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाए और इसी प्रकार जिन उद्यमों में वर्ष 1997 का मंजूरी संशोधन लागू नहीं किया जा सका, उनके कर्मचारियों को 50% अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाए। वर्ष 1986 के वेतनमानों में सीडीए पैटर्न अपनाने वाले कर्मचारियों को वीआरएस के अंतर्गत अनुग्रह राशि में 26.10.2004 से 50% की वृद्धि की गई है। स्वैच्छिक सेवानिवृति क्षतिपूर्ति में इन वृद्धियों की गणना कर्मचारियों के वर्तमान वेतन के आधार पर की जानी है।

6.6.3 प्रारंभ में अक्तूबर, 1988 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की शुरूआत से ले कर मार्च, 2004 तक 5.33 लाख कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवामुक्त किया जा चुका है।

6.7 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जो अपने अधिशेष संसाधनों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का व्यय वहन कर सकते है।

6.7.1 वित्तीय रूप से सक्षम सरकारी क्षेत्र के उद्यम, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का व्यय स्वयं वहन कर सकते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अपनी योजना स्वयं बना सकते हैं और इसे विकल्प देने वाले कर्मचारियों के लिए काफी आकर्षक बना सकते हैं। वे सेवा के प्रत्येक पूरे हुए वर्ष के लिए 60 दिन के वेतन (केवल मूल वेतन+महंगाई भत्ता) के तुल्य क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। बहरहाल, ऐसी क्षतिपूर्ति सेवा की शेष अवधि के वेतन से अधिक नहीं होगी।

6.8 मामूली लाभ कमाने वाले अथवा घाटा उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

6.8.1 मामूली रूप से लाभ अर्जित करने वाली अथवा घाटा उठाने वाली रुग्ण एवं अव्यावहारिक कंपनियों को यह अनुमति प्रदान की गई है कि वे **(i)** गुजरात मॉडल पर आधारित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन तथा सेवानिवृत्ति होने तक सेवा की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिनों के वेतन की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रतिपूर्ति अधिवर्षिता के लिए शेष बची अवधि के लिए कुल वेतन से अधिक नहीं होगी; अथवा **(ii)** भारी उद्योग विभाग का वीएसएस पैकेज (डीएचआई मॉडल) अपना सकते हैं, जिसके अनुसार पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिनों के परिलाभों (वेतन + मंहगाई भत्ता) तथा सेवा की शेष अवधि के कुल परिलाभ, इन में से जो भी कम हों, अपना सकते हैं। जो कर्मचारी कम से कम 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 60 (साठ) महीने का वेतन/मजूरी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और यह शेष बची हुई सेवा अवधि के लिए वेतन/मजूरी से अधिक राशि नहीं के शर्ताधीन होगी।

सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण

7.1 सरकारी उद्यमों को चार अनुसूचियों में बांटा गया है; यथा सामान्यतया, 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ'। सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों तथा पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों के वेतनमान संबंधित उद्यम की अनुसूची से जुड़े हुए हैं। उद्यम के मुख्य कार्यपालक को कंपनी की अनुसूची से संबद्ध वेतनमान दिया जाता है, जबकि कार्यकारी निदेशकों को नीचे की अगली निम्न अनुसूची का वेतनमान दिया जाता है। कभी-कभी मुख्य कार्यपालकों अथवा कार्यकारी निदेशकों के पद का उन्नयन वैयक्तिक आधार पर किया जाता है, ताकि वास्तव में सक्षम कार्यपालकों को उन उद्यमों में रोका जा सके, जिनमें उन्होंने सराहनीय सेवाएं दी हैं। ऐसी व्यवस्था से प्रतिभा को रूग्ण अथवा उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्यमों की ओर आकृष्ट करने में सहायता मिलेगी।

7.2 प्रारंभ में, साठ के दशक के मध्य में सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में उनके महत्व तथा उनकी समस्याओं की जटिलता के आधार पर किया गया था। गत वर्षों में लोक उद्यम विभाग ने सरकारी उद्यमों के वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के उद्देश्य से विविध मानदण्ड़ों का विकास किया है। यह वर्गीकरण पूंजीनिवेश, नियोजित पूंजी, निवल बिक्री, कर्मचारियों की संख्या जैसे मात्रात्मक मानदण्डों तथा राष्ट्रीय महत्व, समस्या की जटिलता, प्रौद्योगिकी स्तर, क्रियाकलापों के विस्तार एवं विविधीकरण की संभावना तथा अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा आदि जैसे मात्रात्मक मानदण्डों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, निगम के रणनीतिक महत्व से संबंधित मानदण्डों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान प्रक्रिया में अनुसूची संबंधी प्रस्ताव पर संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय में तथा लोक उद्यम विभाग में विचार किया जाता है तथा लोक उद्यम विभाग इस मामले में लोक उद्यम चयन मंडल से परामर्श करता है। वर्तमानत: अनुसूची 'क' में 52, अनुसूची 'ख' में 87, अनुसूची 'ग' में 54 तथा अनुसूची 'घ' में 7 उद्यम हैं। सरकारी उद्यमों की अनुसूचीवार सूची **अनुबंध-V** में दी गई है।

सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)

8.1 वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण, 2004-05 के दौरान घोषणा की थी कि सरकार सरकारी उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरूद्धार और पुनर्गठन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन करेगी। बाद में, सरकार ने दिनांक 6 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना के अनुसार बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन कर दिया था, जिसमें अध्यक्ष, तीन अंशकालिक गैर-सरकारी सदस्य तथा तीन सरकारी सदस्य शामिल हैं। अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन मण्डल, अध्यक्ष, स्कोप और अध्यक्ष, तेल एंव प्राकृतिक गैस निगम लि. बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव उसके मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यम से संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य है।

8.2 सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-

(i) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्थोपाय पर समान्य रूप से सरकार को परामर्श देना और उनको अधिक स्वायत तथा व्यावसायिक बनाना;

(ii) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन पर - वित्तीय, संगठनात्मक और व्यवसाय (विविधीकरण, संयुक्त उद्यम, संविलयन और अधिग्रहण सहित) तथा ऐसी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए तौर-तरीकों का सुझाव देना;

(iii) रूग्ण/घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार/पुनर्गठन के लिए उनके आमूलचूल परिवर्तन हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रस्तावों की जांच करना;

(iv) लंबे समय से रूग्ण/घाटा उठाने वाली कंपनियां, जिनका पुनरूद्धार नहीं किया सकता, उनके संबंध में विनिवेश/बंद करने/बिक्री करने के लिए सरकार को परामर्श देना। ऐसी अव्यावहारिक कंपनियों के संबंध में बोर्ड कंपनी को बंद करने की अन्य लागतों और कामगारों की वैध देयताओं और प्रतिपूर्ति की अदायगी के लिए उद्यमों की अधिशेष परिसंपत्तियों की बिक्री सहित स्रोतों के संबंध में सरकार को परामर्श भी देगा;

(v) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में शुरूआती रूग्णता को मॉनीटर करना; और

(vi) ऐसे अन्य मामलों पर सरकार को परामर्श देना जोकि सरकार द्वारा समय-समय पर इसे सौंपे जाएं।

8.3 सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की पहली बैठक 16.12.2004 को आयोजित की गई थी। दिसम्बर, 2005 तक 28 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और बोर्ड ने रूग्ण सरकारी उद्यमों के 33 मामलों पर विचार किया है। यह 26 मामलों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर चुका है और शेष 7 मामले अतिरिक्त सूचना हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को सौंपे जा चुके हैं।

8.4 26 मामलों के संबंध में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिशें निम्नलिखित 3 प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आती है:-

क्रम सं.	श्रेणी की संख्या	सरकारी उद्यमों के मामलों की संख्या
1	पुनरूद्धार पैकेज के माध्यम से पुनरूद्धार	18
2	सरकारी उद्यम के साथ संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरूद्धार	07
3	बन्द करना	01
	जोड़	**26**

परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन योजना

9.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन पर जोर दिया जाता रहा है। इस प्रक्रिया में श्रमशक्ति का यौक्तिकीकरण भी एक आवश्यकता बन गई है। सरकार की नीति मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुधारों को क्रियान्वित करने की तथा प्रभावित कामगारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था करने की रही है।

9.2 सुरक्षा तंत्र की मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने स्थूल तौर पर स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के व्यय को पूरा करने के लिए तथा संगठित श्रेत्र में कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षण देने के लिए फरवरी, 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की थी। फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष को समाप्त कर दिया गया था। 31 मार्च 2001 तक पुनर्प्रशिक्षण के कार्यकलाप औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा चलाए जाते थे। वर्ष 2001-02 से लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सीआरआर) की योजना लागू की गई थी।

9.3 अन्य बातों के साथ-साथ परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनिर्नियोजन योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

- स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- अल्पावधिक कार्यक्रमों के माध्यम से यौक्तिकीकृत कर्मचारियों का पुनरानुकूलन करना।
- उनकों नये काम-धन्धे अपनाने के लिए तैयार करना।
- उन्हें आय अर्जित करने के लिए स्वरोजगार में लगाना।
- उत्पादनकारी प्रक्रिया अपनाने में उनकी सहायता करना।

9.4 परामर्श से यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को संगठन छोड़ने का मानसिक आघात सहन करने, क्षतिपूर्ति सहित अपनी धनराशि का उचित प्रबंध करने, चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें प्रेरित करने तथा उत्पादनकारी प्रक्रिया में फिर से जुड़ने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार, पुनर्प्रशिक्षण उनकी निपुणता/विशेषज्ञता को सशक्त बनाता है। चयनित प्रशिक्षण संस्थान आवश्यकतानुसार 20 दिवसीय/30 दिवसीय/ 40 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। संकाय सहायता आंतरिक और बाह्य, दोनों प्रकार की होती है तथा कक्षाओं में शैक्षणिक व्याख्यान के अतिरिक्त संबद्ध क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रशिक्षाणार्थी विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों से सम्पर्क करते हैं तथा परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने तथा अंतिम रूप देने में उनकी सहायता की जाती है। पुनर्प्रशिक्षण का ध्येय ज्यादातर स्वरोजगार के माध्यम से

पुनर्नियोजन करना है। इस योजना में स्वरोजगार की दर को अधिकतम बनाने का उद्देश्य है। अत: नोडल अभिकरण आवश्यकता पर आधारित सहायता प्रदान करते हैं, ऋण संस्थानों के साथ संपर्क जोड़ते हैं तथा पुनर्प्रशिक्षित कार्मिकों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं।

9.5 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के परिसर में 3 दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पहले कैप्स्यूल कोर्स, दिशानिर्देशों के लिए साहित्य, प्रेरणा एवं जागरुकता तथा बजार में उपलब्ध अवसरों से संबंधित जानकारी प्रदान करना है, ताकि वे अपनी शीघ्र सेवानिवृत्ति की चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वास के साथ संगठन छोड़ सकें।

9.6 सीआरआर कार्यक्रम का परिवीक्षण करने के लिए आंतरिक संरचना में लोक उद्यम विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे तथा निरीक्षण इत्यादि शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर समन्वय समितियाँ भी गठित की गई हैं। योजना में संबंधित सरकारी विभागों/अभिकरणों/केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के चयनित सदस्यों सहित सचिव (लोक उद्यम) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समीक्षा समिति का भी प्रावधान है।

स्वैच्छिक सेवानिवृति चुनने वाले श्री विजय विट्ठलराव किट्टकाले, सीआरआर योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्वयं द्वारा विनिर्मित उत्पादों को दर्शाते हुए

9.7 नोडल प्रशिक्षण अभिकरणों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को परामर्श देने, उनका पुनरानुकूलन करने तथा प्रशिक्षण प्रदान करने, पाठ्यक्रम/सामग्री का विकास करने, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने तथा बाजार सर्वेक्षण करने, प्रशिक्षण पश्चात अनुवर्ती कार्यक्रम करने, ऋण संस्थानों के साथ अंत: संबंध स्थापित करने, स्वरोजगार में सहायता प्रदान करने, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ नियमित संपर्क करने तथा समन्वयकारी समिति की बैठक बुलाने में दायित्वों का निष्पादन करना होता है।

9.8 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्हें यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पहले उनकी क्षतिपूर्ति/देयताओं का भुगतान करके उनके कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। कर्मचारियों के साथ लंबे संबंधों के कारण केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को अभिज्ञात करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

9.9 आरंभ में, वर्ष 2001-02 के लिए योजना निधि 8 करोड़ रुपए आबंटित की गई थी, जिसे वर्ष 2002-03 और 2003-04 में बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया था। वर्ष 2004-05 के दौरान योजना निधि में पर्याप्त वृद्धि करके इसे 30 करोड़ रुपए कर दिया गया था। वर्ष 2005-06 के दौरान बजट आबंटन 30 करोड़ रुपए बनाए रखा गया है। यौक्तिकीकृत कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 42 नोडल अभिकरण प्रचालनरत हैं, जिनके अन्तर्गत 126 कर्मचारी सहायता केन्द्र आते हैं। सीआरआर योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान 8064, 12066, 12134 और 28003 कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षित किया गया था। वर्ष 2005-06 के दौरान भौतिक लक्ष्य 28000 निर्धारित किया गया है। औसत रूप में पुनर्नियोजन की दर लगभग 45% रही है। नोडल अभिकरणों की सूची **अनुबंध VI** में दी गई है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

10.1 इस विभाग का हिन्दी अनुभाग मुख्यत: राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत उल्लिखित विविध प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। हिन्दी अनुभाग उन दस्तावेजों के अनुवाद के लिए भी उत्तरदायी है, जिन्हें राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किया जाना अपेक्षित है। चूंकि, इस विभाग के 80% से अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, इसलिए इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है।

10.2 वर्ष 2005-06 के दौरान सभी अधिसूचनाओं, संकल्पों, सूचनाओं, परिपत्रों, संसद के सभा-पटल पर रखे जाने वाले कागजातों आदि को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया। हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाए जाने हेतु भी प्रयास किए गए। लोक उद्यम विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयुक्त सचिव (लोक उद्यम) की अध्यक्षता में काम करती है और वर्ष 2005-06 के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गई हैं।

10.3 राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरुकता पैदा करने तथा उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा अक्तूबर, 2005 में 'हिन्दी पखवाड़ा' आयोजित किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए विविध प्रतियोगिताओं यथा भाषण, निबंध लेखन, टिप्पणी एवं आलेखन, (हिन्दी भाषी), टिप्पणी एवं आलेखन, (हिन्दीतर भाषी), हिन्दी श्रुतलेख तथा हिन्दी टंकण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

10.4 इस विभाग का पुस्तकालय नियमित रूप से हिन्दी पुस्तकों की खरीद करता रहता है। आलोच्य वर्ष 2005-06 के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की हर संभव चेष्टा की गई।

10.5 इस विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यचालन के संबंध में 'लोक उद्यम सर्वेक्षण' नामक वार्षिक रिपोर्ट संसद में बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत की जाती है। यह एक विशाल एवं विस्तृत प्रलेख है, जिसे इस विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित किया जाता है।

अध्याय-11

महिलाओं का कल्याण

11.1 लिंग की समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्त्तव्य तथा निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिपादित है। हमारा संविधान न केवल महिलाओं के मामले में समानता का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि सरकार को भी महिलाओं के हित में सकारात्मक विचारण की शक्ति सौंपता है। लोकतांत्रिक राजव्यवस्था के ढांचे के अंदर हमारे कानूनों, हमारी विकास नीतियों, हमारी योजनाओं तथा हमारे कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति है।

11.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, निरापद तथा स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करने के लिए लोक उद्यम विभाग में एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया जा चुका है। यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से इस विभाग में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अवगत करा दिया गया है। लोक उद्यम विभाग ने 29 मई, 1998 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा विस्तृत दिशानिर्देशों एवं मानदण्ड़ों के बारे में सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को अनुपालन तथा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक हेतु सूचित कर दिया है।

11.3 लोक उद्यम विभाग एक छोटा विभाग है, जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या 128 है, जिनमें से महिला कर्मचारियों की संख्या केवल 14 है। लोक उद्यम विभाग सरकारी उद्यमों के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में काम करता है तथा सभी सरकारी उद्यमों के संबंध में नीति तैयार करता है। लोक उद्यम विभाग ने स्वस्थ तथा सौहार्दपूर्वक माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, ताकि महिला कर्मचारी सम्मान, गरिमा के साथ और बिना भय के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

लोक उद्यम विभाग

अनुबंध-I

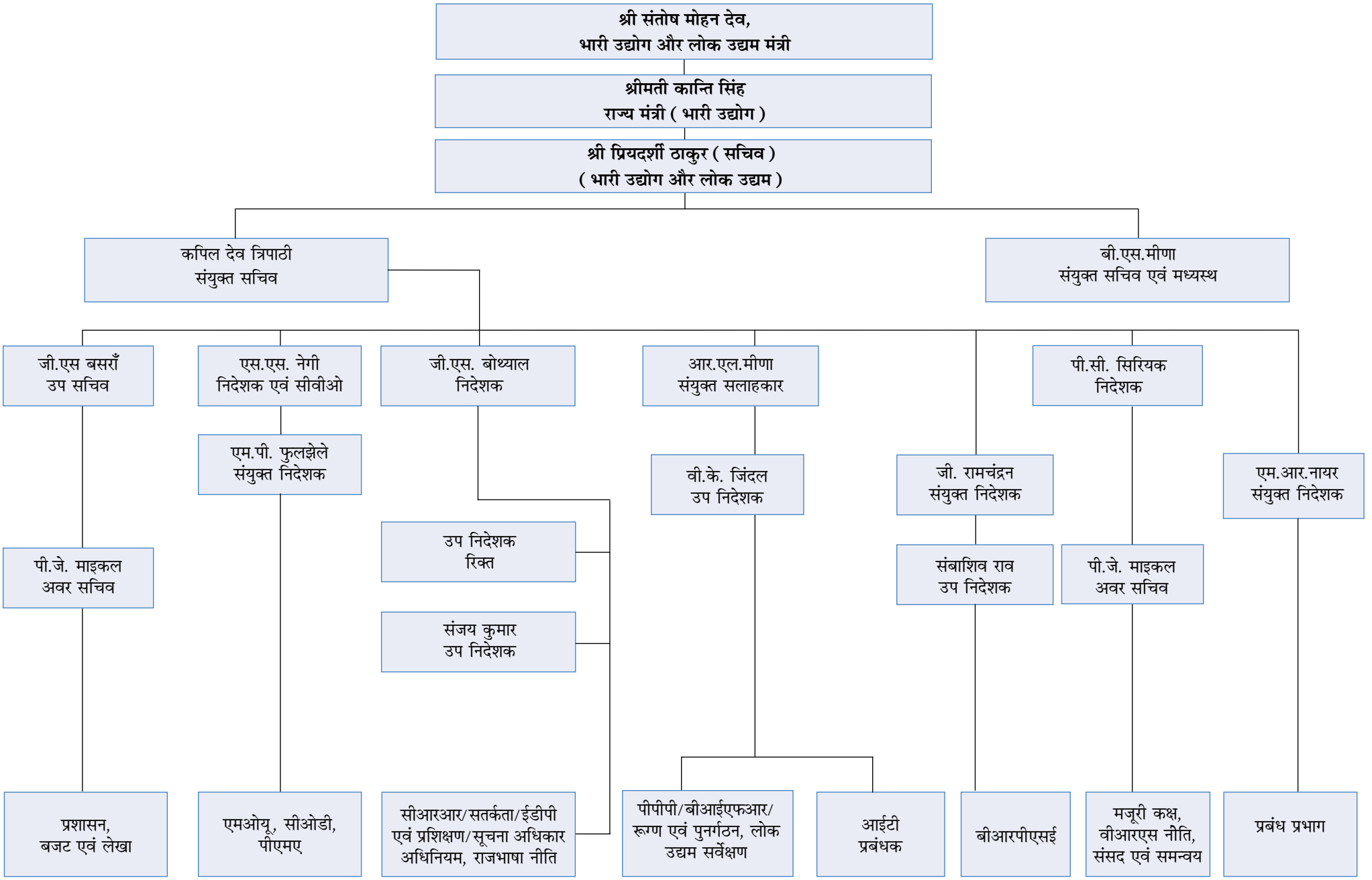

मिनीरत्न सरकारी उद्यमों की सूची

श्रेणी-I

1. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
2. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
3. बोंगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड
4. केन्द्रीय भण्डारण निगम
5. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
6. कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7. ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
9. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
10. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
11. आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
12. भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
13. इरकॉन (इंटरनेशनल) लिमिटेड
14. कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड
15. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड
16. एमएमटीसी लिमिटेड
17. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
18. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
19. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड
20. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड
21. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
22. ऑयल इंडिया लिमिटेड
23. विद्युत वित्त निगम लिमिटेड
24. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
25. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
26. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
27. भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
28. भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड
29. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंटस इंडिया लिमिटेड

श्रेणी-II

30. बामेर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड
31. एजूकेशनल कंसल्टेंटस इंडिया लिमिटेड
32. फैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड
33. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
34. होस्पिटल सर्विसिज कंसलटेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड
35. इंडियन ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन
36. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड
37. एमएसटीसी लिमिटेड
38. मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड
39. मेकॉन लिमिटेड
40. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
41. पीईसी लिमिटेड
42. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
43. राइट्स लिमिटेड
44. वाटर एण्ड पावर कंसलटेंसी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड

वर्ष 2005-06 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए चुने गये समूहवार सरकारी उद्यमों की सूची

क्र.सं.	सरकारी उद्यम का नाम
1.	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि.
2.	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.
3.	बामेर लॉरी एण्ड कंपनी लि.
4.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.
5.	ऑयल (इण्डिया) लि.
6.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.
7.	गेल (इण्डिया) लि.
8.	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
9.	कोल इंडिया लि.
10.	नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.
11.	एनटीपीसी लि.
12.	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.
13.	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन लि.
14.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.
15.	सतलुज जल विद्युत निगम लि.
16.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.
17.	एचएमटी लि.
18.	भारत अर्थ मूवर्स लि.
19.	भारत डायनामिक्स लि.
20.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.
21.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.
22.	एचएमटी लि.
23.	कनार्टक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
24.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.
25.	इण्डियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल्स. लि.
26.	कुद्रेमुख आयरन ओर लि.
27.	मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि.
28.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.
29.	इण्डियन रेयर अर्थ्स लि.
30.	खनिज गवेषण निगम लि.
31.	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
32.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.
33.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.
34.	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.
35.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
36.	मिश्र धातु निगम लि.

क्र.सं.	सरकारी उद्यम का नाम
37.	स्पंज आयरन इंडिया लि.
38.	आईटीआई लि.
39.	भारत इलेक्ट्रिोनिक्स लि.
40.	भारत संचार निगम लि.
41.	इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
42.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रिोनिक्स लि.
43.	महानगर टेलीफोन निगम लि.
44.	राजस्थान इलेक्ट्रिोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि.
45.	रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
46.	टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि.
47.	भारतीय नौवहन निगम लि.
48.	ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
49.	गोवा शिपयार्ड लि.
50.	कोचीन शिपयार्ड लि.
51.	इण्डियन एयरलाइन्स लि.
52.	मझगांव डॉक लि.
53.	कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
54.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
55.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लि.
56.	गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजी. लि.
57.	कोंकण रेलवे कारपो. लि.
58.	मुम्बई रेलवे विकास निगम
59.	एमएमटीसी लि.
60.	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि.
61.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.
62.	पीईसी लि.
63.	भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम
64.	कॉटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
65.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.
66.	इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन
67.	भारतीय पर्यटन विकास निगम
68.	एमएसटीसी लि.
69.	फैरो स्क्रेप निगम लि.
70.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.
71.	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्र.सं.	सरकारी उद्यम का नाम
72.	इण्डियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म लि.
73.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.
74.	राष्ट्रीय बीज निगम लि.
75.	केन्द्रीय भण्डारण निगम लि.
76.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
77.	भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.
78.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपो. लि.
79.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम
80.	इंजीनियर्स इण्डिया लि.
81.	इरकॉन इंटरनेशनल लि.
82.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.
83.	अस्पताल परामर्शदायी सेवाएं निगम
84.	राइट्स लि.
85.	एजूकेशनल कंसल्टेंटस ऑफ इण्डिया लि.
86.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

क्र.सं.	सरकारी उद्यम का नाम
87.	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
88.	वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंट्स सर्विसिज (इंडिया) लि.
89.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.
90.	ब्रॉडकास्ट इंजी. कंसल्टेंट्स इंडिया लि.
91.	मेकॉन लि.
92.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
93.	आवास एवं शहरी विकास निगम
94.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
95.	भारतीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी
96.	भारतीय निर्यात ऋण प्रतिभूमि निगम लि.
97.	विद्युत वित्त निगम लि.
98.	इण्डियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन
99.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.
100.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.
101.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि.

वर्ष 2004-05 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सरकारी उद्यमों की सूची और अनंतिम आंकड़ों पर आधारित उनका एमओयू संयुक्त अंक

सं.	कंपनी का नाम	समझौता ज्ञापन अंक (अनंतिम)	समझौता ज्ञापन श्रेणीकरण
1.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	1.54	बहुत अच्छा
2.	बामेर लॉरी एण्ड कं. लि.	1.26	उत्कृष्ट
3.	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि.	1.88	बहुत अच्छा
4.	भारत अर्थ मूवर्स लि.	1.99	बहुत अच्छा
5.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि.	1.29	उत्कृष्ट
6.	भारत पेट्रोलियम कारपो. लि.	1.48	उत्कृष्ट
7.	भारत संचार निगम लि.	1.19	उत्कृष्ट
8.	ब्रहापुत्र वेली फर्टिलाइजर्स कारपो. लि	2.86	अच्छा
9.	केन्द्रीय भण्डारण निगम	1.36	उत्कृष्ट
10.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि.	2.06	बहुत अच्छा
11.	भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम	2.24	बहुत अच्छा
12.	कोल इण्डिया लि.	1.50	उत्कृष्ट
13.	कॉटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	1.46	उत्कृष्ट
14.	कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	1.05	उत्कृष्ट
15.	ड्रेजिंग कारपो. ऑफ इण्डिया	2.12	बहुत अच्छा
16.	एजूकेशनल कंसल्टेंटस इण्डिया लि.	4.44	संतोषजनक
17.	इलेक्ट्रोनिक्स कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	3.32	अच्छा
18.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.	2.92	अच्छा
19.	निर्यात ऋण प्रतिभूति निगम	1.56	बहुत अच्छा
20.	फैरो स्क्रेप निगम लि.	1.83	बहुत अच्छा
21.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	2.09	बहुत अच्छा
22.	गोवा शिपयार्ड लि.	1.89	बहुत अच्छा
23.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजी लि.	2.10	बहुत अच्छा
24.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो. लि.	1.43	उत्कृष्ट
25.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो. लि.	1.42	उत्कृष्ट
26.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	4.10	संतोषजनक
27.	हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम	2.57	अच्छा
28.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि.	1.00	उत्कृष्ट
29.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	2.17	बहुत अच्छा
30.	एचएमटी लि.	4.65	असंतोषजनक

सं.	कंपनी का नाम	समझौता ज्ञापन अंक (अनंतिम)	समझौता ज्ञापन श्रेणीकरण
31.	अस्पताल परामर्शदायी सेवाएं निगम	**3.29**	अच्छा
32.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	**3.40**	अच्छा
33.	इण्डियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल्स कारपो. लि.	**3.79**	संतोषजनक
34.	भारतीय पर्यटन विकास निगम	**1.75**	बहुत अच्छा
35.	इण्डियन एयरलाइन्स	**2.15**	बहुत अच्छा
36.	इण्डियन ऑयल कारपो. लि.	**1.13**	उत्कृष्ट
37.	भारतीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	**2.74**	अच्छा
38.	इण्डियन रेअर अर्थ लि.	**1.70**	बहुत अच्छा
39.	इरकॉन इंटरनेशनल लि	**1.31**	उत्कृष्ट
40.	आईटीआई लि.	**3.48**	अच्छा
41.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मा. लि.	**1.21**	उत्कृष्ट
42.	कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि.	**4.28**	संतोषजनक
43.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	**4.06**	संतोषजनक
44.	मझगांव डॉक लि.	**2.25**	बहुत अच्छा
45.	मेकॉन लि.	**2.10**	बहुत अच्छा
46.	खनिज गवेषण निगम लि.	**1.54**	बहुत अच्छा
47.	मिश्र धातु निगम लि.	**1.08**	उत्कृष्ट
48.	एमएमटीसी लि.	**1.08**	उत्कृष्ट
49.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	**2.36**	बहुत अच्छा
50.	एमएसटीसी लि.	**1.04**	उत्कृष्ट
51.	नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.	**1.27**	उत्कृष्ट
52.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	**3.41**	अच्छा
53.	राष्ट्रीय बीज निगम	**3.18**	अच्छा
54.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	**1.00**	उत्कृष्ट
55.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	**1.19**	उत्कृष्ट
56.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	**4.28**	संतोषजनक
57.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	**1.28**	उत्कृष्ट
58.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम	**2.23**	बहुत अच्छा
59.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	**1.41**	उत्कृष्ट
60.	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	**2.47**	बहुत अच्छा
61.	न्यूक्लियर पावर कारपो. लि.	**1.45**	उत्कृष्ट
62.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.	**1.61**	बहुत अच्छा
63.	पीईसी लि.	**1.44**	उत्कृष्ट
64.	राइट्स लि.	**2.28**	बहुत अच्छा
65.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	**1.14**	उत्कृष्ट

सं.	कंपनी का नाम	समझौता ज्ञापन अंक (अनंतिम)	समझौता ज्ञापन श्रेणीकरण
66.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	**1.00**	उत्कृष्ट
67.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	**1.52**	बहुत अच्छा
68.	स्कूटर्स इण्डिया लि.	**3.13**	अच्छा
69.	भारतीय नौवहन निगम लि.	**1.28**	उत्कृष्ट
70.	स्पंज आयरन इण्डिया लि.	**2.13**	बहुत अच्छा
71.	भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.	**4.06**	संतोषजनक
72.	वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसिज (इण्डिया) लि.	**1.31**	उत्कृष्ट
73.	भारत डायनामिक्स लि.	**4.32**	संतोषजनक
74.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	**1.25**	उत्कृष्ट
75.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.	**1.28**	उत्कृष्ट
76.	यूरेनियम कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	**1.97**	बहुत अच्छा
77.	मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि.	**1.47**	उत्कृष्ट
78.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	**1.32**	उत्कृष्ट
79.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि.	**1.43**	उत्कृष्ट
80.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.	**1.32**	उत्कृष्ट
81.	टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि.	**3.75**	संतोषजनक
82.	पावरग्रिड कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	**1.01**	उत्कृष्ट
83.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपो.	**1.44**	उत्कृष्ट
84.	नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो. लि.	**1.75**	बहुत अच्छा
85.	सतलुज जल विद्युत निगम लि.	**2.59**	अच्छा
86.	नेवेली लिग्नाइट कारपो. लि.	**1.32**	उत्कृष्ट
87.	एनटीपीसी लि.	**1.11**	उत्कृष्ट
88.	आयल इंडिया लि.	**1.60**	बहुत अच्छा
89.	गेल (इंडिया) लि.	**1.24**	उत्कृष्ट
90.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.	**1.19**	उत्कृष्ट
91.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	**2.38**	बहुत अच्छा
92.	कोचीन शिपयार्ड लि.	**3.76**	संतोषजनक
93.	एयर इण्डिया लि.	**3.69**	संतोषजनक
94.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.	**1.66**	बहुत अच्छा
95.	आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यु. कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	**1.71**	बहुत अच्छा
96.	इंण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाईजेशन	**1.58**	बहुत अच्छा
97.	इण्डियन रेलवे फाइनेंस कारपो.	**1.00**	उत्कृष्ट
98.	आवास एवं शहरी विकास निगम	**1.22**	उत्कृष्ट
99.	विद्युत वित्त निगम लि.	**2.39**	बहुत अच्छा

एमओयू संयुक्त अंक	एमओयू
1.00 – 1.50	उत्कृष्ट
1.51 – 2.50	बहुत अच्छा
2.51 – 3.50	अच्छा
3.51 – 4.50	संतोषजनक
4.51 – 5.00	असंतोषजनक

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की अनुसूचीवार सूची

क्र.सं.	कंपनी का नाम

अनुसूची - क

1. एयर इण्डिया लि.
2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
3. भारत भारी उद्योग निगम लि.
4. भारत अर्थ मूवर्स लि.
5. भारत इलैक्ट्रानिक्स लि.
6. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.
7. भारत पेट्रोलियम कॉरपो. लि.
8. भारत संचार निगम लि.
9. भारत यंत्र निगम लि.
10. कोल इण्डिया लि.
11. कंटेनर कारपो. ऑफ इण्डिया लि.
12. इलेक्ट्रोनिक्स कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
13. इंजीनियर्स इण्डिया लि.
14. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.
15. भारतीय खाद्य निगम
16. गेल (इण्डिया) लि.
17. हैवी इंजीनियरिंग कॉरपो. लि.
18. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.
19. हिन्दुस्तान कॉपर लि.
20. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपो. लि.
21. एच.एम.टी लि.
22. आवास एवं शहरी विकास निगम लि.
23. आई.टी.आई. लि.
24. इण्डियन एयरलाइन्स लि.
25. इण्डियन ऑयल कॉरपो. लि.
26. कोंकण रेलवे कॉरपो. लि.
27. कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि.
28. एमएमटीसी लि.
29. महानगर टेलीफोन निगम लि.
30. मझगांव डॉक लि.
31. मेकॉन लि.
32. मुंबई रेल विकास कारपोरेशन लि.
33. नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.
34. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
35. नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कॉरपो. लि.
36. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.
37. नेशनल टेक्सटाईल कॉरपो. लि.
38. एनटीपीसी लि.
39. नेवेली लिग्नाईट कॉरपो. लि.
40. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.
41. ऑयल इंडिया लि.
42. विद्युत वित्त निगम
43. पावर ग्रिड कॉरपो. इण्डिया लि.
44. रेलटेल कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
45. रेल विकास निगम लि.
46. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.
47. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
48. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.
49. भारतीय नौवहन निगम लि.
50. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.
51. स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.
52. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि.

अनुसूची - ख

1. एण्ड्रयू यूले एण्ड कंपनी लि.
2. बामेर लॉरी एण्ड कं. लि.
3. भारत कोकिंग कोल लि.
4. भारत डायनामिक्स लि.
5. भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि.
6. भारत पम्पस एण्ड कंप्रेशर्स लि.
7. बोंगाईगांव रिफाईनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि.
8. ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लि.
9. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.
10. ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन लि.
11. ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इण्डिया) लि.
12. ब्रिटिश इण्डिया कॉरपो. लि.
13. बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि.
14. सीमेंट कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
15. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.
16. सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.
17. केन्द्रीय खान आयोजना एवं अभिकल्पन संस्थान लि.

क्र.सं.	कंपनी का नाम
18.	केन्द्रीय भण्डारण निगम लि.
19.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपो. लि.
20.	कोचीन शिपयार्ड लि.
21.	कॉटन कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
22.	ड्रेजिंग कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
23.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
24.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.
25.	एन्नौर पोर्ट लि.
26.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
27.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि.
28.	गोवा शिपयार्ड लि.
29.	गुरू गोविंद सिंह रिफाइनरीज लि.
30.	हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि.
31.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.
32.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपो. लि.
33.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.
34.	हिन्दुस्तान पेपर कॉरपो. लि.
35.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
36.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.
37.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉरपो. लि.
38.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.
39.	एचएमटी (एमटी) लि.
40.	एचएमटी (वाचेज) लि.
41.	आईबीपी कंपनी लि.
42.	भारत पर्यटन विकास निगम लि.
43.	इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन
44.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
45.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.
46.	इण्डियन ऑयल ब्लैंडिंग कंपनी लि.
47.	इण्डियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपो. लि.
48.	इण्डियन रेलवे फाइनेंस कॉरपो. लि.
49.	इण्डियन रेअर अर्थ्स लि.
50.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.
51.	इरकॉन इंटरनेशनल लि.
52.	कोच्चि रिफाइनरीज़ लि.
53.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
54.	महानदी कोलफील्ड्स लि.
55.	मंगलौर रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि.
56.	मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि.
57.	खनिज गवेषण निगम लि.
58.	मिश्र धातु निगम लि.
59.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.
60.	नेशनल जूट मैन्यु. कॉरपो. लि.
61.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.
62.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
63.	नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉरपो. लि.
64.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
65.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.
66.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.
67.	नेटेका (गुजरात) लि.
68.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.
69.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.
70.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.
71.	नेटेका (तमिलनाडु एवं पांडिचेरी) लि.
72.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.
73.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.
74.	नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लि.
75.	ओएनजीसी विदेश लि.
76.	पीईसी लि.
77.	पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लि.
78.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि.
79.	राइट्स लि.
80.	सतलुज जल विद्युत निगम लि.
81.	स्कूटर्स इण्डिया लि.
82.	सेमी-कण्डक्टर काम्प्लेक्स लि.
83.	साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
84.	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपो. लि.
85.	टायर कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
86.	यूरेनियम कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
87.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

अनुसूची - ग

1. एयरलाइन्स एलाइड सर्विसिज लि.
2. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लि.
3. आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यु. कॉरपो. लि.
4. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
5. बंगाल इम्युनिटी लि.
6. भारत लेदर कॉरपो. लि.
7. भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि.

क्र.सं.	कंपनी का नाम
8.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.
9.	भारत वैगन एण्ड इंजी. कं. लि.
10.	बीको लॉरी लि.
11.	ब्रॉडकास्ट इंजी. कंसल्टेंट्स इण्डिया लि.
12.	भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि.
13.	केन्द्रीय अंतरदेशीय जल परिवहन निगम लि.
14.	चिनार वाचेज लि.
15.	एजूकेशनल कंल्टेंट्स (इण्डिया) लि.
16.	एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लि.
17.	फैरो स्क्रेप निगम लि.
18.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.
19.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.
20.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि.
21.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.
22.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु. कॉरपो. लि.
23.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.
24.	एचएमटी बियरिंग्स लि.
25.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि.
26.	भारतीय होटल निगम लि.
27.	भारतीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लि.
28.	जूट कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.
29.	एमएसटीसी लि.
30.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि.
31.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
32.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.
33.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
34.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.
35.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.
36.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
37.	भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
38.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
39.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
40.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
41.	राष्ट्रीय बीज निगम लि.
42.	नेपा लि.
43.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.
44.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.
45.	प्रागा टूल्स लि.
46.	राजस्थान इलैट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि.
47.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.
48.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
49.	एसटीसीएल लि.
50.	स्पंज आयरन इण्डिया लि.
51.	भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.
52.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.
53.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.
54.	वाटर एण्ड पावर कंसल्टेंसी सर्विसिज (इण्डिया) लि.

अनुसूची - घ

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1.	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि.
2.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.
3.	इण्डियन मेडीसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉरपो. लि.
4.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
5.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि.
6.	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
7.	यू.पी. ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

चुने गये नोडल प्रशिक्षण अभिकरणों की सूची

1. एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (एसोचेम), दिल्ली
2. सीपेट, चेन्नई
3. सीपेट, अमृतसर
4. सीपेट, भुवनेश्वर
5. सीपेट, गुवाहाटी
6. सीपेट, हाजीपुर
7. सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई
8. सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, मोहाली (चंडीगढ़)
9. सीएमसी लि.
10. सीएमडी, त्रिवेन्द्रम
11. डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लाईमेंट एण्ड ट्रेनिंग, श्रम मंत्रालय
12. इलेक्ट्रोनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, कानिया, रामनगर
13. इंडियन काऊंसिल ऑफ स्मॉल इण्डस्ट्रीज, कोलकाता
14. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रिन्योरशिप, गुवाहाटी
15. इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रीन्योरशिप डेवलपमेंट, पटना
16. इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर डेवलपमेंट, जयपुर
17. कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (केआईआईटी), भुवनेश्वर
18. मध्य प्रदेश कंसलटेंसी आर्गेनाइजेशन, भोपाल
19. मिटकॉन, पुणे
20. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग (एनआईएसआईइटी), हैदराबाद
21. नेशनल प्रोडक्टिविटी काऊंसिल, नई दिल्ली
22. नेशनल स्कूल ऑफ कम्प्यूटर एजूकेशन, कोलकाता
23. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., नई दिल्ली
24. एनआईईएसबीयूडी, नोएडा
25. निटरा, गाजियाबाद
26. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, अगरतला
27. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, बंगलौर
28. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, चेन्नई
29. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर
30. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, गुवाहटी
31. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, इंदौर
32. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, कानपुर
33. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, करनाल
34. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, कोलकाता
35. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, मुम्बई
34. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
37. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, पटना
38. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, रायपुर
39. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, रांची
40. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, थ्रिस्सूर
41. स्मॉल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, विजाग
42. उत्तर प्रदेश कंसलटेंसी आर्गेनाइजेशन लि., कानपुर

सत्यमेव जयते

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार